अगस्त, 2020

I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2020 अंक - 8

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता रमण करते हैं वाली बात हमारे देश में पूरी तरह लागू होती है क्योंकि हमारा देश परंपराओं और संस्कृतियों का देश है । किंतु कुछ वर्षों से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं जो न केवल घर के बाहर हैं अपितु घर के भीतर भी उनके साथ हिंसक व्यवहार किया जा रहा है । ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी घरेलू यातना से गुजरना पड़ रहा है और हम प्राय: समाचारों में यह पाते हैं कि किसी वृद्ध व्यक्ति ने संपत्ति संबंधित विवादों से तंग आकर आत्महत्या कर ली या कुपित होकर अपने ही पुत्र की जान ले ली । फिर भी अपेक्षाकृत महिलाएं इन अपराधों से अधिक प्रभावित हैं । यदि हम साधारण भाषा में समझें तो घरेलू हिंसा एक प्रकार का ऐसा अपराध है जो घर के किसी एक सदस्य के विरुद्ध शेष सदस्यों द्वारा कारित किया जाता है और इसमें शारीरिक एवम् मानसिक रूप से यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता है । घरेलू हिंसा का मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए वश में करना होता है । महिला आयोग के अनुसार यदि परिवार का कोई व्यक्ति उस परिवार की किसी महिला के साथ मार-पीट करता है या उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है तो वह घरेलू हिंसा करने का अपराधी कहलाएगा और वह आहत महिला घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी । संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल विवाहित महिलाओं में दो तिहाई महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं ।

आश्चर्य की बात है कि पश्चिमी देशों के कुछ भागों में पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा ने रौद्र रूप ले लिया है और अपने देश के भी कई बड़े नगरों में पतियों ने पत्नियों और परिवार द्वारा दी जा रही घरेलू यातना के विरोध में आवाज उठाई है । महिला और पुरुषों के अतिरिक्त बच्चे भी घरेलू हिंसा का शिकार होते रहते हैं जिनमें माता-पिता, शिक्षकों और पड़ोसियों द्वारा बच्चों पर शारीरिक एवं मानसिक हिंसा होती रहती है जिसके लिए विधान मंडल द्वारा अलग-से कानून बनाया गया है जिसे

हम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के नाम से जानते हैं । प्राय: यह देखा गया है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और उसमें आत्म-सम्मान जैसे गुणों की कमी भी हो जाती है । ऐसे व्यक्तियों का मानसिक रूप से सामान्य होना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें यह अहसास होता है कि जिस व्यक्ति पर विश्वास किया गया था आज वही व्यक्ति क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है । हम भी इस दुर्दशा को बनाने में कहीं न कहीं भागीदार हैं । अत: एक जिम्मेदार नागरिक की भांति हमें अपने कर्तव्यों को समझते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक बहु किसी की बेटी होती है ।

इस अंक में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कैलाश कृष्ण चंद्र केवट **बनाम** बिहार राज्य	242
गोकुल मेच **बनाम** असम राज्य	166
नारायण बैद्यकर **बनाम** त्रिपुरा राज्य	195
भूदेब उचई और अन्य **बनाम** त्रिपुरा राज्य	216
रोहित **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	281
सक्तिवल **बनाम** तमिलनाडु राज्य	265
सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य	149

संसद् के अधिनियम

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 17

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए अभियुक्त का मिथ्या फंसाया जाना – अन्वेषण में अनेक कमियां होना – इत्तिलाकर्ता द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने अपने पिता द्वारा उसकी पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से तंग आकर मृतक के चेहरे पर पत्थर से वार किया जाना – क्षति के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु – अन्वेषण अधिकारी द्वारा पत्थर का अभिग्रहण किया जाना किंतु उस पर लगे रक्त की न्यायालयिक जांच न कराया जाना और न ही उक्त पत्थर को न्यायालय में प्रस्तुत करना – इसके अतिरिक्त चारपाई के नीचे या आस-पास रक्त पाए जाने का कोई उल्लेख न होना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा पत्थर पर लगे रक्त की जांच नहीं कराई गई है और न ही घटनास्थल पर रक्त पाए जाने का कोई उल्लेख है और साथ ही इत्तिलाकर्ता का कथन विरोधाभासी है और घटना के पश्चात् अभियुक्त का आचरण संदिग्ध नहीं है, अत: इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है, इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

कैलाश कृष्ण चंद्र केवट बनाम **बिहार राज्य** 242

– धारा 302 और धारा 304 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 और 8] – दुकानदार से झगड़ा – क्रोध में अभियुक्त द्वारा मृतक की गर्दन पर दाव से वार किया जाना और परिणामस्वरूप मृतक की

पृष्ठ संख्या

मृत्यु – अभियोजन साक्षियों द्वारा सुना जाना कि बाजार में हत्या हो गई है – उक्त कथन की अभिपुष्टि न होना – अभियुक्त की पत्नी द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि मृतक ने दुकान का सामान सड़क पर फेंक कर झगड़ा आरंभ किया था – अभियुक्त द्वारा हथियार के साथ पुलिस थाने पहुंचकर आत्म-समर्पण – अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना – अभियुक्त की ओर से हत्या की कोई पूर्व योजना या इरादा न होना – अचानक हुए झगड़े में अत्यधिक क्रोधवश होकर अभियुक्त द्वारा मृतक पर बिना किसी पूर्वचिन्तन के वार किया गया है – अत: अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 की बजाय धारा 304 के भाग 2 के अधीन उपान्तरित करना उपयुक्त है ।

गोकुल मेच बनाम **असम राज्य** 166

– धारा 365 और धारा 366 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और धारा 6] – पीड़ित लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अगरतला ले जाने के लिए ग्राम से रवाना होना – मार्ग में लड़की का अपहरण – पीड़ित लड़की को कुटुंब के सदस्यों द्वारा पुलिस की सहायता से सिलचर स्थित एक वेश्यालय से छुड़ाया जाना – पीड़ित लड़की का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – पीड़िता के अभिसाक्ष्य के अनुसार अभियुक्त द्वारा अगरतला जाते हुए जीप में अन्य 10-5 सह-यात्रियों की मौजूदगी में उसके चेहरे पर किसी तरल पदार्थ का छिड़काव कर बेहोश कर दिया जाना और उसे सिलचर स्थित वेश्यालय में बेचा जाना – उक्त अभिसाक्ष्य का विश्वसनीय प्रतीत

पृष्ठ संख्या

न होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में पांच माह का लंबा विलंब जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहना – अत: पीड़िता के अभिसाक्ष्य के विश्वसनीय न होने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में बिना किसी समाधानप्रद स्पष्टीकरण के पांच माह के विलंब को देखते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती और वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

नारायण बैद्यकर बनाम **त्रिपुरा राज्य** 195

– धारा 366 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अपहरण – आहत का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – अभियुक्त द्वारा माता-पिता की अभिरक्षा से आहत कन्या का अभिकथित रूप से अपहरण किया जाना – कन्या ने अन्वेषण अधिकारी को यह बयान दिया था कि अभियुक्त और उसके बीच जान-पहचान बढ़ गई थी जो धीरे-धीरे प्रेम में परिवर्तित हो गई और यह कि उसके माता-पिता उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से करने की तैयारी में लगे हुए थे और साथ ही कन्या ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसका अपहरण किया था या अभियुक्त के माता-पिता ने अपहरण करने की कोई धमकी दी थी, अत: इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्ति का हकदार है ।

सक्तिवल बनाम **तमिलनाडु राज्य** 265

– धारा 376(1) और धारा 109 – बलात्संग – अभियुक्त पर पीड़ित का अपहरण करने और उसके साथ

पृष्ठ संख्या

बलात्संग करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त और पीड़ित का एकदूसरे से परिचित होना – मामले में दो घटनाओं का सम्मिलित होना – प्रथम घटना के समय स्वयं पीड़ित के कथनानुसार उसके माता-पिता उसे अभियुक्त के घर छोड़ गए थे जहां अभियुक्त ने उसके साथ कुछ दिनों तक बलात्संग किया – उसके पश्चात् पीड़ित द्वारा अपने पति के घर वापस आ जाना किंतु उक्त घटना के संबंध में कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज न किया जाना – अभियुक्त की अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के बाद भी पीड़ित द्वारा 10 दिन तक कोई शिकायत अथवा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज न किया जाना – अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जो यह साबित कर सके कि अभियुक्त ने पीड़ित को उसकी सहमति के बिना मृत्यु या शारीरिक उपहति का भय दिखाकर निरुद्ध रखा था और इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि पीड़ित ने अभियुक्त द्वारा किए जाने वाले बलात्संग का विरोध किया था जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त कार्य में पीड़ित की सहमति विद्यमान थी, अत: इन परिस्थितियों में अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा जाना सर्वथा अनुचित है ।

भूदेब उचई और अन्य बनाम **त्रिपुरा राज्य** 216

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 12, 18, 19, 21 और 22 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा के विरुद्ध परिवाद फाइल किया जाना – विचारण

पृष्ठ संख्या

न्यायालय द्वारा पति को स्त्रीधन के रूप में 5,00,000/- रुपए का संदाय करने और साथ ही भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रति मास का संदाय करने का अंतरिम निदेश – पति द्वारा सेशन न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती – सेशन न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि – पति द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतरिम आदेश को अपास्त/आस्थगित करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने या किसी न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हित को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए और एक द्वितीय न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु इस शक्ति का प्रयोग सर्वथा अनुचित है ।

सोम प्रकाश रावत उर्फ **सन्नी और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** 149

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 21 और धारा 29 – पुलिस दल द्वारा लगाई जांच चौकी द्वारा एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, को रोका जाना – मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा एक थैला पहाड़ी की ओर फेंका जाना – एन. डी. पी. एस. अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित सभी अपेक्षाओं का पालन करने के

पृष्ठ संख्या

पश्चात् उक्त थैले से 20.02 ग्राम हेरोइन की बरामदगी – बरामद की गई हेरोइन की मात्रा का मध्यवर्ती मात्रा होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना – अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में नियमित जमानत हेतु दांडिक प्रकीर्ण याचिका फाइल किया जाना – नेपाली मूल का होने के कारण अभियुक्त के फरार हो जाने का अंदेशा – उच्च न्यायालय द्वारा प्रास्थिति रिपोर्ट मांगा जाना – प्रास्थिति रिपोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय का यह समाधान होना कि अभियुक्त पिछले 25 वर्ष से हिमाचल प्रदेश का सद्भावी नागरिक है और उसके फरार होने की संभावना नहीं है और अन्वेषण के लिए भी उसकी अब आवश्यकता नहीं है – अत: बरामद हेरोइन की मात्रा का मध्यवर्ती मात्रा होने, अभियुक्त के फरार होने की आशंका न होने और अन्वेषण के लिए उसकी आवश्यकता न होने के कारण कतिपय कड़ी शर्तों के अधीन रहते हुए अभियुक्त जमानत मंजूर किए जाने का हकदार है ।

रोहित बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 281

(2020) 2 दा. नि. प. 149 इलाहाबाद

सोम प्रकाश रावत उर्फ सन्नी और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

(2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन 16296 से संबंधित 2016 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन 20843)

तारीख 20, नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12, 18, 19, 21 और 22 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा के विरुद्ध परिवाद फाइल किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा पति को स्त्रीधन के रूप में 5,00,000/- रुपए का संदाय करने और साथ ही भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रति मास का संदाय करने का अंतरिम निदेश – पति द्वारा सेशन न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती – सेशन न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि – पति द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतरिम आदेश को अपास्त/आस्थगित करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने या किसी न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हित को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए और एक द्वितीय न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु इस शक्ति का प्रयोग सर्वथा अनुचित है ।

वर्तमान आवेदन का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, श्रीमती सरिता और श्री सोम प्रकाश रावत के बीच तारीख 18 नवंबर,

2010 को विवाह अनुष्ठापित हुआ था, जिसमें श्रीमती सरिता के पिता ने लगभग 7 लाख रुपए का व्यय किया था । किंतु पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे और उनमें शारीरिक संबंध भी स्थापित नहीं हुए । इन परिस्थितियों में श्रीमती सरिता ने महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन परिवाद फाइल किया । इसके अतिरिक्त, मध्यकता केन्द्र में भी पति-पत्नी के बीच सुलह संबंधी कार्यवाही चलती रही, जिसके दौरान आवेदक ने सदैव यह आशय दर्शित किया कि वह अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाना चाहता है, जबकि अपने कपटपूर्वक एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करके दूसरा विवाह भी कर लिया, जिससे उसके दो बालक भी हैं । दूसरी ओर विचारण न्यायालय ने श्रीमती सरिता के परिवाद की सुनवाई करते हुए श्री सोम प्रकाश रावत को यह निदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को स्त्रीधन के रूप में 5 लाख रुपए और भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रतिमास का संदाय करें । आवेदक ने उक्त आदेश को सेशन न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने उक्त आदेश की पुष्टि की । तदुपरांत, आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय में वर्तमान आवेदन फाइल किया गया । उच्च न्यायालय ने आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात् हमारी सुविचारित राय निम्नानुसार है । यह स्पष्ट है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 को इस उद्देश्य के साथ पारित किया गया था कि ऐसी महिलाओं को जो उनके कुटुंब के भीतर होने वाली हिंसा का शिकार हैं, संविधान के अधीन गारंटी किए गए अधिकारों के प्रभावी संरक्षण और साथ ही उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध किया जा सके । यह एक ऐसी सांविधानिक आज्ञा थी जिसे ऐसी महिलाओं के संरक्षण हेतु इस विधान द्वारा पूरा किया गया, जिनके साथ उनके कुटुंब के भीतर क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है । यह अधिनियम इस प्रकार के अन्य अधिनियमों और कुटुंब न्यायालय अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 आदि के अधीन उपबंधित की गई प्रक्रियाओं से भिन्न है । यह एक ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले अन्य उपबंधों के अतिरिक्त

प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंधित किया गया है और अपने इस अधिकार के संरक्षण हेतु आवेदक द्वारा यह आवेदन फाइल किया गया था । स्वीकृत रूप से आवेदक सोम प्रकाश रावत की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और उसके पति द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जब उसका विवाह उसके साथ हुआ था तब वह आगरा विश्वविद्यालय में समूह-4 की नौकरी कर रहा था जिससे यह तात्पर्य है कि वह आगरा विश्वविद्यालय का एक समूह-4 का एक कर्मचारी था और वह अपनी पत्नी का भरणपोषण करने में समर्थ था इसलिए आवेदक ने उससे विवाह किया था । उसके पश्चात् वह एल. जी. सेवा केन्द्र में नौकरी करने लगा किन्तु यह सेवा केन्द्र उसी विपिन कुमार का था, जिसे विवाह के समय 5,00,000/- रुपए का नकद का संदाय किया गया था । पति-पत्नी के बीच के संबंध तनावपूर्ण थे । आवेदक ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था । उसकी प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने उसके विरुद्ध की गई हिंसा के ब्यौरों को प्रकट किया। इसी संबंध में जिला परिवीक्षा अधिकारी ने भी रिपोर्ट किया है । शपथ पर यह कथन किया गया है कि दहेज के बदले नकद 5,00,000/- रुपए का संदाय किया गया जिसका उपयोग दहेज और गृहस्थी की अन्य वस्तुओं का क्रय करने के लिए किया गया था । पति ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है जिसे उसने विवाह में प्राप्त किया था किन्तु वह यह नहीं बता सका था कि वह मोटरसाइकिल कब और कैसे उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस मोटरसाइकिल के संबंध में यह कथन किया गया है कि उसे दहेज के रूप में दिया गया था । यह कथन किया गया है कि कुल मिलाकर आवेदक के उपयोग हेतु घरेलू वस्तुओं के क्रय के लिए 5,00,000/- रुपए का नकद का संदाय किया गया जो स्त्रीधन के समतुल्य है । अत: विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के अभिसाक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक विरोधी पक्षकार सं. 1 की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और वह भरणपोषण के लिए हकदार थी जिससे वह उसके समक्ष आई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके जिस संबंध में 5,000/- रुपए प्रतिमास का नियमित संदाय उसे

किया जा रहा है जिसे इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया है और जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है । पूर्वोक्त अपील, जिसे उक्त आदेश के विरुद्ध संस्थित किया गया था और जिसके द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री को वापस लेने हेतु किए गए प्रत्यावर्तन आवेदन को खारिज किया गया था । अत: इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक का पति चाहे वह एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत हो या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए का प्रतिमास का नियमित संदाय कर रहा है क्योंकि उसे विधिक रूप से अपनी पत्नी का भरणपोषण करना है । अत: 5,000/- रुपए प्रतिमास की यह अल्प राशि एक वास्तविक राशि थी जिसे न्यायोचित रूप से आवेदक के भरणपोषण हेतु दिए जाने का निदेश दिया गया था और इसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई थी । जहां तक 5,00,000/- रुपए का संबंध है, यह साबित किया गया था कि उसका संदाय आवेदक के माता-पिता द्वारा उसकी घरेलू वस्तुओं के लिए विवाह के समय किया गया था जिसके संबंध में आवेदक के पति और उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रस्तुत किया गया था अत: उक्त रकम को स्त्रीधन के रूप में आवेदक को वापस संदाय किए जाने का निदेश भी सर्वथा उचित और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है । आवास के संबंध में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आवेदक का उसके पति के साथ उसके आवास में निवास करना संभव नहीं है क्योंकि वहां वह अपनी दूसरी पत्नी और बालकों के साथ रह रहा है और वह एक किराए का आवास है । अत: इस अनुतोष का स्वयं आवेदक द्वारा भी परित्याग कर दिया गया है और इसलिए उसके संबंध में कोई जोर नहीं दिया गया है, तद्नुसार इस अनुतोष के संबंध में कोई न्यायनिर्णयन आवश्यक नहीं है । मामले से संबंधित उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पति, जिसने एकपक्षीय विवाह-विच्छेद डिक्री प्राप्त कर ली थी, जैसाकि पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है नियमित रूप से मध्यकता केन्द्र के समक्ष उपस्थित हो रहा था और उसने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि उसने एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त कर ली है, इसकी बजाय वह अपनी पत्नी को यह आश्वासन देता रहा कि वह उसे वापस अपने घर में

लाना चाहता है । उसने निरंतर उसे अपने साथ रखने का आशय दर्शित किया जबकि उसने विवाह-विच्छेद संबंधी वाद फाइल कर दिया था और एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री भी अभिप्राप्त कर ली थी और उसके पश्चात् उसने दूसरा विवाह भी कर लिया । अत: अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट और साथ ही अपील न्यायालय का आदेश उपरोक्त तथ्यों पर आधारित प्रतीत होता है और वह विधिक परिप्रेक्ष्य में सही है । (पैरा 4, 5, 6, 7 और 8)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 यह उपबंधित करती है कि संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उच्च न्यायालय की ऐसा कोई आदेश करने, जिसे वह इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे, की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करती है । इसका अर्थ यह है कि इस धारा के अधीन अन्तर्निहित अधिकारिता यह उपबंध करती है कि न्यायालय के पास इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायालय की किसी प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति है । अत: न्याय के हित को सुरक्षित करने, किसी विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए इस न्यायालय को इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के साथ यह अन्तर्निहित अधिकारिता प्रदान की गई है । जबकि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005, संविधान के अधीन गारंटी किए गए महिलाओं के अधिकारों का ऐसी स्थिति में और अधिक प्रभावी रूप से संरक्षण करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया एक विशेष अधिनियम है, जहां किसी महिला को घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ित किया जाता है । इस प्रकार यह एक स्वयं में संपूर्ण संहिता है जिसमें अपील किए जाने की प्रक्रिया और शक्ति को उपबंधित किया गया है, जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने सम्यक् प्रक्रिया का प्रयोग करने के पश्चात् आक्षेपित

आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील खारिज की गई थी और इस अपील का निपटारा अपील न्यायालय द्वारा सम्यक्त: कर दिया गया था, अत: द्वितीय अपील न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 482 के अधीन अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । इस आवेदन में कोई गुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 6 एस. सी. सी. 588 : **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **गौर शेट्टी महेश जे. टी.** ;	9
[2008]	(2008) 8 एस. सी. सी. 781 : **मोनिका कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	11
[2008]	(2008) 1 एस. सी. सी. 474 : **हमीदा** बनाम **रशीद** ।	10

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2016 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन 16296 से संबंधित 2016 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन 20843.

वर्तमान अपील वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 81 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

आवेदकों की ओर से सर्वश्री कमलेश कुमार द्विवेदी और संदीप कुमार केसारी

प्रति पक्षकारों की ओर से ए. जी. ए. श्री पुनीत श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम – वर्तमान आवेदन सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और चार अन्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 482 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यों के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि इस आवेदन को

मंजूर किया जाए और 2013 के परिवाद मामला सं. 584 (सरिता बनाम सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और अन्य) में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 4, अलीगढ़ द्वारा तारीख 16 अप्रैल, 2016 को पारित निर्णय को अभिखंडित किया जाए । उपरोक्त मामला जिला अलीगढ़ के पुलिस थाना ससानी गेट से संबंधित है । जहां सोम प्रकाश रावत उर्फ सन्नी और अन्यों के विरुद्ध महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 12, 18, 19, 21 और 22 के अधीन परिवाद फाइल किया गया था जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा इस मामले से संबंधित वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 81 (सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में तारीख 24 जून, 2016 को आदेश पारित किया गया था । इसके अतिरिक्त यह और प्रार्थना की गई है कि इन कार्यवाहियों का निपटारा होने तक उपरोक्त दो आदेशों के प्रभाव को आस्थगित किया जाए ।

2. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पुलिस थाना ससानी गेट, जिला अलीगढ़ में सोम प्रकाश रावत **उर्फ** सन्नी की पत्नी श्रीमती सरिता द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12, 18, 19, 21 और 22 के अधीन एक परिवाद फाइल किया गया जिसके द्वारा यह प्रार्थना की गई कि श्रीमती सरिता को उसका स्त्रीधन, भरणपोषण और उसके ससुराल वाले घर में उसके पति के साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाए । इन दोनों के बीच तारीख 18 नवंबर, 2010 को विवाह अनुष्ठापित हुआ था और इस विवाह में श्रीमती सरिता के पिता द्वारा 7,00,000/- रुपए का व्यय किया गया था । श्रीमती सरिता के बहनोई विपिन कुमार ने ऐसी वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत की थी जिन्हें श्रीमती सरिता के माता-पिता द्वारा नकद पैसा देकर आगरा से क्रय किया जाना था । इस सूची में एक डबल बैड, सोफा सैट, एलईडी 32 इंच का टीवी, ए.सी., फ्रिज, बर्तनों, कपड़ों, ड्राइनिंग टेबल, ड्राइंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मोटरसाइकिल और अन्य वस्तुओं का उल्लेख था । विपिन कुमार को, जो उसके पति का जीजा है, 5,00,000/- रुपए नकद का संदाय किया गया किन्तु सगाई के समय केवल एक मोटरसाइकिल

ही दिखाई गई थी । वस्तुओं के क्रय हेतु संदाय किए गए शेष धन के बारे में यह बताया गया था कि उसे भिन्न-भिन्न दुकानों में वस्तुओं के क्रय हेतु जमा किया गया है और विवाह के पश्चात् वे सभी वस्तुएं उनके घर पहुंच जाएंगी । किन्तु विवाह की तारीख के 15 दिन पश्चात् भी वे वस्तुएं वहां नहीं पहुंची थीं । पति-पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और परिवादी के अनुसार दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया और इस संबंध में उसके द्वारा उसके आवेदन में घरेलू हिंसा के रूप में उसके प्रति हिंसक व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया । उसके पश्चात् उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों ने उसके सारे गहने और स्त्रीधन छीनने के पश्चात् उसे घर से बाहर निकाल दिया जिसके उपरांत वह अपने माता-पिता के घर गई जहां उसने इस संपूर्ण घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी तथा इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई । इसके पश्चात् उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों ने इसे मनाने की चेष्टा की और उसे यह आश्वासन दिया कि उसे आगे कोई ओर प्रताड़ना नहीं दी जाएगी और इस आश्वासन पर विश्वास करके आवेदक अपने पति के साथ वापस उसके घर चली गई । उसका पति बदायूं स्थित एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत था और वह उस समय 1,80,000/- रुपए प्रतिमास का वेतन प्राप्त कर रहा था । दोनों पति-पत्नी के बीच हुए समझौते के आधार पर वह तारीख 7 अगस्त, 2012 को अपने ससुराल वाले घर में गई । उसके पश्चात् उसे उझियानी, बदायूं ले जाया गया जहां वह एक किराए के मकान में रहने लगी । वहां वह अपने पति के साथ तारीख 7 अगस्त, 2012 से तारीख 10 सितंबर, 2012 तक निवास करती रही जिसके पश्चात् उनके संबंधों में पुन: तनाव आ गया । इसके पश्चात् उसे वापस अलीगढ़ वाले घर भेज दिया गया और इस प्रकार उसके पति ने उसे अपने साथ नहीं रखा था । पुन: उसके ससुराल पक्ष वालों द्वारा उसे मनाने की चेष्टा की गई और तारीख 12 जून, 2013 को उसका पति, ससुर और विपिन कुमार उसके घर आए और उन्होंने यह मांग रखी कि जब तक दहेज संबंधी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता, आवेदक की विदाई संभव नहीं थी । उसके पश्चात् दोनों पक्षों में वाद-विवाद और हाथापाई हुई । अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके साथ गाली गलौज किया और उसके पश्चात् उसके

द्वारा तारीख 13 जून, 2013 को महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया जिसमें उसने संरक्षण हेतु प्रार्थना की थी । इसके अतिरिक्त, विवाह के समय संदत्त किए गए 5,00,000/- रुपए वापस दिलाने और साथ ही 5,000/- रुपए प्रतिमास का भरणपोषण प्रदान करने का अनुरोध भी किया गया । इसके अलावा यह प्रार्थना भी की गई कि ससुराल पक्ष के घर में उसके लिए आवास भी उपलब्ध कराया जाए । इस संबंध में उसके पति ने अपना आक्षेप प्रस्तुत किया । तारीख 18 नवंबर, 2010 को विवाह का अनुष्ठापन एक स्वीकृत तथ्य है किन्तु दहेज के दिए जाने और एल. जी. कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य करते हुए वेतन के रूप में 1,80,000/- रुपए के प्रतिमास के उपार्जन संबंधी तथ्यों से इनकार किया गया । यह कथन किया गया कि उसकी आय केवल 5,200/- रुपए प्रतिमास थी । इसके अलावा यह भी कथन किया गया कि तारीख 18 सितंबर, 2011 के पश्चात् आवेदक कभी भी अपने पति के साथ नहीं रही थी । पति बदायूं स्थित एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत है । उसने यह भी कथन किया कि उसके और उसकी पत्नी के बीच कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं रहे । मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अपने निष्कर्षों के साथ एक निर्णय पारित किया जिसके द्वारा स्त्रीधन के बदले आवेदक को निर्णय की तारीख से दो मास के भीतर उसके पति द्वारा 5,00,000/- रुपए का संदाय करने का निदेश दिया गया और साथ ही भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए प्रतिमास संदाय करने का भी निदेश दिया गया । इसके अतिरिक्त, यह भी निदेश दिया गया कि आवेदक के ससुराल पक्ष के राधास्वामी हजूरी भवन, पीपल मंडी, आगरा स्थित गृह में आवेदक को शौचालय की सुविधा के साथ आवास हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराया जाए और यह कक्ष उस गृह के ऊपर वाले हिस्से में उपलब्ध कराया जाए जहां राधास्वामी न्यास के भवन में उसकी ससुराल पक्ष के लोग निवास कर रहे थे । इसके अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह को भी भंग कर दिया गया जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए विवाह की पुन: बहाली के आवेदन को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था और इस निर्णय के विरुद्ध एक एक त्रुटि दूर करने संबंधी अपील

उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है । किसी भी न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद की उपरोक्त डिक्री को आस्थगित करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है । इसके पश्चात् आवेदक के पति का पुन: विवाह हुआ और उसके दो बालक भी हुए जिनके साथ वह वर्तमान में निवास कर रहा है और ऊपर बताई गई परिस्थितियों में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उस घर में, जिसमें वह अपनी दूसरी पत्नी और बालकों के साथ निवास कर रहा है, आवेदक को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाए क्योंकि आवेदक स्वयं अपने पति के दूसरे कुटुंब के साथ रहना पसन्द नहीं करेगी जिसमें उसकी दूसरी पत्नी और बालक सम्मिलित हैं । वह गृह, जिसके संबंध में एक कक्ष आवेदक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, वर्तमान में आवेदक के ससुराल पक्ष के कब्जे में नहीं है । उक्त गृह को तारीख 20 जून, 2017 को राधास्वामी न्यास को लौटा दिया गया था । 5,000/- रुपए प्रतिमास का भरणपोषण मंजूर करने का आदेश भी आधारहीन था फिर भी पूर्वोक्त न्यायालय के आदेश की अनुपालना करते हुए और साथ ही इस न्यायालय द्वारा त्रुटि दूर करने हेतु फाइल की गई दांडिक अपील में पारित निर्णय का अनुपालन करते हुए उक्त भरणपोषण का संदाय प्रतिमास आवेदक को किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 5,00,000/- रुपए का संदाय करने का आदेश भी आधारहीन था और वह आवेदक के पति की क्षमता से परे है । इसलिए उक्त आदेश को अपील न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, अलीगढ़ में वर्ष 2016 की दांडिक अपील सं. 81 में दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी । दोनों न्यायालयों ने, उनके समक्ष उठाए गए उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी की है । यह विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समतुल्य है और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया गया है जिसके द्वारा उपरोक्त आवेदन को मंजूर करने और महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन फाइल की गई कार्यवाहियों के साथ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है ।

3. आवेदक-प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस तर्क का कड़ा विरोध किया और यह दलील दी है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005, जो एक सामाजिक-आर्थिक विधान है, के अधीन कार्यवाहियां और कुटुंब न्यायालयों या इस न्यायालय के समक्ष चल रही अन्य कार्यवाहियों का इन कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक विरोधी पक्षकार सं. 1 की पत्नी है । विवाह-विच्छेद की अभिकथित डिक्री एक एकपक्षीय डिक्री है जिसे कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया क्योंकि सम्मनों आदि की कोई भी तामील नहीं की गई थी और इसलिए जब आवेदक को इस एकपक्षीय आदेश की जानकारी हुई तो उसने तुरंत उक्त डिक्री को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल किया था और विचारण न्यायालय ने उदारता दिखाते हुए विलंब को माफ करने हेतु आवेदन को मंजूर किया था किन्तु विवाह-विच्छेद की डिक्री को वापस लिए जाने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसके लिए इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई है और यह अपील निपटान हेतु इस न्यायालय में लंबित है । इस प्रकार विवाह-विच्छेद अभी न्यायाधीन है । इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे तत्पश्चात् मध्यकता केन्द्र को निर्दिष्ट किया गया जहां दोनों पक्षकार दो मास से अधिक समय से सतत् रूप से उपस्थित हुए और आवेदक के पति ने सदैव यह इच्छा दर्शित करते हुए कि वह अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है उसे अनेक तरह के आश्वासन दिए और किसी भी समय उसने यह प्रकट नहीं किया कि उसने विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली है और उसने दूसरा विवाह भी कर लिया है । उसके द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया । यह बात स्वयं में यह दर्शित करती है कि वह किस प्रकार दोहरी चाल चल रहा था, एक ओर वह अपनी मासूमियत दर्शित करते हुए मध्यकता केन्द्र में इस आशय के साथ उपस्थित होता रहा कि वह अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है और दूसरी तरफ उसने कपटपूर्वक एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली थी और उसने कभी-भी इस तथ्य को प्रकट नहीं किया । आवेदक ने, जो उसकी विधिक रूप से विवाहित पत्नी है, उसके प्रति दिखाई जा रही क्रूरता के विरुद्ध महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005

के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जिला परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट अभिप्राप्त की गई जो उपरोक्त आवेदन से संबंधित थी । इसके पश्चात् दोनों पक्षकारों को उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया जिसके उपरांत दोनों पक्षकारों द्वारा अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और विचारण न्यायालय ने 5,00,000/- रुपए के संदाय से माध्यम से आवेदक को स्त्रीधन का परिदान करने और 5,000/- रुपए प्रतिमास की दर से भरणपोषण लेने और साथ ही उसके ससुराल पक्ष के गृह में उसे आवास के रूप में एक कक्ष उपलब्ध कराने का निदेश देने वाला आदेश पारित करते हुए आवेदक को संरक्षण प्रदान किया । यद्यपि यह बात सत्य है कि उपरोक्त परिसर को आवेदक के ससुराल पक्ष द्वारा लौटा दिया गया है और इसलिए उससे संबंधित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सकता । इस प्रकार वर्तमान में आवेदक के ससुराल पक्ष के लोग उपरोक्त परिसर में निवास नहीं कर रहे हैं और उसका पति अब अपनी दूसरी पत्नी और दो बालकों के साथ निवास कर रहा है अत: उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक उसके साथ निवास करने की स्थिति में नहीं है, किन्तु आक्षेपित आदेश द्वारा, जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है, आवेदक को घरेलू हिंसा से पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया था । अत: इस न्यायालय से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए यह आशयित नहीं है कि वह तथ्यात्मक साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए अपील न्यायालय के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करे और इस प्रकार स्वयं को एक द्वितीय अपील न्यायालय समझे । अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग उस समय किया जाना होता है जब विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया हो और न्याय की अवहेलना की दशा में न्याय प्रदान करने के लिए भी इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु इस आवेदन के माध्यम से उससे अपील न्यायालय के रूप में शक्ति का प्रयोग करने की प्रार्थना की गई है । अत: इस आवेदन को खारिज किया जाता है ।

4. दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने और अभिलेख

पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात् हमारी सुविचारित राय निम्नानुसार है ।

5. यह स्पष्ट है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 को इस उद्देश्य के साथ पारित किया गया था कि ऐसी महिलाओं को जो उनके कुटुंब के भीतर होने वाली हिंसा का शिकार है, संविधान के अधीन गारंटी किए गए अधिकारों के प्रभावी संरक्षण और साथ ही उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध किया जा सके । यह एक ऐसी सांविधानिक आज्ञा थी जिसे ऐसी महिलाओं के संरक्षण हेतु इस विधान द्वारा पूरा किया गया, जिनके साथ उनके कुटुंब के भीतर क्रूरतापूर्वक या हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है । यह अधिनियम इस प्रकार के अन्य अधिनियमों और कुटुंब न्यायालय अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 आदि के अधीन उपबंधित की गई प्रक्रियाओं से भिन्न है । यह एक ऐसा अधिनियम है जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले अन्य उपबंधों के अतिरिक्त प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंधित किया गया है और अपने इस अधिकार के संरक्षण हेतु आवेदक द्वारा यह आवेदन फाइल किया गया था । स्वीकृत रूप से आवेदक सोम प्रकाश रावत की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और उसके पति द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जब उसका विवाह उसके साथ हुआ था तब वह आगरा विश्वविद्यालय में समूह-4 की नौकरी कर रहा था जिससे यह तात्पर्य है कि वह आगरा विश्वविद्यालय का एक समूह-4 का एक कर्मचारी था और वह अपनी पत्नी का भरणपोषण करने में समर्थ था इसलिए आवेदक ने उससे विवाह किया था । उसके पश्चात् वह एल. जी. सेवा केन्द्र में नौकरी करने लगा किन्तु यह सेवा केन्द्र उसी विपिन कुमार का था, जिसे विवाह के समय 5,00,000/- रुपए का नकद का संदाय किया गया था । पति-पत्नी के बीच के संबंध तनावपूर्ण थे । आवेदक ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था । उसकी प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने उसके विरुद्ध की गई हिंसा के ब्यौरों को प्रकट किया। इसी संबंध में जिला परिवीक्षा अधिकारी ने भी रिपोर्ट किया है । शपथ पर यह कथन किया गया है कि

दहेज के बदले नकद 5,00,000/- रुपए का संदाय किया गया जिसका उपयोग दहेज और गृहस्थी की अन्य वस्तुओं का क्रय करने के लिए किया गया था । पति ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है जिसे उसने विवाह में प्राप्त किया था किन्तु वह यह नहीं बता सका था कि वह मोटरसाइकिल कब और कैसे उसके नाम पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस मोटरसाइकिल के संबंध में यह कथन किया गया है कि उसे दहेज के रूप में दिया गया था । यह कथन किया गया है कि कुल मिलाकर आवेदक के उपयोग हेतु घरेलू वस्तुओं के क्रय के लिए 5,00,000/- रुपए का नकद का संदाय किया गया जो स्त्रीधन के समतुल्य है । अत: विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों के अभिसाक्ष्यों की परीक्षा करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक विरोधी पक्षकार सं. 1 की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है और वह भरणपोषण के लिए हकदार थी जिससे वह उसके समक्ष आई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके जिस संबंध में 5,000/- रुपए प्रतिमास का नियमित संदाय उसे किया जा रहा है जिसे इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया है और जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है । पूर्वोक्त अपील, जिसे उक्त आदेश के विरुद्ध संस्थित किया गया था और जिसके द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री को वापस लेने हेतु किए गए प्रत्यावर्तन आवेदन को खारिज किया गया था । अत: इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक का पति चाहे वह एल. जी. सेवा केन्द्र में कार्यरत हो या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, भरणपोषण के रूप में 5,000/- रुपए का प्रतिमास का नियमित संदाय कर रहा है क्योंकि उसे विधिक रूप से अपनी पत्नी का भरणपोषण करना है । अत: 5,000/- रुपए प्रतिमास की यह अल्प राशि एक वास्तविक राशि थी जिसे न्यायोचित्त रूप से आवेदक के भरणपोषण हेतु दिए जाने का निदेश दिया गया था और इसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई थी ।

6. जहां तक 5,00,000/- रुपए का संबंध है, यह साबित किया गया था कि उसका संदाय आवेदक के माता-पिता द्वारा उसकी घरेलू वस्तुओं के लिए विवाह के समय किया गया था जिसके संबंध में आवेदक के

पति और उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रस्तुत किया गया था अत: उक्त रकम को स्त्रीधन के रूप में आवेदक को वापस संदाय किए जाने का निदेश भी सर्वथा उचित और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है ।

7. आवास के संबंध में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आवेदक का उसके पति के साथ उसके आवास में निवास करना संभव नहीं है क्योंकि वहां वह अपनी दूसरी पत्नी और बालकों के साथ रह रहा है और वह एक किराए का आवास है । अत: इस अनुतोष का स्वयं आवेदक द्वारा भी परित्याग कर दिया गया है और इसलिए उसके संबंध में कोई जोर नहीं दिया गया है, तद्नुसार इस अनुतोष के संबंध में कोई न्यायनिर्णयन आवश्यक नहीं है ।

8. मामले से संबंधित उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पति, जिसने एकपक्षीय विवाह-विच्छेद डिक्री प्राप्त कर ली थी, जैसाकि पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है नियमित रूप से मध्यकता केन्द्र के समक्ष उपस्थित हो रहा था और उसने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि उसने एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त कर ली है, इसकी बजाय वह अपनी पत्नी को यह आश्वासन देता रहा कि वह उसे वापस अपने घर में लाना चाहता है । उसने निरंतर उसे अपने साथ रखने का आशय दर्शित किया जबकि उसने विवाह-विच्छेद संबंधी वाद फाइल कर दिया था और एकपक्षीय रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री भी अभिप्राप्त कर ली थी और उसके पश्चात् उसने दूसरा विवाह भी कर लिया । अत: अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट और साथ ही अपील न्यायालय का आदेश उपरोक्त तथ्यों पर आधारित प्रतीत होता है और वह विधिक परिप्रेक्ष्य में सही है ।

9. उच्चतम न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **गौर शेट्टी महेश जे. टी.**[1] वाले मामले में यह प्रतिपादित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय कोई न्यायालय या उच्च न्यायालय सामान्य रूप से यह जांच नहीं कर सकता

[1] (2010) 6 एस. सी. सी. 588.

कि क्या प्रश्नगत साक्ष्य विश्वसनीय है या फिर उसके संबंध में कोई युक्तियुक्त आशंका तो नहीं है और इस प्रकार आरोप संवहनीय हो सकते हैं अथवा नहीं । इसकी बजाए यह कृत्य विचारण न्यायाधीश का है ।

10. उच्चतम न्यायालय ने **हमीदा** बनाम **रशीद**[1] वाले मामले में यह प्रतिपादित किया है कि न्याय उस समय बेहतर रूप से प्रदान किया जा सकेगा यदि न्यायालय का बहुमूल्य समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई याचिकाओं की सुनवाई में नष्ट न होकर अपीलों की सुनवाई में बेहतर रूप से उपयोग में लाया जाए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिकाएं अंतर्वर्ती प्रक्रम पर फाइल की जाती हैं, जिनका उद्देश्य विहित प्रक्रिया को बाधित करना या विचारण में विलंब करना होता है जिसके दौरान वे साक्षियों पर दबाव बना सकें या वे इतने विलंब के कारण साक्ष्य देने में अपनी दिलचस्पी खो दें जिसके परिणामस्वरूप अंतत: उचित न्याय नहीं मिल पाता है ।

11. इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने **मोनिका कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में यह प्रतिपादित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग यदाकदा, ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक करना चाहिए और उसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब स्वयं उक्त धारा में विनिर्दिष्ट रूप से अधिकथित शर्तें न्यायोचित प्रतीत होती हैं ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 यह उपबंधित करती है कि संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उच्च न्यायालय की ऐसा कोई आदेश करने, जिसे वह इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे, की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करती है । इसका अर्थ यह है कि इस धारा के अधीन अन्तर्निहित अधिकारिता यह उपबंध करती है कि न्यायालय के

---

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 474.

[2] (2008) 8 एस. सी. सी. 781.

पास इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायालय की किसी प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या अन्यथा न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति है । अत: न्याय के हित को सुरक्षित करने, किसी विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए इस न्यायालय को इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के साथ यह अन्तर्निहित अधिकारिता प्रदान की गई है । जबकि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005, संविधान के अधीन गारंटी किए गए महिलाओं के अधिकारों का ऐसी स्थिति में और अधिक प्रभावी रूप से संरक्षण करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया एक विशेष अधिनियम है, जहां किसी महिला को घरेलू हिंसा द्वारा प्रताड़ित किया जाता है । इस प्रकार यह एक स्वयं में संपूर्ण संहिता है जिसमें अपील किए जाने की प्रक्रिया और शक्ति को उपबंधित किया गया है, जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने सम्यक् प्रक्रिया का प्रयोग करने के पश्चात् आक्षेपित आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील खारिज की गई थी और इस अपील का निपटारा अपील न्यायालय द्वारा सम्यक्त: कर दिया गया था, अत: द्वितीय अपील न्यायालय के रूप में अपील न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 482 के अधीन अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है ।

13. इस आवेदन में कोई गुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

14. तथापि, उपरोक्त परिवर्तित परिस्थितियों में आवेदक को आवास उपलब्ध कराए जाने संबंधी आदेश का एक भाग निष्पादन योग्य नहीं रहा है जिसके लिए मजिस्ट्रेट समुचित रूप से विचार करेंगे और विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पु.

गोकुल मेच

बनाम

असम राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 434)

तारीख 6 मई, 2020

न्यायमूर्ति हितेश कुमार सरमा

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 304 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 और 8] – दुकानदार से झगड़ा – क्रोध में अभियुक्त द्वारा मृतक की गर्दन पर दाव से वार किया जाना और परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु – अभियोजन साक्षियों द्वारा सुना जाना कि बाजार में हत्या हो गई है – उक्त कथन की अभिपुष्टि न होना – अभियुक्त की पत्नी द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि मृतक ने दुकान का सामान सड़क पर फेंक कर झगड़ा आरंभ किया था – अभियुक्त द्वारा हथियार के साथ पुलिस थाने पहुंचकर आत्म-समर्पण – अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना – अभियुक्त की ओर से हत्या की कोई पूर्व योजना या इरादा न होना – अचानक हुए झगड़े में अत्यधिक क्रोधवश होकर अभियुक्त द्वारा मृतक पर बिना किसी पूर्वचिन्तन के वार किया गया है – अत: अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 की बजाय धारा 304 के भाग 2 के अधीन उपान्तरित करना उपयुक्त है ।

अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं, घटना की तारीख, अर्थात् 31 दिसंबर, 2014 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे सूचना देने वाले व्यक्ति का भाई नुमाल गोगोई अभि. सा. 2 सुअर का मांस खरीदने के लिए छापाखोवा स्थित बाजार गया । अपीलार्थी सुअर के मांस का विक्रेता है और उसकी दुकान उक्त बाजार में स्थित है । वहां मृतक और अपीलार्थी के बीच किसी बात को लेकर कहा-

सुनी हो गई । जिस पर क्रोधित होकर मृतक ने अपीलार्थी की दुकान से सुअर के मांस को उठाकर सड़क पर फेंक दिया । उसके पश्चात् अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पर किसी तेज धार वाले हथियार से चीरते हुए गले को क्षतियां कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । मृतक के भाई अभि. सा. 2 ने सादिया पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित है । उसके आधार पर पुलिस थाने में 2015 का मामला सं. 1 के रूप में एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया, उसका अन्वेषण किया गया, साक्ष्य एकत्रित किया गया और अंतत: अन्वेषण के पूरा हो जाने पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया । तथापि, इस मामले का अन्वेषण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व तारीख 31 दिसंबर, 2014 की जी. डी. प्रविष्टि सं. 678 के आधार पर आरंभ हो गया था, जो प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित है और यह प्रविष्टि स्वयं अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने में दी गई सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी । प्रदर्श-4 पर स्थित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 1 जनवरी, 2015, अर्थात् घटना की तारीख से अगले दिन दर्ज की गई । सभी अपेक्षित विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप के लिए विचारण आरंभ किया गया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 (सतरह) साक्षियों की परीक्षा की । प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने अभिवाक् में इस घटना से पूर्णतया इनकार किया । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया है । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि

अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उनके साबित पूर्वतन कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी ने ही प्रश्नगत अपराध कारित किया है । हमारा यह भी निष्कर्ष है कि अभि. सा. 17 (अन्वेषण करने वाले अधिकारी) का अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 द्वारा उसके समक्ष किए गए कथनों से संबंधित साक्ष्य अविवादित रहा है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने आगे यह भी दलील दी है कि प्रभारी अधिकारी उस सुसंगत समय पर पुलिस थाने में उपस्थित नहीं था जब अपीलार्थी अपने हाथ में दाव लिए पुलिस थाने पहुंचा था । अभि. सा. 17 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने प्रभारी अधिकारी के निदेशानुसार पुलिस थाने में अपीलार्थी के कब्जे से दाव का अभिगृहीत किया था और इस तथ्य को प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित जी. डी. प्रविष्टि में भी लेखबद्ध किया गया है । अभि. सा. 17 के इस साक्ष्य को झूठ साबित करने के लिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 10 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस प्रभाव का कथन किया है कि प्रभारी अधिकारी पुलिस थाने से बाहर था । किंतु इस निर्णय के पैरा 15 अभि. सा. 10 के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय में हमें पहले ही विश्वास हो गया है और हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रभारी अधिकारी अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने पहुंचने के सुसंगत समय पर पुलिस थाने में उपस्थित था । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने आगे यह और दलील दी है कि अपीलार्थी ने पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण नहीं किया था जैसा कि रोजनामचे में लेखबद्ध है और साथ ही उसने इस बात को भी संस्वीकार नहीं किया कि उसने मृतक की गर्दन में छिन्न क्षतियां कारित की हैं । जहां तक अपीलार्थी की न्यायेतर संस्वीकृति का संबंध है, हमने उसके संबंध में इस निर्णय के पैरा 31 में चर्चा की है । जैसा कि विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे दूर-दूर तक यह पता चल सके कि अपीलार्थी पुलिस थाने में इस तथ्य की रिपोर्ट करने आया था कि बाजार में कुछ लोगों ने एकत्रित होकर उस

पर हमला करने/उसे दबोचने का प्रयास किया था । अन्वेषण अधिकारी ने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि रोजनामचे में लेखबद्ध करने के तुरंत पश्चात् वह घटनास्थल की ओर गया था और यह बात इस तथ्य को दर्शित करती है कि मृतक पर क्षतियां कारित करने की पहली सूचना उसे स्वयं अपीलार्थी से प्राप्त हुई थी जैसा कि रोजनामचे में लेखबद्ध किया गया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 17) का यह कथन कि अपराध कारित करने के पश्चात् अपीलार्थी वहां से भाग गया था, वस्तुतः इस तथ्य को स्थापित करता है कि घटना के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी पुलिस थाने गया था । अभि. सा. 7 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उसने और अन्य व्यक्तियों ने घटना के पश्चात् अपीलार्थी को पकड़ने का प्रयत्न किया था । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार घटना अपराह्न लगभग 3.40-4.00 बजे के बीच घटित हुई थी और रोजनामचे के अनुसार अपीलार्थी अपराह्न लगभग 4.05 बजे पुलिस थाने पहुंचा था । अपीलार्थी की पत्नी, अर्थात् अभि. सा. 15 के साबित किए गए साक्ष्य से इस तथ्य की और भी पुष्टि हो जाती है कि मृतक की गर्दन पर क्षतियां कारित करने के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी अपने हाथ में दाव को लिए हुए पुलिस थाने की ओर चला गया था । हमारे मतानुसार यह साक्ष्य यह दर्शित करता है कि अपीलार्थी ने पुलिस थाने में जाकर आत्म-समर्पण किया था । तथापि, ऊपर की गई चर्चा के अनुसार अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14, और अभि. सा. 15 के साक्ष्य से इस न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि अपीलार्थी ने ही मृतक को घातक क्षतियां कारित की थीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 17 का साक्ष्य इस प्रभाव का है कि अपीलार्थी के कब्जे से दाव का अभिग्रहण प्रदर्श-5 के अनुसार से पुलिस थाने में किया गया था । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 इस अभिग्रहण के साक्षी हैं । तथापि, अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने यह नहीं देखा कि किस व्यक्ति से प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित दाव का अभिग्रहण किया गया था । अभि. सा. 9 के इस साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभि. सा. 9 ने उक्त अभिग्रहण का समर्थन नहीं किया है किंतु

उसके साक्ष्य के परिशीलन से यह पता चलता है कि अभि. सा. 9 ने साक्षी के रूप में प्रदर्श-5 और प्रदर्श-5(1) को प्रदर्शित और स्वीकार किया है तथा उन पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं । अभि. सा. 9 का ध्यान उसके उस पूर्वतन कथन की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि अभिग्रहण उसकी उपस्थिति में पुलिस थाने में ही किया गया था । यद्यपि अभि. सा. 9 ने ऐसा कथन किए जाने से इनकार किया है फिर भी इस खंडन को अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 17 के माध्यम से साबित किया गया है जैसा कि उसके साक्ष्य संबंधी चर्चा के दौरान पाया गया था । दूसरी ओर अभि. सा. 10 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह प्रदर्श-5 के माध्यम से किए गए अभिग्रहण का साक्षी है जिसमें प्रदर्श-5(2) पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । अभि. सा. 11 के इस साक्ष्य को कि घटना के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया था और अभि. सा. 7 के इस साक्ष्य को कि उसने अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी को पकड़ने का प्रयत्न किया था, जब अभि. सा. 15 के इस साक्ष्य के साथ विचार में लिया जाता है कि घटना के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी पुलिस थाने की ओर चला गया था, तब यह बात स्पष्ट हो जाती है और भलीभांति सिद्ध हो जाती है कि अपीलार्थी ने घटना के तुरंत पश्चात् घटनास्थल पर एकत्रित हुई भीड़ के हाथों पकड़े जाने के भय से तुरंत पुलिस थाने आकर आत्म-समर्पण कर दिया था और उपरोक्त साक्ष्य से घटना के पश्चात् का अपीलार्थी का व्यवहार भलीभांति स्पष्ट हो जाता है । जहां तक अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने में पुलिस कार्मिकों के समक्ष जब वह उनकी अभिरक्षा में था, स्वयं इस प्रभाव का अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन किए जाने का संबंध है कि उसने मृतक की गर्दन पर छिन्न क्षतियां पहुंचाई थीं और जिसका अवलंब विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा भी लिया गया है, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 67 में उपदर्शित होता है, इस न्यायालय का मत यह है कि अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति/संस्वीकृति, जब वह पुलिस थाने में पुलिस की अभिरक्षा में था, स्वीकार्य नहीं है और उसे साक्ष्य स्वरूप विचार में नहीं लिया जा सकता । पक्षद्रोही साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि.

सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 13, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 के साबित साक्षियों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही घटना के पश्चात् की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए, जिनमें अपीलार्थी अपने हाथ में दाव लिए हुए घटनास्थल पर एकत्रित हुई भीड़ द्वारा पकड़े जाने के भय से स्वयं पुलिस थाने पहुंच गया था, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थी ने ही इस अपराध को कारित किया है । अब यह प्रश्न उठता है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध है या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है । इस मामले में विधिक स्थिति को समझने के लिए हमने वर्तमान मामले के तथ्यों में दंड संहिता की धारा 300 में दिए गए अपवादों का परिशीलन किया और इस स्थिति में अपवाद संख्या 4 लागू होता है । यद्यपि अपीलार्थी का पक्षकथन यह नहीं है कि उसने गंभीर और अचानक प्रकोपन और पूर्वचिंतन के बिना अपराध कारित किया है फिर भी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, विशेष रूप से अभि. सा. 15 का साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि मृतक ने अपीलार्थी के साथ कहा-सुनी/झगड़ा आरंभ किया था और उसने अपीलार्थी की दुकान से सारा मांस उठाकर सड़क पर फेंक दिया था और इस प्रकार उसने ऐसा करके अपीलार्थी को इस रीति में प्रतिक्रिया करने के लिए प्रकोपित किया । इस मामले में अपीलार्थी द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने में कोई पूर्व चिंतन इंगित करने वाला कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है । साक्ष्य से, उसे पूर्ण रूप से पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में मृतक के शरीर पर घातक क्षतियां कारित की थीं । इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की परिधि में आता है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री भूयान ने इस तथ्य के संबंध में सहमति दर्शित की है कि अपीलार्थी ने प्रकोपन के कारण अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में मृतक के शरीर पर घातक क्षतियां पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित की है और उसका यह कृत्य उसके अनुसार दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है । तद्नुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय

अपराध से परिवर्तित करके दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध के अंतर्गत लाया जाता है । तद्नुसार, मामले के संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का मत यह है कि दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी को 10 (दस) वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 (छह) मास के साधारण कारावास के दंडादिष्ट किया जाना न्यायोचित होगा । तद्नुसार अभियुक्त-अपीलार्थी को दंडादिष्ट किया जाता है । मृतक के निकट संबंधी को प्रतिकर के संदाय के संबंध में किया गया विद्वान् विचारण न्यायालय का आदेश कायम रहेगा । अभियुक्त-अपीलार्थी की अभिरक्षा की अवधि को, जो उसने अन्वेषण प्रक्रम, विचारण के दौरान और विद्वान् निचले न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भोगी है, अभियुक्त-अपीलार्थी पर अधिरोपित सारवान् दंडादेश से घटा दिया जाएगा । तद्नुसार अपील आंशिक रूप से मंजूर की जाती है । अपीलार्थी को अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन सारवान् दंडादेश में से घटा दिया जाए । (पैरा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 9 एस. सी. सी. 588 : ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3043 : **वी. के. मिश्रा और अन्य** बनाम **उत्तराखंड राज्य और अन्य ;**	24
[2010]	(2010) 4 एस. सी. सी. 491 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1900 : **भारतीय जीवन बीमा निगम और** **अन्य** बनाम **रामपाल सिंह बिसन ;**	29
[1959]	ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012 : **तहसीलदार सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ।**	26

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 434.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-2, त्वरित निपटान न्यायालय, तिनसुकिया द्वारा 2015 के सेशन मामला सं. 107 में तारीख 17 जुलाई, 2017 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

याचियों की ओर से श्री ए. के. अहमद

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री बी. भूयान

न्यायमूर्ति हितेश कुमार सरमा – वर्तमान अपील 2017 के सेशन मामला सं. 107 में तारीख 17 जुलाई, 2017 को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-2 त्वरित निपटान न्यायालय, तिनसुकिया द्वारा पारित उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया गया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए आजीवन कठोर कारावास और 20,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर उसे अतिरिक्त 6 (छह) माह के कठोर कारावास को भुगतने का निदेश भी दिया गया ।

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री ए. के. अहमद को सुना और साथ ही प्रत्यर्थी सं. 1 (राज्य) की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बी. भूयान को भी सुना । हमने विचारण न्यायालय के अभिलेखों और आक्षेपित निर्णय का भी परिशीलन किया ।

3. वर्तमान मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि घटना की तारीख, अर्थात् 31 दिसंबर, 2014 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे सूचना देने वाले व्यक्ति का भाई नुमाल गोगोई अभि. सा. 2 सुअर का मांस खरीदने के लिए छापाखोवा स्थित बाजार गया । अपीलार्थी सुअर के मांस का विक्रेता है और उसकी दुकान उक्त बाजार में स्थित है । वहां मृतक और अपीलार्थी के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई । जिस पर

क्रोधित होकर मृतक ने अपीलार्थी की दुकान से सुअर के मांस को उठाकर सड़क पर फेंक दिया । उसके पश्चात् अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पर किसी तेज धार वाले हथियार से चीरते हुए गले को क्षतियां कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई ।

4. मृतक के भाई अभि. सा. 2 ने सादिया पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित है । उसके आधार पर पुलिस थाने में 2015 का मामला सं. 1 के रूप में एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया, उसका अन्वेषण किया गया, साक्ष्य एकत्रित किया गया और अंतत: अन्वेषण के पूरा हो जाने पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया । तथापि, इस मामले का अन्वेषण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व तारीख 31 दिसंबर, 2014 की जी. डी. प्रविष्टि सं. 678 के आधार पर आरंभ हो गया था, जो प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित है और यह प्रविष्टि स्वयं अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने में दी गई सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी । प्रदर्श-4 पर स्थित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 1 जनवरी, 2015, अर्थात् घटना की तारीख से अगले दिन दर्ज की गई ।

5. सभी अपेक्षित विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप के लिए विचारण आरंभ किया गया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 (सतरह) साक्षियों की परीक्षा की । प्रतिरक्षा पक्ष ने कोई भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने अभिवाक् में इस घटना से पूर्णतया इनकार किया । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया है ।

6. अब हम यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की जांच करेंगे कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित करने में सफल रहा है ।

7. अभि. सा. 1 शव-परीक्षा करने वाला डाक्टर है । उसने यह

अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 31 दिसंबर, 2014 को अपराह्न लगभग 4.30 बजे उसने मृतक नुमाल गोगोई के मृत शरीर की शव-परीक्षा की थी । उसने अपने निष्कर्षों को प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित शव-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से लेखबद्ध किया, जो निम्नानुसार हैं :-

> "बाहरी आकृति: एक औसत कद-काठी के पुरुष का शव जिसमें शव-कठिन्य मौजूद नहीं है । क्षति : गर्दन की बाईं ओर एक स्पष्ट काटे जाने का घाव, जिसका आकार 12 सें. मी. × 3 सें. मी. × 4½ सें. मी. है और जिसके कारण गल-शिरा और कैरोटिड रक्त नलिका पूरी तरह कट गई हैं । शरीर के अन्य अंग सामान्य पाए गए ।
>
> उन्होंने यह भी राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण चीरा लगने से हुआ अत्यधिक रक्तस्राव था और उसके परिणामस्वरूप मानसिक आघात था जो मानववध की प्रकृति का था । इस चिकित्सक ने प्रदर्श-2 के माध्यम से मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और उसके हस्ताक्षर प्रदर्श-2(1), प्रदर्श-2(2), प्रदर्श-2(3) और प्रदर्श-2(4) पर हैं ।"

8. सूचना देने वाले व्यक्ति अभि. सा. 2 का साक्ष्य इस प्रभाव का है कि घटना के दिन अपराह्न लगभग 3.30 बजे उसे एक मृदुल गोगोई नामक व्यक्ति से यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके भाई पर किसी ने हमला किया था । उसे इस बात का पता पुलिस थाने आने पर ही लगा कि अपीलार्थी ने उसके भाई की हत्या की है । अभि. सा. 2 के इस साक्ष्य का, उस व्यक्ति के पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना जिसने उसे इस घटना के संबंध में सूचित किया था, कोई भी साक्ष्यिक महत्व नहीं है क्योंकि यह एक अनुश्रुत साक्ष्य है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 को मृदुल गोगोई द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके भाई पर हमला किया है, फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा इस व्यक्ति की परीक्षा नहीं की गई है ।

9. श्री मोनी राम गोगोई (अभि. सा. 3) और श्री कांतेश्वर बोरगोहेन (अभि. सा. 4) ने केवल घटना के बारे में सुना था । उन्होंने अभिकथित अपराध कारित किए जाने में अपीलार्थी को कहीं भी संलिप्त नहीं किया

है । अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य की अनुपस्थिति में प्रतिरक्षा पक्ष ने उनकी प्रतिपरीक्षा भी नहीं की । अभियोजन पक्ष के लिए भी उनका साक्ष्य महत्वहीन प्रतीत होता है ।

10. श्री कालिया (अभि. सा. 5) ने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि उसने घटनास्थल के आसपास कुछ व्यक्तियों से इस घटना के बारे में सुना था । उसने उन व्यक्तियों से यह भी सुना था कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की है । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई कथन नहीं किया था । स्वीकार्य रूप से घटना के संबंध में उसके पास कोई निजी जानकारी नहीं है । उन व्यक्तियों को भी जिनसे उसने इस घटना के घटित होने के संबंध में सुना था, अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत: साक्ष्य अनुश्रुत प्रकृति का होने के कारण महत्वहीन है ।

11. श्रीमती सबिता गोगोई (अभि. सा. 6) मृतक की पत्नी है । उसके मृत पति ने घटना से तुरंत पूर्व फोन से उसे यह सूचना दी थी कि वह कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार आया था । अपराह्न लगभग 4.30 बजे उसे किसी व्यक्ति ने यह सूचित किया कि उसके पति के गले में चीरा लगाकर क्षतियां पहुंचाई गई हैं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभि. सा. 2 अर्थात् उसके मृत पति के बड़े भाई ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है । अभि. सा. 6 के इस प्रकार के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे घटना के संबंध में कोई निजी जानकारी नहीं थी । वह उस व्यक्ति का नाम प्रकट करने में भी असमर्थ थी जिसने उसे घटना के संबंध में जानकारी दी थी । तद्नुसार अभि. सा. 6 का साक्ष्य भी सुने-सुनाए साक्ष्य की प्रकृति का है और वह भी अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य की कोटि में आता है ।

12. उपेन भराली (अभि. सा. 7), ने जो घटना के समय सादिया डेली बाजार में उपस्थित था, यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे कहीं से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि बाजार में एक हत्या हो गई है । यह सुनकर वह श्री बुबुल बुरागोहेन (अभि. सा. 8) के साथ घटनास्थल पर

पहुंचा और उसने यह देखा कि मृतक भूमि पर पड़ा हुआ था । तब ये दोनों साक्षी अर्थात् अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 मृतक को अस्पताल ले गए जहां डाक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया । अभि. सा. 7 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन ने न्यायालय की अनुमति से उसकी प्रतिपरीक्षा भी की । उसका ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती बयान की ओर आकर्षित किया गया और उसे इस बारे में पूछा गया कि उसने उक्त बयान में यह कहा था कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने यह भी कथन किया था कि मैंने मृतक और अभियुक्त के बीच मांस के संबंध में झगड़ा होते देखा था । अचानक ही अभियुक्त ने एक छुरे से मृतक की गर्दन पर वार करके एक छिन्न क्षति कारित की । मैंने मृतक की गर्दन से रक्त निकलते देखा । मैंने अन्य व्यक्तियों के साथ उसे पकड़ने का प्रयास किया किंतु उसे पकड़ने में समर्थ नहीं हो सका । यद्यपि इस साक्षी ने इस प्रकार का बयान पुलिस को दिए जाने से इनकार किया है फिर भी अभियोजन पक्ष उसके उक्त कथन को अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) के कथन के माध्यम से साबित करने में सफल रहा है । अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त साक्षी ने जैसा बयान दिया था वैसा ही कथन उसके साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दिया गया है ।

13. बुबुल बुरागोहेन (अभि. सा. 8) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह सादिया डेली बाजार में खरीदारी करने में व्यस्त था उस समय अपराह्न लगभग 3.40-4.00 बजे उसने यह सुना कि बाजार में किसी की हत्या हो गई है और तब वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और वहां उसने देखा कि लोगों की भीड़ जमा थी और साथ ही उसने मृतक नुमाल को भूमि पर पड़े देखा जिसके आस-पास रक्त बिखरा हुआ था । उसके पश्चात् वह और अभि. सा. 7 मृतक को छापाखोवा एफआरयू अस्पताल ले गए जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया । इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और प्रक्रिया के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा भी की गई । उसका

ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती बयान की ओर आकर्षित किया गया और उसे इस बारे में पूछा गया कि उसने उक्त बयान में यह कहा था कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने यह भी कथन किया था कि मैंने मृतक और अभियुक्त के बीच मांस के संबंध में झगड़ा होते देखा था । अचानक ही अभियुक्त ने एक छुरे से मृतक की गर्दन पर वार करके एक छिन्न क्षति कारित की । मैंने मृतक की गर्दन से रक्त निकलते देखा । मैं उपेन भराली और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर नुमाल गोगोई को छापाखोवा एफआरयू अस्पताल ले गया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया । तथापि, इस साक्षी ने अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) के समक्ष ऐसा कोई कथन किए जाने से इनकार किया । अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 8 ने उसके समक्ष जैसा बयान दिया था वैसा ही कथन उसके साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दिया गया है ।

14. श्री दिनेश गोगोई (अभि. सा. 9) एक होमगार्ड है जो सादिया पुलिस थाने के साथ नियुक्त है । उसने अपीलार्थी को पुलिस थाने के लॉक-अप में देखा था । उसने घटना के दिन दोपहर 12.00 बजे पुलिस थाने में अपना पद संभाला था । वह प्रदर्श-5 के माध्यम से डीएओ के अभिग्रहण का साक्षी है । उसने अभिगृहीत डीएओ को एम. प्रदर्श-1 के रूप में प्रदर्शित भी किया है । इस साक्षी को भी प्रक्रिया के अनुसार पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन ने उसकी प्रतिपरीक्षा भी की । अभियोजन पक्ष ने उसका ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके द्वारा दिए गए उसके पूर्ववती बयान की ओर आकर्षित किया और साथ ही उससे यह पूछा गया कि अपने उक्त बयान में उसने यह कहा था कि अभिग्रहण के समय वह सादिया पुलिस थाने में संतरी की ड्यूटी पर था । पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एम. प्रदर्श-1 का अभिग्रहण किया गया और उसके संबंध में अभिग्रहण सूची को तैयार किया गया और मैंने साक्षी के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए

थे । उसने यह कथन किया कि घटना के दिन सायंकाल में अभियुक्त ने छापाखोवा डेली बाजार में मृतक की गर्दन पर वार किया था । यद्यपि इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई कथन किया था फिर भी अभियोजन पक्ष अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) के कथन के माध्यम से उसके साक्ष्य को साबित करने में सफल रहा है । अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त साक्षी ने जैसा बयान दिया था वैसा ही कथन उसके साक्ष्य के रूप में न्यायालय में दिया गया है ।

15. गणेश घाटोवार (अभि. सा. 10) एक पुलिस अधिकारी है और वह तारीख 31 दिसंबर, 2014 को सादिया पुलिस थाने में तैनात था । उस दिन उसने अपीलार्थी को पुलिस थाने में देखा था और उसके हाथ में एक छुरा (दाव) था । पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी श्री टीलूराम वर्मा ने उसे यह निदेश दिया कि वह अपीलार्थी को पुलिस लॉक-अप में डाल दे और उसने उक्त निदेश का पालन किया । वह प्रदर्श-5 के माध्यम से किए गए अभिग्रहण का भी साक्षी है जिस पर उसने प्रदर्श-5 (2) पर साक्षी के रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 10 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी दाव के साथ पुलिस थाने आया था और उसने यह रिपोर्ट किया कि बाजार में कुछ व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर उसे दबोचने का प्रयास किया था । अभि. सा. 10 के साक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि अपीलार्थी अपने हाथ में दाव लिए पुलिस थाने आया था और उसने दाव अपने स्वयं की सुरक्षा हेतु पकड़ा हुआ था क्योंकि बाजार में कुछ व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर उसे दबोचने का प्रयास किया था । पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी श्री टीलूराम वर्मा ने उसे लॉक-अप में बंद कर दिया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने उक्त प्रभारी अधिकारी के अनुदेश पर अपीलार्थी को लॉक-अप में बंद किया था । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह भी कथन किया है कि प्रभारी अधिकारी थाने से बाहर थे किंतु ऐसा करते हुए उसने विनिर्दिष्ट रूप से उस समय का उल्लेख नहीं किया है जब प्रभारी अधिकारी पुलिस थाने से बाहर थे ।

किंतु उसके कथन से यह एक स्वीकृत स्थिति प्रतीत होती है कि या तो उसने अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी के अनुदेश पर लॉक-अप में बंद किया था या प्रभारी अधिकारी ने स्वयं अपीलार्थी को लॉक-अप में बंद किया था और इसलिए इस बात पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि जिस समय अपीलार्थी पुलिस थाने आया था उस समय प्रभारी अधिकारी पुलिस थाने में उपस्थित था ।

16. श्री अमूल्य गोगोई (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि छापाखोवा अस्पताल में एकत्रित लोगों से उसने यह सुना था कि किसी व्यक्ति ग्रीवा में छिन्न क्षतियां कारित हुई हैं । उसे यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि उन क्षतियों के कारण उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई है । अभियोजन पक्ष ने न्यायालय की अनुमति से इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया और उसकी प्रतिपरीक्षा की । अभियोजन ने उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि उसने अपने पूर्ववर्ती कथन में अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को यह कहा था कि कल मैं मृतक के साथ सुअर का मांस खरीदने छापाखोवा बाजार गया था । जब हम दोनों एक दुकान से मांस खरीदने वाले थे उसी समय मृतक ने मुझे किसी अन्य दुकान से मांस खरीदने के लिए कहा । उस समय नुमाल और अभियुक्त के बीच झगड़ा हो गया और अचानक ही अभियुक्त ने मांस को काटने के लिए प्रयुक्त होने वाले दाव से मृतक की गर्दन पर वार किया और उसे क्षतियां कारित कीं । इस अपराध को कारित करने के पश्चात् वह वहां से भाग गया । हम नुमाल को छापाखोवा एफआरयू अस्पताल ले गए जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया । तथापि, इस साक्षी ने अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) के समक्ष ऐसा कोई कथन किए जाने से इनकार किया । अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 8 ने उसके समक्ष उसके साक्ष्य के रूप में न्यायालय के अभिलेख पर भी दिया गया है ।

17. श्री भूपेन देवरी (अभि. सा. 12) को इस घटना के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त हुई थी । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से

घटना के संबंध में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है और उसने यह कथन किया कि वह घटना के समय वहां उपस्थित नहीं था । अत: अभि. सा. 12 ने अपीलार्थी को अपराध के कारित किए जाने से नहीं जोड़ा है ।

18. श्री सायांजिद गुरागोहेन (अभि. सा. 13) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अपीलार्थी और मृतक, दोनों से ही परिचित था । उसके अनुसार घटना दिसंबर, 2014 में किसी दिन अपराह्न लगभग 4.00-4.30 बजे के बीच घटित हुई थी । उस समय वह बाजार में उपस्थित था और वह मांस का विक्रय कर रहा था । वहां उसने यह देखा कि मृतक भूमि पर गिर गया था और उसके पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया जहां क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष ने उसका ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके द्वारा दिए गए उसके पूर्ववर्ती बयान की ओर आकर्षित किया और साथ ही उससे यह पूछा गया कि अपने उक्त बयान में उसने यह कहा था कि मृतक नुमाल को उसकी गर्दन में छिन्न क्षतियां कारित हुई थीं और उसके पश्चात् वह भूमि पर गिर गया था और उसने घटनास्थल से अपीलार्थी को हाथ में दाव लेकर भागते हुए देखा था और उसके पश्चात् उसे यह ज्ञात हुआ था कि अभियुक्त ने ही मृतक की गर्दन पर उक्त क्षतियां कारित की थीं । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय अंधेरा हो गया था और बाजार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उस समय बाजार में तीन व्यक्ति मांस का विक्रय कर रहे थे । वह अपने ग्राहकों के साथ व्यस्त था और इसलिए वह यह नहीं देख पाया कि मृतक को किस प्रकार क्षतियां कारित हुई थीं । अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान के संबंध में परीक्षा नहीं की और इस प्रकार अभियोजन पक्ष उसके इस प्रभाव के पूर्ववर्ती कथन को साबित करने में असफल रहा कि उक्त घटना उसके द्वारा पूर्व में बताई गई रीति में घटित हुई थी जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में उपबंधित है । अत:, उसका साक्ष्य अभियोजन के लिए महत्वहीन है ।

19. अजेय बुरागोहेन (अभि. सा. 14) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना तारीख 31 दिसंबर, 2014 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे घटित हुई थी । उस समय वह घटनास्थल के निकट स्थित एक इलेक्ट्रिकल दुकान में मौजूद था । घटना के सुसंगत समय पर वह चीख-पुकार सुनकर अपनी दुकान से बाहर आया था और उसने यह देखा कि मृतक भूमि पर गिरा हुआ था । उसके पश्चात् मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने अपनी क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया । इस साक्षी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और उसकी प्रतिपरीक्षा की गई । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उसका ध्यान अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए इस प्रभाव के पूर्ववर्ती बयान की ओर आकर्षित किया गया जिसमें उसने यह कहा था कि घटना के दिन जब चीख-पुकार सुनकर मैं अपनी दुकान से बाहर आया था तब मैंने अभियुक्त को उस समय अपनी दुकान के सामने से भागते हुए देखा था । बाहर आने पर मैंने यह भी देखा कि मृत व्यक्ति अभियुक्त के मांस के पास भूमि पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन पर छिन्न क्षतियां थीं । मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त व्यक्ति ने एक दाव से वार करके मृतक को यह क्षतियां कारित की थीं । उसके पश्चात् मृतक को छापाखोवा एफआरयू अस्पताल ले जाया गया । यद्यपि इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने पुलिस के सामने इस प्रकार का कोई बयान दिया था फिर भी अभियोजन पक्ष अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) के माध्यम से उसके बयान को साबित करने में समर्थ रहा है । अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने वही बयान दिया था जो साक्ष्य स्वरूप न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है ।

20. श्रीमती निर्मला मेच (अभि. सा. 15) अपीलार्थी की पत्नी है । उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान उसने घटना के संबंध में पूर्ण अनभिज्ञता व्यक्त की और यह भी कथन किया कि पुलिस ने उसका कथन लेखबद्ध नहीं किया था । इस साक्षी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की

अनुमति से पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और उसकी प्रतिपरीक्षा की गई । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष ने उसका ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए इस प्रभाव के पूर्ववर्ती बयान की ओर आकर्षित किया गया जिसमें उसने यह कहा था कि अभियुक्त गोकुल मेच मेरा पति है । तारीख 31 दिसंबर, 2014 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे मैं अपने पति की दुकान में मौजूद थी । उसी समय मृतक ने मेरे पति के साथ झगड़ा करने का प्रयत्न किया और मृतक ने हमारी दुकान का सारा मांस सड़क पर फेंक दिया । जब मैंने उससे यह प्रश्न किया कि उसने मांस को सड़क पर क्यों फेंका है तो वह मुझे डांटने लगा और उसने मेरे साथ गलत भाषा का प्रयोग किया । उसके पश्चात् मृतक ने मेरे पति पर हमला करने की चेष्टा की और तब मेरे पति ने उसकी गर्दन पर दाव से वार किया । उसके पश्चात् मेरा पति अपने हाथ में दाव को लिए हुए पुलिस थाने की ओर चला गया । उसके पश्चात् मृतक को उसके साथियों द्वारा छापाखोवा एफआरयू अस्पताल ले जाया गया । यद्यपि इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने पुलिस के सामने इस प्रकार का कोई बयान दिया था फिर भी अभियोजन पक्ष अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 17) के माध्यम से उसके बयान को साबित करने में समर्थ रहा है । अन्वेषण अधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात की पुष्टि की है कि अभि. सा. 15 ने जैसा बयान दिया था वैसा ही उसने न्यायालय को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया है ।

21. श्रीमती मंजु क्षेत्री (अभि. सा. 16) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह घटना के संबंध में कुछ भी नहीं जानती और पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध नहीं किया था । इस साक्षी को भी अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और उसकी प्रतिपरीक्षा की गई । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उसका ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए इस प्रभाव के पूर्ववर्ती बयान की ओर आकर्षित किया गया जिसमें उसने यह कहा था कि घटना के समय मैं अपने होटल में मौजूद थी और उस

समय अभियुक्त ने मृत की गर्दन पर दाव से क्षतियां कारित की थीं । उसके पश्चात् मुझे यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अपराध कारित करने के पश्चात् वहां से भाग गया था । यद्यपि इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने पुलिस के सामने इस प्रकार का कोई बयान दिया था फिर भी अभियोजन पक्ष अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 17) के माध्यम से उसके बयान को साबित करने में समर्थ रहा है । अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात की पुष्टि की है कि अभि. सा. 15 ने जैसा बयान दिया था वैसा ही उसने साक्ष्य स्वरूप न्यायालय में प्रस्तुत किया है । स्पष्ट रूप से अभि. सा. 16 इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उसे घटना के पश्चात् इस बात की जानकारी प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी अपराध कारित करने के पश्चात् घटनास्थल से भाग गया था । अत: यदि अभि. सा. 16 ने अभिकथित रूप से पुलिस के समक्ष अपना पूर्ववर्ती बयान दिया भी था तो भी उसके कथन की पुष्टि की उसकी जानकारी के स्रोत से न होने पर अनुपस्थिति में उसका कथन केवल सुनी-सुनाई बात प्रतीत होता है जिसका कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है ।

22. अभि. सा. 17 अन्वेषण अधिकारी है । अपने साक्ष्य में उसने मामले के अन्वेषण से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं जिनके अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त करना, रोजनामचे में प्रविष्टि करना, साक्षियों की परीक्षा करना, मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा और साथ ही शव-परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त करना आदि से लेकर आरोप पत्र फाइल करना है । जैसा कि अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 (जिन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था) द्वारा दिए गए साक्ष्यों से संबंधित चर्चा में उपदर्शित किया गया है उसके साक्ष्य से यह बात भी सामने आई है कि उक्त साक्षियों ने उसके समक्ष ऐसे कथन किए थे जिनके कारण अपीलार्थी अपराध कारित किए जाने में संलिप्त हुआ था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने स्वयं अपीलार्थी के कथन के अनुसार रोजनामचे में की गई प्रविष्टि को प्रदर्श 8 के द्वारा लेखबद्ध किया था । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष,

अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए पूर्ववर्ती बयानों को साबित करने में सफल रहा है जिसके आधार पर उन्होंने अपीलार्थी को इस अपराध में संलिप्त किया था । उनके साबित किए गए पूर्ववर्ती बयानों के अनुसार वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । किंतु अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

23. यद्यपि अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 के कथनों को अभिलिखित किया गया है । फिर भी न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्यों में उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया जिसके लिए उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था । हमने अपनी पूर्ववर्ती चर्चा में यह उपदर्शित किया है कि अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 17) के माध्यम से उनके पूर्ववर्ती बयानों को साबित किया है । आइए अब हम पूर्ववर्ती बयानों को साबित किए जाने से संबंधित विधि के बारे में चर्चा करते हैं । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 के अधीन यह उपबंध है कि किसी साक्षी की, उसके द्वारा पूर्व में किए गए ऐसे कथनों के, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं, संबंध में प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी । सुगम संदर्भ के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "145. **पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा** – किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किंतु यदि उस लेख द्वारा खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है ।"

24. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 का निर्वचन करते हुए उच्च न्यायालय ने **वी. के. मिश्रा और अन्य** बनाम **उत्तराखंड राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित संप्रेक्षण किए हैं :-

> "साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन जब (न्यायालय में दिए गए) किसी साक्षी के कथन का खण्डन (पुलिस को दिए गए) उसके पूर्ववर्ती बयान से किया जाना आशयित होता है तब ऐसे साक्षी का ध्यान उसके बयान के उस भाग की ओर आकर्षित किया जाना आवश्यक है जिसका उपयोग खंडन के प्रयोजनार्थ किया जाना है किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य को लेखबद्ध करते समय विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुलिस के समक्ष किए गए कथन के उस भाग को, जिसके संबंध में साक्षी का खंडन किया जाना आशयित है, साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान उसकी जानकारी में लाया जाए । यदि वह साक्षी खंडन किए जाने के लिए आशयित भाग को स्वीकार करता है तो उसे साबित समझा जाता है और उसका खंडन करने के लिए आगे और कोई सबूत आवश्यक नहीं है और उसे साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय उसी रूप में पढ़ा जाएगा । यदि साक्षी पूर्वतन कथन के उस भाग के संबंध में इनकार करता है तो उसका ध्यान कथन की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए और उसका उल्लेख अभिसाक्ष्य में किया जाना चाहिए ।
>
> इस प्रक्रिया द्वारा विरोधाभास/खंडन को केवल अभिलेख पर लाया जाता है किंतु अभी इसे साबित किया जाना बाकी है । उसके पश्चात् जब अन्वेषण करने वाले अधिकारी की न्यायालय के समक्ष परीक्षा की जाती है तो उसका ध्यान खंडन के प्रयोजन के लिए चिह्नित कथन के उस भाग की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ; उस समय उसे अन्वेषण करने वाले अधिकारी के अभिसाक्ष्य में साबित हुआ माना जाएगा जो पुन: पुलिस के समक्ष दिए गए कथन का संदर्भ लेते हुए यह अभिसाक्ष्य देगा कि साक्षी ने उसके समक्ष

---

[1] (2015) 9 एस. सी. सी. 588 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3043.

इस प्रभाव का कथन किया था । यदि साक्षी के कथन के उस भाग के संबंध में, जिसे प्रतिरक्षा पक्ष उसका खंडन करने के लिए उपयोग करना चाहता है, खंडन नहीं किया जाता है तो न्यायालय स्वविवेकानुसार पुलिस को दिए गए कथनों के उपयोग को साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुसरण में साबित हुआ नहीं मान सकता, अर्थात् केवल खंडन किए जाने के लिए आशयित भागों की ओर ध्यान आकर्षित करके ही उसे साबित हुआ नहीं माना जा सकता ।"

25. वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पक्षद्रोही साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 का ध्यान उनके पूर्वतन कथनों के उन भागों की ओर आकर्षित किया गया था और उन्हें पुन: उद्धृत करते हुए उनका खंडन भी किया गया था । इस रीति में अभियोजन उनके ऐसे कथनों को अभिलेख पर लाया है ।

26. यद्यपि पूर्वोक्त पक्षद्रोही साक्षियों के कथनों के, जो उन्होंने अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष किए थे और उन कथनों का, जिनके संबंध में अभियोजन पक्ष ने उनका खंडन करने के लिए उनके समक्ष खंडन हेतु प्रस्तुत किया था और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 17) के माध्यम से साबित किया था, परिशीलन पर यह पता चलता है कि वे शब्दश: समान नहीं थे । ऐसी परिस्थिति में सुस्थापित विधिक सिद्धांत निम्नानुसार हैं :-

1. साक्षी द्वारा अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष लिखित में किए गए बयान का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं अपितु साक्षी कठघरे में उसके द्वारा दिए गए कथन का खंडन करने के प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है ।

2. पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध न किए गए कथनों का उपयोग खंडन करने के लिए नहीं किया जा सकता ।

3. यद्यपि किसी विशिष्ट कथन को लेखबद्ध नहीं किया गया

है और ऐसा कोई कथन जिसे अभिव्यक्त रूप से लेखबद्ध किए गए कथन के भाग रूप में माना जा सकता है, तो ऐसे कथन का उपयोग खंडन के लिए किया जा सकता है और ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि उसे कोई लोप न मानते हुए उसे लेखबद्ध किए गए कथन का भाग रूप समझा गया है । इस प्रकार की कल्पना केवल निम्नलिखित तीन मामलों की संरचना में अनुज्ञेय है – (i) जहां कथन में उसका कहीं वृत्तांत मिलता है, (ii) किसी कथन में वृत्तांत के किसी सकारात्मक वृत्तांत के नकारात्मक पहलू के रूप में उसका वृत्तांत मिलता है और (iii) जब पुलिस के समक्ष दिया गया बयान और न्यायालय के समक्ष किया गया कथन एक-दूसरे से मेल नहीं खाते । (संदर्भ : तहसीलदार सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012)

प्रत्येक मामले में विचारण न्यायाधीश को पुलिस द्वारा लेखबद्ध किए गए कथन के भाग या भागों को साक्षी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष किए गए कथनों से तुलना करने के पश्चात् यह विनिश्चय करना होता है कि वह पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में विनिर्णय दे कि क्या खंडन करने के लिए आशयित वृत्तांत विधि की अपेक्षाओं को पूरा करता है अथवा नहीं ।

ऊपर 3(i) में निर्दिष्ट इस विधिक सिद्धांत को लागू करते हुए हम यह पाते हैं कि उक्त साक्षियों के पूर्वतन कथनों के वे भाग, जिनका उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा में उनका खंडन करने के लिए किया गया था, उनके अपने-अपने कथनों में यत्र-तत्र उपयोग किए गए हैं और इस प्रकार अपीलार्थी को अपराध में संलिप्त करने वाले उनके पूर्वतन कथन अभि. सा. 17 के अभिसाक्ष्य के माध्यम से साबित हो जाते हैं और वे उनके अभिव्यक्त रूप से लेखबद्ध किए गए कथनों का भाग हैं ।

पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 घटना के

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उनके साबित पूर्वतन कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी ने ही प्रश्नगत अपराध कारित किया है । हमारा यह भी निष्कर्ष है कि अभि. सा. 17 (अन्वेषण करने वाले अधिकारी) का अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15 द्वारा उसके समक्ष किए गए कथनों से संबंधित साक्ष्य अविवादित रहा है ।

27. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने आगे यह भी दलील दी है कि प्रभारी अधिकारी उस सुसंगत समय पर पुलिस थाने में उपस्थित नहीं था जब अपीलार्थी अपने हाथ में दाव लिए पुलिस थाने पहुंचा था । अभि. सा. 17 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने प्रभारी अधिकारी के निदेशानुसार पुलिस थाने में अपीलार्थी के कब्जे से दाव का अभिगृहीत किया था और इस तथ्य को प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित जीडी प्रविष्टि में भी लेखबद्ध किया गया है । अभि. सा. 17 के इस साक्ष्य को झूठ साबित करने के लिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 10 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस प्रभाव का कथन किया है कि प्रभारी अधिकारी पुलिस थाने से बाहर था । किंतु इस निर्णय के पैरा 15 अभि. सा. 10 के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय में हमें पहले ही विश्वास हो गया है और हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रभारी अधिकारी अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने पहुंचने के सुसंगत समय पर पुलिस थाने में उपस्थित था ।

28. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने आगे यह और दलील दी है कि अपीलार्थी ने पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण नहीं किया था जैसा कि रोजनामचे में लेखबद्ध है और साथ ही उसने इस बात को भी संस्वीकार नहीं किया कि उसने मृतक की गर्दन में छिन्न क्षतियां कारित की हैं । जहां तक अपीलार्थी की न्यायेतर संस्वीकृति का संबंध है, हमने उसके संबंध में इस निर्णय के पैरा 31 में चर्चा की है । जैसा कि विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे दूर-दूर तक यह पता चल सके कि अपीलार्थी पुलिस थाने में इस तथ्य की रिपोर्ट करने आया था कि

बाजार में कुछ लोगों ने एकत्रित होकर उस पर हमला करने/उसे दबोचने का प्रयास किया था । अन्वेषण अधिकारी ने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि रोजनामचे में लेखबद्ध करने के तुरंत पश्चात् वह घटनास्थल की ओर गया था और यह बात इस तथ्य को दर्शित करती है कि मृतक पर क्षतियां कारित करने की पहली सूचना उसे स्वयं अपीलार्थी से प्राप्त हुई थी जैसा कि रोजनामचे में लेखबद्ध किया गया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 17) का यह कथन कि अपराध कारित करने के पश्चात् अपीलार्थी वहां से भाग गया था, वस्तुतः इस तथ्य को स्थापित करता है कि घटना के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी पुलिस थाने गया था । अभि. सा. 7 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उसने और अन्य व्यक्तियों ने घटना के पश्चात् अपीलार्थी को पकड़ने का प्रयत्न किया था । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार घटना अपराह्न लगभग 3.40-4.00 बजे के बीच घटित हुई थी और रोजनामचे के अनुसार अपीलार्थी अपराह्न लगभग 4.05 बजे पुलिस थाने पहुंचा था । अपीलार्थी की पत्नी, अर्थात् अभि. सा. 15 के साबित किए गए साक्ष्य से इस तथ्य की और भी पुष्टि हो जाती है कि मृतक की गर्दन पर क्षतियां कारित करने के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी अपने हाथ में दाव को लिए हुए पुलिस थाने की ओर चला गया था । हमारे मतानुसार साक्ष्य यह दर्शित करता है कि अपीलार्थी ने पुलिस थाने में जाकर आत्म-समर्पण किया था । तथापि, ऊपर की गई चर्चा के अनुसार अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 14, और अभि. सा. 15 के साक्ष्य से इस न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि अपीलार्थी ने ही मृतक को घातक क्षतियां कारित की थीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई ।

29. अभि. सा. 17 का साक्ष्य इस प्रभाव का है कि अपीलार्थी के कब्जे से दाव का अभिग्रहण प्रदर्श-5 के अनुसार से पुलिस थाने में किया गया था । अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 इस अभिग्रहण के साक्षी हैं । तथापि, अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने यह नहीं देखा कि किस व्यक्ति से प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित दाव का अभिग्रहण किया गया था । अभि. सा. 9 के इस साक्ष्य

को निर्दिष्ट करते हुए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभि. सा. 9 ने उक्त अभिग्रहण का समर्थन नहीं किया है किंतु उसके साक्ष्य के परिशीलन से यह पता चलता है कि अभि. सा. 9 ने साक्षी के रूप में प्रदर्श-5 और प्रदर्श-5(1) को प्रदर्शित और स्वीकार किया है तथा उन पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं । अभि. सा. 9 का ध्यान उसके उस पूर्वतन कथन की ओर आकर्षित किया गया था जिसमें उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि अभिग्रहण उसकी उपस्थिति में पुलिस थाने में ही किया गया था । यद्यपि अभि. सा. 9 ने ऐसा कथन किए जाने से इनकार किया है फिर भी इस खंडन को अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 17 के माध्यम से साबित किया गया है जैसा कि उसके साक्ष्य संबंधी चर्चा के दौरान पाया गया था । दूसरी ओर अभि. सा. 10 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह प्रदर्श-5 के माध्यम से किए गए अभिग्रहण का साक्षी है जिसमें प्रदर्श-5 (2) पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य** बनाम **रामपाल सिंह बिसन**[1] वाले मामले के निर्णय के पैरा 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "31. साक्ष्य विधि के अधीन यह आवश्यक है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए । यद्यपि दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को स्वीकार किए जाने के रूप में माना जा सकता है किंतु यह उनकी सत्यता को साबित नहीं करता है । न्यायालय ऐसे दस्तावेजों का अवलंब नहीं ले सकता जिन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिन्हें साक्ष्य अधिनियम के अधीन अपेक्षित के रूप में चिह्नित किया गया है । मात्र किसी दस्तावेज को किसी न्यायालय में फाइल किया जाना दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित नहीं कर सकता ।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारतीय जीवन बीमा निगम** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित अनुपात को ध्यान में

---

[1] (2010) 4 एस. सी. सी. 491 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1900.

रखते हुए, प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित दस्तावेज और उस पर प्रदर्श-5 (1) के रूप में अभि. सा. 9 के हस्ताक्षर को अभिग्रहण सूची, जो प्रदर्श-5 पर है, की अंतर्वस्तु को स्वीकार किए जाने के समतुल्य माना जा सकता है । प्रदर्श-5 की अंतर्वस्तु यह दर्शित करती है कि अभिगृहीत दाव रक्तरंजित था । अत: अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का इस संबंध में दिया गया तर्क निष्फल होता है । अभियोजन पक्ष रक्तरंजित दाव को अपीलार्थी के कब्जे से पुलिस थाने में अभिग्रहण किए जाने को साबित करने में समर्थ रहा है ।

30. अभि. सा. 11 के इस साक्ष्य को कि घटना के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया था और अभि. सा. 7 के इस साक्ष्य को कि उसने अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी को पकड़ने का प्रयत्न किया था, जब अभि. सा. 15 के इस साक्ष्य के साथ विचार में लिया जाता है कि घटना के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी पुलिस थाने की ओर चला गया था, तब यह बात स्पष्ट हो जाती है और भली-भांति सिद्ध हो जाती है कि अपीलार्थी ने घटना के तुरंत पश्चात् घटनास्थल पर एकत्रित हुई भीड़ के हाथों पकड़े जाने के भय से तुरंत पुलिस थाने आकर आत्म-समर्पण कर दिया था और उपरोक्त साक्ष्य से घटना के पश्चात् का अपीलार्थी का व्यवहार भली-भांति स्पष्ट हो जाता है ।

31. जहां तक अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने में पुलिस कार्मिकों के समक्ष जब वह उनकी अभिरक्षा में था, स्वयं इस प्रभाव का अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन किए जाने का संबंध है कि उसने मृतक की गर्दन पर छिन्न क्षतियां पहुंचाई थीं और जिसका अवलंब विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा भी लिया गया है, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 67 में उपदर्शित होता है, इस न्यायालय का मत यह है कि अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति/संस्वीकृति, जब वह पुलिस थाने में पुलिस की अभिरक्षा में था, स्वीकार्य नहीं है और उसे साक्ष्य स्वरूप विचार में नहीं लिया जा सकता ।

32. पक्षद्रोही साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 11, अभि. सा. 13, अभि. सा. 14 और अभि. सा. 15

के साबित साक्षियों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही घटना के पश्चात् की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए, जिनमें अपीलार्थी अपने हाथ में दाव लिए हुए घटनास्थल पर एकत्रित हुई भीड़ द्वारा पकड़े जाने के भय से स्वयं पुलिस थाने पहुंच गया था, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थी ने ही इस अपराध को कारित किया है ।

33. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध है या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है । इस मामले में विधिक स्थिति को समझने के लिए हमने वर्तमान मामले के तथ्यों में दंड संहिता की धारा 300 में दिए गए अपवादों का परिशीलन किया और इस स्थिति में अपवाद संख्या 4 लागू होता है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "अपवाद 4 - आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरता या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।"

34. यद्यपि अपीलार्थी का पक्षकथन यह नहीं है कि उसने गंभीर और अचानक प्रकोपन और पूर्वचिंतन के बिना अपराध कारित किया है फिर भी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, विशेष रूप से अभि. सा. 15 का साक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि मृतक ने अपीलार्थी के साथ कहा-सुनी/झगड़ा आरंभ किया था और उसने अपीलार्थी की दुकान से सारा मांस उठाकर सड़क पर फेंक दिया था और इस प्रकार उसने ऐसा करके अपीलार्थी को इस रीति में प्रतिक्रिया करने के लिए प्रकोपित किया । इस मामले में अपीलार्थी द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने में कोई पूर्व चिंतन इंगित करने वाला कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है । साक्ष्य से, उसे पूर्ण रूप से पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में मृतक के शरीर पर घातक क्षतियां कारित की थीं । इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की परिधि में आता है । विद्वान्

अपर लोक अभियोजक सुश्री भूयान ने इस तथ्य के संबंध में सहमति दर्शित की है कि अपीलार्थी ने प्रकोपन के कारण अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में मृतक के शरीर पर घातक क्षतियां पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित की है और उसका यह कृत्य उसके अनुसार दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है ।

35. तद्नुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध से परिवर्तित करके दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध के अंतर्गत लाया जाता है । तद्नुसार, मामले के संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का मत यह है कि दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी को 10 (दस) वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 (छह) मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया जाना न्यायोचित होगा । तद्नुसार अभियुक्त-अपीलार्थी को दंडादिष्ट किया जाता है । मृतक के निकट संबंधी को प्रतिकर के संदाय के संबंध में किया गया विद्वान् विचारण न्यायालय का आदेश कायम रहेगा ।

36. अभियुक्त-अपीलार्थी की अभिरक्षा की अवधि को, जो उसने अन्वेषण प्रक्रम, विचारण के दौरान और विद्वान् निचले न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भोगी है, अभियुक्त-अपीलार्थी पर अधिरोपित सारवान् दंडादेश से घटा दिया जाएगा ।

37. तद्नुसार अपील आंशिक रूप से मंजूर की जाती है । अपीलार्थी को अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन सारवान् दंडादेश में से घटा दिया जाए ।

38. निचले न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रति के साथ लौटा दिया जाए ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

पु.

नारायण बैद्यकर

बनाम

त्रिपुरा राज्य

[2019 की दांडिक अपील (न्या.) सं. 13]

तारीख 24 मार्च, 2020

मुख्य न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 365 और धारा 366 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और धारा 6] – पीड़ित लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अगरतला ले जाने के लिए ग्राम से रवाना होना – मार्ग में लड़की का अपहरण – पीड़ित लड़की को कुटुंब के सदस्यों द्वारा पुलिस की सहायता से सिलचर स्थित एक वेश्यालय से छुड़ाया जाना – पीड़ित लड़की का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – पीड़िता के अभिसाक्ष्य के अनुसार अभियुक्त द्वारा अगरतला जाते हुए जीप में अन्य 10-5 सह-यात्रियों की मौजूदगी में उसके चेहरे पर किसी तरल पदार्थ का छिड़काव कर बेहोश कर दिया जाना और उसे सिलचर स्थित वेश्यालय में बेचा जाना – उक्त अभिसाक्ष्य का विश्वसनीय प्रतीत न होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में पांच माह का लंबा विलंब जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहना – अत: पीड़िता के अभिसाक्ष्य के विश्वसनीय न होने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में बिना किसी समाधानप्रद स्पष्टीकरण के पांच माह के विलंब को देखते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती और वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि रूमा दत्ता चौधरी नामक एक विधवा महिला अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही थी । तारीख 19 दिसंबर, 2009 को अभियुक्त नारायण बैद्यकर ने उक्त रूमा दत्ता चौधरी को यह वचन दिया कि वह

उसे अगरतला स्थित मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाएगा और इस बहाने वह उसे अपने साथ ले गया । उसके पश्चात् जब वह महिला घर वापस नहीं आई तो उसके कुटुंब के सदस्यों ने उसकी खोज आरंभ की । कुटुंब के सदस्यों को अपनी खोजबीन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि पीड़ित लड़की को सिलचर स्थित एक वेश्यालय में निरुद्ध करके रखा गया था । सूचना प्राप्त होने पर वे पुलिस दल के साथ उक्त स्थान पर गए और उन्होंने 30 दिसंबर, 2019 को पीड़ित लड़की को उस वेश्यालय से छुड़ा लिया । तारीख 27 मई, 2010 को इस प्रभाव की एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कमलपुर पुलिस थाने में दर्ज की गई । अभियुक्त के विरुद्ध तारीख 12 जुलाई, 2013 को दंड संहिता की धारा 365 और 366 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) और धारा 6(1) के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप विरचित किए गए । तारीख 12 जुलाई, 2013 को ही दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रभाव का एक पृथक् आरोप भी विरचित किया गया कि उसने उक्त क्षेत्र में नौकरी ढूंढ़ने वाले अनेक कुटुंबों से 3,000-3,000/- रुपए एकत्रित किए थे । विचारण के पूरा हो जाने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया किंतु उसे शेष सभी आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया तथा उसके विरुद्ध ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार दंडादेश पारित किए । उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की है । इस न्यायालय ने अपील को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया तथा मेरी राय में इस मामले में एक मुख्य प्रश्न यह उठता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में 5 माह का लंबा विलंब हुआ है एवं अभियोजन पक्ष द्वारा उसका यह स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है कि घर वापस आने के पश्चात् लड़की 15 दिन तक शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार थी इसलिए वह घटना के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं करा सकी थी । अत: सुसंगत साक्षियों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्यों की स्पष्ट न किए गए इस

अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखते हुए गहराई से समीक्षा करनी होगी । स्वयं पीड़ित लड़की और साथ ही उसके निकट के नातेदारों जैसे कि उसके भाई सुब्रत चौधरी (अभि. सा. 7) और माता श्रीमती उर्मिला चौधरी (अभि. सा. 8) ने इस बात का उल्लेख किया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने पीड़ित लड़की को मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव लेकर उनसे संपर्क किया था जिसके लिए उन्हें 3,000/- रुपए की राशि का संदाय करना था और तदुपरांत पीड़ित लड़की तारीख 19 दिसंबर, 2009 को अभियुक्त के साथ अगरतला गई थी । स्वयं पीड़ित लड़की ने भी इस बात की पुष्टि की है । अभियोजन पक्ष के आरोप के इस पहले भाग के संबंध में कोई सुसंगत संदेह उत्पन्न नहीं होता है । इस प्रकार पीड़ित लड़की नौकरी के साक्षात्कार हेतु आवेदन करने के लिए उक्त तारीख को अभियुक्त के साथ अगरतला गई थी । इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि पीड़ित लड़की उस दिन या उस दिन के पश्चात् किसी अन्य दिन स्वयं घर वापस नहीं आई । उसके पश्चात् उसके कुटुंब के सदस्यों ने उसके संबंध में खोजबीन और जांच पड़ताल आरंभ की जैसा कि उसके भाई सुब्रत चौधरी (अभि. सा. 7) द्वारा कथन किया गया है और उसका एक अन्य भाई सत्यब्रत चौधरी (अभि. सा. 12), जो प्रथम इत्तिलाकर्ता है, भी गुवाहाटी से अपने कुटुंब के पास ग्राम में आ गया । पीड़ित लड़की के कुटुंब ने पुलिस के पास एक गुमशुदा रिपोर्ट भी रजिस्टर की जो स्वयं इस तथ्य की पुष्टि करती है । इसके अतिरिक्त, इस तथ्य पर भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ समय पश्चात् लड़की के कुटुंब को मलय देब (अभि. सा. 6) द्वारा अपने भतीजे सुजित पॉल (अभि. सा. 1) के माध्यम से दी गई यह जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़ित लड़की सिलचर में है । यह तथ्य भी भली-भांति स्थापित है कि सत्यब्रत चौधरी (अभि. सा. 12) सिलचर गया और वहां उसने स्थानीय पुलिस की सहायता से पीड़ित लड़की को छुड़ा लिया । तथापि, इस बात की गहराई से परीक्षा करनी होगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस संबंध में सही-सही क्या भूमिका निभाई थी जिससे पीड़ित लड़की अगरतला में नौकरी हेतु आवेदन करने के पश्चात् अपने घर जाने की बजाय सिलचर पहुंच गई । इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़ित लड़की है ।

अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि वह और अभियुक्त व्यक्ति ग्राम के बाजार के पास अगरतला जाने के लिए एक जीप में बैठे थे । जीप में अभियुक्त ने उसके चेहरे पर एक तरल पदार्थ का छिड़काव किया था जिसके कारण उसे अत्यधिक असुविधा हुई और वह बेहोश हो गई । जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को सिलचर स्थित एक कक्ष में पाया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात को स्वीकार किया है कि जीप में उनके अलावा 10 या 15 अन्य व्यक्ति भी थे । उसके चेहरे पर तरल पदार्थ का छिड़काव उन सब व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था । उसका यह कथन कि जीप में उसके चेहरे पर किसी तरल पदार्थ का छिड़काव किया गया जिसके कारण वह होशो-हवाश खो बैठी थी और वह तब तक बेहोश रही जब तक कि उसे सिलचर स्थित वेश्यालय तक नहीं पहुंचा दिया गया, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । प्रथमत: जैसा कि उल्लेख किया गया है जीप में 10 या 15 अन्य सह-यात्री भी मौजूद थे । द्वितीयत: उसने यह दावा किया है कि उसके चेहरे पर तरल पदार्थ का छिड़काव उन सभी की उपस्थिति में किया गया था । तृतीयत: उसने यह दावा किया है कि उसे यह बात पता नहीं चली कि उसे उसी बेहोशी की अवस्था में सिलचर ले जाया गया था जहां पहुंचकर उसे होश आया था । जब यह संपूर्ण घटना एक बंद वाहन में अनेक अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में घटित हुई थी और जिसके पश्चात् पीड़ित लड़की द्वारा यह दावा किया गया है उसे इस प्रकार बेहोश या अर्द्ध-बेहोशी की अवस्था में अगरतला की बजाय सिलचर ले जाया गया तो निश्चित रूप से यह बात सह-यात्रियों का ध्यान आकृष्ट करेगी और साथ ही उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ होगा । स्वीकार्य रूप से घटना के समय जीप में अनेक व्यक्ति मौजूद थे । जब दिन-दहाड़े पीड़ित लड़की को बेहोशी की अवस्था में इस प्रकार ले जाया जा रहा था तो अनेक अन्य व्यक्तियों ने भी इस घटना को देखा होगा और अभियुक्त से इस संबंध में प्रश्न भी किए होंगे । इस प्रकार पीड़ित लड़की द्वारा किया गया यह कथन विश्वासोत्पादक नहीं है । उसने स्पष्ट रूप से एक मिथ्या दावा किया है और उसने उन परिस्थितियों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है जिनमें वह सिलचर में पाई गई थी । वह इस बात की एक-मात्र साक्षी है कि वह किसी प्रकार

अगरतला की बजाय सिलचर और फिर वापस अपने घर पहुंची । इस साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करने के लिए उसका साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का होना चाहिए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए घोर विलंब के आलोक में उसके अभिसाक्ष्य का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना होगा । यद्यपि पीड़ित लड़की के नातेदारों का इस संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है कि पीड़ित लड़की नौकरी हेतु आवेदन करने के लिए अभियुक्त के साथ अपने ग्राम से अगरतला गई थी और इस तथ्य के प्रति कोई विवाद नहीं है कि उसके पश्चात् वह अपने ग्राम वापस नहीं आई, फिर भी पीड़ित लड़की एकमात्र ऐसी साक्षी है जो यह बता सकती है कि वह किन परिस्थितियों के अधीन गुम हुई थी । किंतु इस संबंध में उसका साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । वर्तमान मामले में एक उचित तथा बेहतर अन्वेषण अधिक उपयोगी सिद्ध होता । यदि उस समय जब पीड़ित लड़की को जब सिलचर से छुड़ाया गया था, समुचित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई होती और अन्वेषण किया गया होता तो उसके छुड़ाए जाने की घटना सम्यक् रूप से लेखबद्ध की गई होती तथा उसे स्वतंत्र पंच साक्षियों का समर्थन भी प्राप्त होता । सिलचर में उसे किस स्थान पर पाया गया था और उसे किन व्यक्तियों की अभिरक्षा में रखा गया था तथा वे किस प्रकार की परिस्थितियां थीं जिनके अधीन उसे बंदी बनाकर रखा गया था, ये सभी कारक अन्वेषण का भाग होने चाहिए थे । न तो पुलिस ने ही और न ही शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष को सुदृढ़ किया है क्योंकि पुलिस ने लड़की को छुड़ाए जाने के तुरंत पश्चात् अन्वेषण आरंभ नहीं किया और लड़की के गुम हो जाने के लगभग 5 (पांच) माह पश्चात् तथा उसे ढूंढ़ लिए जाने के लगभग साढ़े चार माह पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जैसा कि स्वयं पीड़ित लड़की और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा कथन किया गया है इस प्रकार उसकी व्यथा के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो सके थे । अभियोजन पक्ष ने पीड़ित लड़की को अभियुक्त द्वारा देह व्यापार में जबरदस्ती धकेले जाने संबंधी भूमिका को विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं किया है । इस प्रकार उन अपराधों के लिए, जिनके संबंध में वह विचारण न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया था, उसकी दोषसिद्धि

कायम रखे जाने योग्य नहीं है । आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है । यदि उसकी किसी अन्य दांडिक मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत निर्मुक्त किया जाए । (पैरा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील (न्या.) सं. 13.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, उनाकोटि न्यायिक जिला, कमलपुर, त्रिपुरा द्वारा 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 40 में तारीख 25 जून, 2018 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री स्मिता चक्रबर्ती

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुमित देबनाथ विद्वान् अपर लोक अभियोजक

मुख्य न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी – वर्तमान अपील मूल अभियुक्त द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, उनाकोटि न्यायिक जिला, कमलपुर, त्रिपुरा द्वारा 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 40 में तारीख 25 जून, 2018 को पारित निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 365 और 366 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 5(1) और धारा 6(1) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है । दंड संहिता की धारा 365 के अधीन उसे 5 (पांच) वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । दंड संहिता की धारा 366 के अधीन उसे 5 (पांच) वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) के अधीन उसे 3 (तीन) वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा धारा 6(1) के अधीन उसे 3 (तीन) वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । ये सभी दंडादेश साथ-साथ चलने थे । इसके अतिरिक्त, उस पर जुर्माने भी अधिरोपित किए गए ।

2. अभियोजन पक्षकथन संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि रूमा दत्ता चौधरी नामक एक विधवा महिला अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही थी । तारीख 19 दिसंबर, 2009 को अभियुक्त नारायण बैद्यकर ने उक्त रूमा दत्ता चौधरी को यह वचन दिया कि वह उसे अगरतला स्थित मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाएगा और इस बहाने वह उसे अपने साथ ले गया । उसके पश्चात् जब वह महिला घर वापस नहीं आई तो उसके कुटुंब के सदस्यों ने उसकी खोज आरंभ की । कुटुंब के सदस्यों को अपनी खोजबीन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि पीड़ित लड़की को सिलचर स्थित एक वेश्यालय में निरुद्ध करके रखा गया था । सूचना प्राप्त होने पर वे पुलिस दल के साथ उक्त स्थान पर गए और उन्होंने 30 दिसंबर, 2019 को पीड़ित लड़की को उस वेश्यालय से छुड़ा लिया । तारीख 27 मई, 2010 को इस प्रभाव की एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कमलपुर पुलिस थाने में दर्ज की गई । अभियुक्त के विरुद्ध तारीख 12 जुलाई, 2013 को दंड संहिता की धारा 365 और 366 तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) और धारा 6(1) के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप विरचित किए गए । तारीख 12 जुलाई, 2013 को ही दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रभाव का एक पृथक् आरोप भी विरचित किया गया कि उसने उक्त क्षेत्र में नौकरी ढूंढ़ने वाले अनेक कुटुंबों से 3,000-3,000/- रुपए एकत्रित किए थे ।

3. विचारण के पूरा हो जाने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया किंतु उसे शेष सभी आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया तथा उसके विरुद्ध ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार दंडादेश पारित किए । विद्वान् विचारण न्यायाधीश के उक्त निर्णय को अभियुक्त द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है ।

4. हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को संक्षिप्त रूप में नीचे उल्लिखित कर रहे हैं ।

सुब्रत चौधरी (अभि. सा. 7) पीड़ित लड़की का बड़ा भाई है । उसने

यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पीड़ित लड़की विधवा होने के कारण पिछले लगभग 5-6 वर्ष से अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही थी । कुछ वर्ष पूर्व अभियुक्त जिसने अपना नाम बाबुल देब बताया था, उनके गांव आया तथा उसने उसकी बहन को मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव दिया । उसके माता-पिता के घर में अभियुक्त ने पीड़ित लड़की को एक प्ररूप दिया तथा उसे समुचित रूप से भरने का अनुरोध किया और साथ ही यह कहा कि पीड़ित लड़की को अगले दिन साक्षात्कार हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगरतला जाना चाहिए । तद्नुसार उसकी बहन अभियुक्त व्यक्ति के साथ अगरतला जाने हेतु घर से चली गई किंतु वह उस दिन वापस नहीं आई । अगले दिन भी वह वापस नहीं आई । फोन किए जाने पर यह पता लगा कि उसका मोबाइल नंबर बंद है । कुछ दिनों के पश्चात् उन्होंने पुलिस के पास गुमशुदा व्यक्ति संबंधी एक रिपोर्ट दर्ज कराई । उसके 6 या 7 दिन पश्चात् उनके ग्राम का मलय देब नामक एक व्यक्ति उसके पिता से मिला और उसे बताया कि उसे इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है कि उसकी बहन सिलचर में है । उसके पश्चात् उसका छोटा भाई सत्यब्रत चौधरी और उनके एक नातेदार ने सिलचर पुलिस की सहायता से सिलचर स्थित एक वेश्यालय से उसकी बहन को छुड़ाया । उसकी बहन, घर से अगरतला हेतु निकलने के लगभग 15 दिन पश्चात् उन्हें मिली थी । घर वापस आने के पश्चात् वह कुछ समय बीमार रही थी ।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया कि उसकी बहन सिलचर से लौटने के पश्चात् लगभग 6 या 7 दिन बीमार रही थी और उसके बाद उसने अपनी माता और भाई को उसके साथ घटी घटनाओं के संबंध में बताया । वह इस संबंध में सुनिश्चित नहीं था कि क्या उसके भाई ने पुलिस को सभी ब्यौरे उपलब्ध कराए थे । पीड़ित लड़की के लौटने के लगभग 10 दिन पश्चात् कमलपुर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी उनके घर आए थे ।

5. श्रीमती उर्मिला चौधरी (अभि. सा. 8) पीड़ित लड़की की माता है । उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि पीड़ित लड़की, उसके पति

की मृत्यु हो जाने के कारण पिछले 5-6 वर्ष से उनके घर में निवास कर रही थी । उसके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति, जिसने अपना नाम बाबुल देब बताया था, कुछ वर्ष पूर्व उनके घर आया था और उसने उनकी पुत्री को मत्स्य विभाग में नौकरी करने का प्रस्ताव दिया था । अत: वह और उसका पति अपनी पुत्री को अगली प्रात: अभियुक्त व्यक्ति के साथ साक्षात्कार हेतु अगरतला भेजने के लिए सहमत हो गए थे । तद्नुसार अगले दिन अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित लड़की को अगरतला ले जाने के लिए उनके घर से ले गया । तथापि, जब वह वापस नहीं आई तो एक या दो दिन पश्चात् पुलिस थाने में उसके संबंध में एक गुमशुदा व्यक्ति संबंधी रिपोर्ट फाइल की गई । उन्होंने लड़की को ढूंढ़ने का प्रयास किया । कुछ दिन पश्चात् मलय देब ने उसके पति को यह सूचना दी कि उसकी पुत्री को सिलचर में देखा गया है । जिसके उपरांत उसका पुत्र सिलचर गया और वहां से उसकी पुत्री को छुड़ाकर ले आया । उस समय उसकी पुत्री बीमार थी और इसलिए उसकी अपनी पुत्री के साथ ब्यौरेवार बाचचीत नहीं हो सकी थी । पूछे जाने पर पीड़ित लड़की ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त व्यक्ति ने ही उसे सिलचर स्थित वेश्यालय में छोड़ा था ।

6. सत्यब्रत चौधरी (अभि. सा. 12) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी और उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है । पीड़ित लड़की उसकी छोटी बहन है और वह अपने पति की मृत्यु के पश्चात् से ही उसके और उसके माता-पिता के साथ निवास कर रही थी । वर्ष 2009 में अभियुक्त व्यक्ति उनके घर आया था और उसने उसकी बहन को मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का वचन दिया था और इस प्रकार वह उसे साक्षात्कार दिलाने हेतु अगरतला ले गया था । उस समय वह गुवाहाटी में नौकरी कर रहा था और वहीं निवास भी कर रहा था । चूंकि उसकी बहन वापस नहीं आई इसलिए उसके कुटुंब के सदस्यों ने उसकी खोजबीन आरंभ की । इस घटना की जानकारी मिलने पर वह भी अगले दिन गुवाहाटी से अपने गांव आ गया था । लगभग 10 दिन पश्चात् उनके ग्राम के एक निवासी

मलय देब ने उसके पिता को यह सूचना दी कि उसकी बहन को सिलचर स्थित वेश्यालय में रखा गया है । यह सूचना प्राप्त होने पर वह कमलपुर पुलिस थाने गया जहां उसे यह सलाह दी गई कि वह सिलचर जाकर स्थानीय पुलिस से संपर्क करे । तदुपरांत उसने स्थानीय विधायक से मुलाकात की और उसके निर्देश से वह अपने मित्रों और नातेदारों के साथ सिलचर गया और वहां जाकर उसने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया । स्थानीय पुलिस की सहायता से उसने अपनी बहन को ढूंढ़ निकाला । फिर वह उसे वापस अपने घर ले आया । उसकी बहन को आघात लगा था और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी । उसका उपचार डाक्टरों द्वारा किया गया । उसके पश्चात् वह लगभग 15 दिन बाद ही सामान्य हो सकी थी और तब उसने उसे यह सूचना दी थी कि अगरतला की ओर जाते समय जीप में अभियुक्त व्यक्ति ने उस पर कुछ रसायन छिड़के थे जिसके कारण वह अपने होशो-हवास खो बैठी थी । जब वह सामान्य हुई तो उसने अपने आपको सिलचर स्थित एक घर में पाया । वहां उसे निरुद्ध करके रखा गया था । उस घर में कुछ अन्य महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया । अपनी बहन के साथ घर वापस आने के पश्चात् उसने अगले दिन अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस के समक्ष एक लिखित शिकायत फाइल की थी ।

7. श्रीमती रूमा दत्ता चौधरी (अभि. सा. 34) पीड़ित लड़की है और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पति की मृत्यु वर्ष 2009 में हो गई थी । उसके पश्चात् उसने हालाहली स्थित अपने माता-पिता के साथ निवास करना आरंभ किया था । वह एक बार एस. डी. एम. कमलपुर के कार्यालय गई थी जहां उसकी मुलाकात अभियुक्त नारायण बैद्यकर से हुई थी किंतु उसने अपना नाम बाबुल देब बताया था । उसने स्थायी निवास प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने में उसकी सहायता की थी । उसके पश्चात् एक बार फिर वह स्वयं को रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत करने हेतु अंबास्सा गई थी जहां उसकी मुलाकात पुन: अभियुक्त से हुई थी और वहां भी उसने रजिस्ट्रीकरण में उसकी सहायता की थी । उस समय उसने अगरतला स्थित मत्स्य विभाग में एक नौकरी के प्रस्ताव

का उल्लेख किया था । उसके कुछ दिन पश्चात् अभियुक्त उनके घर आया और उसने उसकी माता को इस बात के लिए मना लिया कि वह उसके साथ अगरतला जाएगा । तारीख 19 दिसंबर, 2009 को वह अभियुक्त व्यक्ति के साथ अगरतला जाने के लिए अपने ग्राम से निकली और वह ग्राम हालाहली के बाजार के समीप एक जीप में बैठी । उसके अनुसार इस यात्रा के दौरान उसके मुख पर किसी तरल पदार्थ का छिड़काव किया गया जिससे उसे अत्यंत असुविधा हुई । वह अपने होशो-हवास खो बैठी । जब उसे होश आया तो वह एक कक्ष में बंद थी । उसके पश्चात् ज्ञात हुआ कि वह सिलचर में है । वहां उसे एक महिला ने यह बताया कि उसे वहां बेच दिया गया है और अब वह वापस नहीं जा सकती थी । उसी महिला ने उसे यह भी कहा कि अगर उसने रोना बंद नहीं किया तो उसे कहीं और भेज दिया जाएगा । कुछ दिनों पश्चात् एक व्यक्ति ने उसका पता पूछा । उसने उस व्यक्ति को अपना नाम और पता बताया । लगभग 10-12 दिन पश्चात् उसका भाई सत्यब्रत चौधरी, उसके जीजा और पुलिस ने उक्त घर से उसे छुड़ा लिया । घर वापस आने के पश्चात् वह बीमार रही थी । उसने अपना उपचार भी कराया । जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो उसने इस घटना के बारे में अपने भाई और माता को बताया जिसके पश्चात् उसके भाई ने एक पुलिस शिकायत दर्ज की । उसने अभियुक्त नारायण बैद्यकर की शनाख्त की है जिसने उसे अपना नाम बाबुल देब बताया था ।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि जब उसे उसके भाई द्वारा बरामद किया गया था उस समय पुलिस भी वहां उपस्थित थी । उस समय उसने पुलिस को इस घटना के संबंध में बताया था किंतु उसने सिलचर में पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी । उसने घर वापस आने से लगभग 15 दिन पश्चात् अपने कुटुंब के सदस्यों को इस पूरी घटना के संबंध में विवरण दिया था । जब वे जीप में बैठकर अगरतला की ओर जा रहे थे । उस समय जीप में 10 से 15 अन्य यात्री भी मौजूद थे । उसके चेहरे पर किसी तरल पदार्थ का छिड़काव उन सभी यात्रियों की उपस्थिति में किया गया था ।

8. सुजित पाल (अभि. सा. 1) अंबास्सा का निवासी है । उसने यह कथन किया है कि कुछ वर्ष पूर्व उसे किसी बिजॉय दास नामक व्यक्ति से टेलीफोन पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि हालाहली से किसी एक लड़की को सिलचर लाकर एक वेश्यालय में बेचा गया है । उसके कुछ नातेदार हालाहाली में रहते हैं जिनके माध्यम से उसने यह सूचना उस लड़की के भाई तक पहुंचाई थी ।

9. मलय देब (अभि. सा. 6) सुजित पॉल (अभि. सा. 1) का चाचा है । उसने सुजित पॉल के अभिसाक्ष्य की अभिपुष्टि की है । उसने मंटू चौधरी, पीड़ित लड़की के पिता से संपर्क किया था और उसने उसे सुजित पॉल का यह संदेश दिया था कि उसकी पुत्री सिलचर स्थित एक वेश्यालय में पाई गई है ।

10. श्याम कुमार चौहान (अभि. सा. 9) सर्कल निरीक्षक है जो सुसंगत समय पर सिलचर पुलिस थाने में तैनात था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 30 दिसंबर, 2009 को सत्यब्रत चौधरी (प्रथम इत्तिलाकर्ता) त्रिपुरा से उसके पास आया था और उसने अपनी बहन को छुड़ाने की अर्जी दी थी, जिसे सिलचर में स्थित किसी ऐसे स्थान पर, जो वेश्यालय था, निरुद्ध करके रखा गया था । इस साक्षी ने अपने कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा और उन्हें उक्त स्थान पर पीड़ित लड़की की बरामदगी करने के लिए भेजा । पीड़ित लड़की के भाई सत्यब्रत चौधरी द्वारा उपलब्ध कराई गई शनाख्त के आधार पर उसे उसके भाई के साथ जाने दिया गया था ।

11. श्रीमती संध्या देबनाथ (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कुछ वर्ष पूर्व अभियुक्त उनके ग्राम में आया था और उसने यह प्रस्ताव किया था कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिला सकता है जो उसे 7,000/- रुपए का संदाय करेगा । उसने यह प्रस्ताव उसके पुत्र के लिए किया था । तथापि, उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था ।

12. श्रीमती उर्मिला रजक (अभि. सा. 3) पास में ही स्थित एक ग्राम की निवासी है । उसने कुछ वर्ष पूर्व अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसके

घर आने और 3,000/- रुपए के संदाय पर सरकारी नौकरी दिलाने का प्रस्ताव करने को निर्दिष्ट किया है । उसकी माता ने उसकी बहन की नौकरी के लिए अभियुक्त को 3,000/- रुपए की राशि का संदाय किया था । उसे यह बताया गया था कि उसके पड़ौसियों ने भी अभियुक्त को उतनी ही रकम का संदाय किया था ।

13. श्रीमती देबाबाला रजक (अभि. सा. 14) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वर्ष 2010 के आस-पास अभियुक्त व्यक्ति ने उसके कुटुंब के सदस्यों को 3,000/- रुपए का संदाय करने पर उसे मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव किया था । उसके माता-पिता ने उसकी उपस्थिति में अभियुक्त को उक्त राशि का संदाय किया था । उसकी एक मित्र नमिता देबबर्मा ने भी अभियुक्त व्यक्ति को उसी राशि का संदाय किया था और साथ ही अपने दस्तावेज भी उसे दिए थे । अभियुक्त के अनुदेशों के अनुसार वह, उसका भाई निर्मल रजक और उसकी मित्र नमिता देबबर्मा और उसका भाई अभियुक्त व्यक्ति के साथ अगरतला गए थे जहां अभियुक्त व्यक्ति उन्हें एक न्यायालय परिसर में ले गया और वहां उसने उसके और उसकी मित्र नमिता के लिए दो आवेदन तैयार किए । अभियुक्त उन्हें कुछ देर के लिए वहां छोड़कर कहीं चला गया था और वापस आकर उसने उन्हें यह वचन दिया था कि उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी । वे ट्रेन से वापस घर आ गए थे किंतु उन्हें कभी भी कोई नौकरी नहीं मिली ।

14. श्रीमती नमिता देबबर्मा (अभि. सा. 15) ने भी अभियुक्त के संबंध में ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है जहां अभियुक्त ने उससे और श्रीमती देबाबाला रजक (अभि. सा. 14) से 3,000/- रुपए के संदाय पर मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव किया था । इस साक्षी के अनुसार वे दोनों लड़कियां अपने-अपने भाइयों और अभियुक्त के साथ अगरतला गई थीं जहां नौकरी के आवेदन हेतु कुछ दस्तावेज तैयार किए गए थे । जिसके पश्चात् वे अगरतला से वापस अपने घर आ गई थीं । उन्होंने अभियुक्त को धन का संदाय किया था किंतु उन्हें कभी भी कोई नौकरी नहीं मिली ।

15. श्री निर्मल रजक (अभि. सा. 17), श्रीमती देबाबाला रजक के भाई ने भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है ।

16. श्रीमती दीपाली रजक (अभि. सा. 18), देबाबाला की माता ने भी यह उल्लेख किया है कि उन्होंने अभियुक्त व्यक्ति को अपनी पुत्री को नौकरी दिलाने के लिए 3,000/- रुपए का संदाय किया था ।

17. श्री भागीरथ देबबर्मा (अभि. सा. 22), नमिता देबबर्मा के पिता ने भी यह दावा किया है कि उसने अपनी पुत्री को नौकरी दिलाने के लिए अभियुक्त को 3,000/- रुपए की राशि का संदाय किया था ।

18. श्री अमल नामासुदरा (अभि. सा. 27) पुत्री कचुछेरा का निवासी है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कुछ वर्ष पूर्व अभियुक्त व्यक्ति उनके गांव आया था और उसने उसे वन विभाग में नौकरी दिलाने के लिए 7,000/- रुपए की राशि का संदाय किया था किंतु उसे नौकरी नहीं मिली थी ।

19. श्री काजल बैद्यकर (अभि. सा. 28) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग 5 (पांच) वर्ष पूर्व वह अपने ससुराल वाले घर गया था । उसके पश्चात् जब वह वापस घर आया तो उसने पाया कि उसकी पुत्री रेखा गुम हो गई है । उसके द्वारा जांच-पड़ताल करने पर उसे यह पता चला कि उसकी पुत्री को अभियुक्त नारायण बैद्यकर अपने स्कूटर पर बैठाकर ले गया था । कुछ दिनों के पश्चात् उसकी पुत्री घर वापस आ गई । उसके पश्चात् उसकी पुत्री ने उसे यह बताया कि अभियुक्त व्यक्ति उसे लेकर सिलचर गया था जहां उसने उसके सभी गहनों को बेच दिया था और उसे वहीं छोड़ दिया । अभियुक्त ने उसे एक वृद्ध महिला को बेच दिया था और उसके बदले उसने उस वृद्ध महिला से धन भी प्राप्त किया था ।

तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि पुलिस को दिए गए अपने कथन में उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि अभियुक्त ने गहनों को बेच दिया था । उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि उसने उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी ।

20. सुबीमल बर्मन (अभि. सा. 32.) एक पुलिस उप-निरीक्षक है जो सुसंगत समय पर कमलपुर पुलिस थाने में तैनात था । उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अन्वेषण संबंधी कार्य को पूरा किया था । अपने अन्वेषण के दौरान उसे अभियुक्त के पास से अनेक महिलाओं के फोटो और साथ ही दस्तावेज भी मिले जिसका उसने अभिग्रहण किया । अन्वेषण के दौरान उसे यह पता चला कि अभियुक्त पीड़ित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन दस्तावेजों को इकट्ठा कर रहा था ।

अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात को स्वीकार किया कि यह घटना तारीख 19 दिसंबर, 2009 को घटित हुई थी जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 27 मई, 2010 को दर्ज की गई थी । उससे पूर्व पुलिस को केवल एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । तथापि, उसने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पीड़ित महिला के वापस आ जाने और ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु स्वस्थ होने के पश्चात् दर्ज की गई थी ।

21. अशोक कुमार पॉल (अभि. सा. 33) ने भी आंशिक रूप से अन्वेषण किया है । उसने उसके द्वारा किए गए अन्वेषण के अनुक्रम में उसके द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया ।

22. हमने ऊपर सुसंगत अभिसाक्ष्यों के सार को उल्लिखित किया है । इन अभिसाक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि अभियुक्त नारायण बैद्यकर बहुधा अपना नाम बाबुल देब बताता था । वह मत्स्य विभाग का कर्मचारी होने का दावा करता था । वह ग्राम की बेरोजगार महिलाओं से संपर्क करके उन्हें धन की कतिपय राशि के संदाय पर मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का वचन देता था । उसने ऐसी अनेक पीड़ित महिलाओं से दस्तावेज और धन एकत्रित किया था और वह अक्सर उन्हें नौकरी हेतु आवेदन करने के बहाने से अगरतला लेकर जाता था किंतु उसने कभी भी अपने वचन को पूरा नहीं किया । उनमें से किसी भी लड़की को नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी । श्रीमती देबाबाला रजक (अभि. सा. 14), श्रीमती नमिता देबबर्मा (अभि. सा. 15) और श्री निर्मल रजक (अभि. सा. 17)

के साक्ष्यों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है । इस बिंदु पर अनेक अन्य साक्षियों के साक्ष्य को निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

23. इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि अभियुक्त ने पीड़ित लड़की के कुटुंब से भी संपर्क किया था और उन्हें 3,000/- रुपए की राशि का संदाय करने पर उस लड़की को नौकरी दिलाने का प्रस्ताव रखा था । इस बहाने से अभियुक्त पीड़ित लड़की को अगरतला ले गया किंतु नौकरी दिलाने की बजाय उसने उसे सिलचर स्थित एक वेश्यालय में बेच दिया । जहां तक अभियुक्त की संदिग्ध पृष्ठभूमि का संबंध है वह इस मामले में सीमित रूप में सुसंगत है । वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है, पीड़ित लड़की को एक मिथ्या बहाने से अगरतला ले गया और उसके पश्चात् उसने उसे वेश्यावृत्ति में धकेलते हुए सिलचर स्थित एक वेश्यालय में बेच दिया ।

24. इस संदर्भ में स्वयं पीड़ित लड़की और उसके निकट नातेदारों के साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । ऐसे साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय हमें पुलिस के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में हुए अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखना होगा । इस मामले के अविवादित तथ्य यह हैं कि अभिकथित घटना 19 दिसंबर, 2009 को घटित हुई थी । यदि हम अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथन पर विश्वास करें तो यह प्रतीत होता है कि पीड़ित लड़की को लगभग 10 या 12 दिनों तक ढूंढ़ा नहीं जा सका था और उसके पश्चात् वह वास्तव में 30 दिसंबर, 2009 को सिलचर से बरामद हुई थी और यहां इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 27 मई, 2010 अर्थात् घटना से लगभग 5 (पांच) माह पश्चात् दर्ज की गई थी । अभियोजन पक्ष को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में हुए इतने अधिक विलंब के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए । इस संदर्भ में प्रथम इत्तिलाकर्ता सत्यब्रत चौधरी (अभि. सा. 12), पीड़ित लड़की के भाई ने, जो स्वयं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए सिलचर गया था, ने विलंब के संबंध में

यह स्पष्टीकरण दिया है कि घर आने के पश्चात् उसकी बहन आघात के कारण बोलने में असमर्थ थी । डाक्टरों द्वारा उसका उपचार किया गया था । उसके 15-16 दिनों के पश्चात् ही वह सामान्य हो पाई थी । उसके पश्चात् उसकी बहन ने उसे और कुटुंब के अन्य सदस्यों को इस घटना के संबंध में बताया था । कुटुंब के अन्य सदस्यों ने भी इसी प्रकार की बात कही है । स्वयं पीड़ित लड़की (अभि. सा. 34) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सिलचर से घर वापस आने के पश्चात् वह अस्वस्थ थी । उसके चेहरे पर किए गए तरल पदार्थ के छिड़काव के कारण उसे चिकित्सीय उपचार कराना पड़ा । कुछ समय पश्चात् जब वह स्वस्थ हो गई और उसने अपने भाई और माता को घटना के संबंध में जानकारी दी तो उस समय प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि उसने घर वापस आने के लगभग 15 दिन पश्चात् अपने कुटुंब के सदस्यों को घटना की जानकारी दी थी ।

25. इस प्रकार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए 5 (पांच) माह के लंबे विलंब के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा यह सुझाव देकर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है कि घर वापस आने के पश्चात् लड़की लगभग पंद्रह दिन तक शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षुब्ध थी और इसलिए वह अपने साथ घटित हुई इस बुरी घटना के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं करा सकी थी । पीड़ित लड़की ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने घर वापस आने के लगभग 15 दिन पश्चात् अपने कुटुंब के सदस्यों को इस पूर्ण घटना के ब्यौरे उपलब्ध कराए थे । इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा इस लंबे विलंब के लिए उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण विलंब की संपूर्ण अवधि को स्पष्ट नहीं करता है । पीड़ित लड़की और उसके नातेदारों द्वारा किए गए कथनों के अनुसार वह घर वापस आने के लगभग पंद्रह दिन पश्चात् घटना के पूर्ण ब्यौरे देने में समर्थ हो सकी थी । इस प्रकार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जिसे उसके लगभग साढ़े चार माह पश्चात् दर्ज किया गया था, को दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ था और इस विलंब के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है । इस विलंब

का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वीकार्य रूप से पीड़ित लड़की को उसके भाई ने स्थानीय पुलिस की सहायता से सिलचर से छुड़ाया था । इस प्रकार पीड़ित लड़की को सिलचर स्थित वेश्यालय से छुड़ाए जाने के समय सिलचर पुलिस वहां उपस्थित थीं । इस प्रकार वहीं सिलचर में ही कुटुंब के सदस्यों द्वारा एक शिकायत दर्ज की जा सकती थी । यह बात भी हैरान कर देने वाली है कि सिलचर पुलिस ने भी इस प्रकार की गंभीर घटना का संज्ञान न लेते हुए कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की । सुब्रत चौधरी (अभि. सा. 7), पीड़ित लड़की के भाई ने यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की के घर वापस आने के लगभग 10 दिन पश्चात् स्थानीय पुलिस थाने से पुलिस कर्मी उनके घर आए थे । उस समय भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जा सकती थी ।

26. अत: सुसंगत साक्षियों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्यों की, स्पष्ट न किए गए इस अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखते हुए गहराई से समीक्षा करनी होगी । स्वयं पीड़ित लड़की और साथ ही उसके निकट के नातेदारों जैसे कि उसके भाई सुब्रत चौधरी (अभि. सा. 7) और माता श्रीमती उर्मिला चौधरी (अभि. सा. 8) ने इस बात का उल्लेख किया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने पीड़ित लड़की को मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव लेकर उनसे संपर्क किया था जिसके लिए उन्हें 3,000/- रुपए की राशि का संदाय करना था और तदुपरांत पीड़ित लड़की तारीख 19 दिसंबर, 2009 को अभियुक्त के साथ अगरतला गई थी । स्वयं पीड़ित लड़की ने भी इस बात की पुष्टि की है । अभियोजन पक्ष के आरोप के इस पहले भाग के संबंध में कोई सुसंगत संदेह उत्पन्न नहीं होता है । इस प्रकार पीड़ित लड़की नौकरी के साक्षात्कार हेतु आवेदन करने के लिए उक्त तारीख को अभियुक्त के साथ अगरतला गई थी । इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि पीड़ित लड़की उस दिन या उस दिन के पश्चात् किसी अन्य दिन स्वयं घर वापस नहीं आई । उसके पश्चात् उसके कुटुंब के सदस्यों ने उसके संबंध में खोजबीन और जांच पड़ताल आरंभ की जैसा कि उसके भाई सुब्रत चौधरी (अभि. सा. 7) द्वारा कथन किया गया है और उसका एक अन्य भाई सत्यब्रत चौधरी

(अभि. सा. 12), जो प्रथम इत्तिलाकर्ता है, भी गुवाहाटी से अपने कुटुंब के पास ग्राम में आ गया । पीड़ित लड़की के कुटुंब ने पुलिस के पास एक गुमशुदा रिपोर्ट भी रजिस्टर की जो स्वयं इस तथ्य की पुष्टि करती है । इसके अतिरिक्त, इस तथ्य पर भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ समय पश्चात् लड़की के कुटुंब को मलय देब (अभि. सा. 6) द्वारा अपने भतीजे सुजित पॉल (अभि. सा. 1) के माध्यम से दी गई यह जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़ित लड़की सिलचर में है । यह तथ्य भी भली-भांति स्थापित है कि सत्यब्रत चौधरी (अभि. सा. 12) सिलचर गया और वहां उसने स्थानीय पुलिस की सहायता से पीड़ित लड़की को छुड़ा लिया । तथापि, इस बात की गहराई से परीक्षा करनी होगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस संबंध में सही-सही क्या भूमिका निभाई थी जिससे पीड़ित लड़की अगरतला में नौकरी हेतु आवेदन करने के पश्चात् अपने घर जाने की बजाय सिलचर पहुंच गई ।

27. इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़ित लड़की है । अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि वह और अभियुक्त व्यक्ति ग्राम के बाजार के पास अगरतला जाने के लिए एक जीप में बैठे थे । जीप में अभियुक्त ने उसके चेहरे पर एक तरल पदार्थ का छिड़काव किया था जिसके कारण उसे अत्यधिक असुविधा हुई और वह बेहोश हो गई । जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को सिलचर स्थित एक कक्ष में पाया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात को स्वीकार किया है कि जीप में उनके अलावा 10 या 15 अन्य व्यक्ति भी थे । उसके चेहरे पर तरल पदार्थ का छिड़काव उन सब व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था ।

28. उसका यह कथन कि जीप में उसके चेहरे पर किसी तरल पदार्थ का छिड़काव किया गया जिसके कारण वह होशो-हवाश खो बैठी थी और वह तब तक बेहोश रही जब तक कि उसे सिलचर स्थित वेश्यालय तक नहीं पहुंचा दिया गया, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । प्रथमत: जैसा कि उल्लेख किया गया है जीप में 10 या 15 अन्य सह-यात्री भी मौजूद थे । द्वितीयत: उसने यह दावा किया है कि उसके चेहरे

पर तरल पदार्थ का छिड़काव उन सभी की उपस्थिति में किया गया था । तृतीयत: उसने यह दावा किया है कि उसे यह बात पता नहीं चली कि उसे उसी बेहोशी की अवस्था में सिलचर ले जाया गया था जहां पहुंचकर उसे होश आया था । जब यह संपूर्ण घटना एक बंद वाहन में अनेक अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में घटित हुई थी और जिसके पश्चात् पीड़ित लड़की द्वारा यह दावा किया गया है उसे इस प्रकार बेहोश या अर्द्ध-बेहोशी की अवस्था में अगरतला की बजाय सिलचर ले जाया गया तो निश्चित रूप से यह बात सह-यात्रियों का ध्यान आकृष्ट करेगी और साथ ही उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ होगा । स्वीकार्य रूप से घटना के समय जीप में अनेक व्यक्ति मौजूद थे । जब दिन-दहाड़े पीड़ित लड़की को बेहोशी की अवस्था में इस प्रकार ले जाया जा रहा था तो अनेक अन्य व्यक्तियों ने भी इस घटना को देखा होगा और अभियुक्त से इस संबंध में प्रश्न भी किए होंगे । इस प्रकार पीड़ित लड़की द्वारा किया गया यह कथन विश्वासोत्पादक नहीं है । उसने स्पष्ट रूप से एक मिथ्या दावा किया है और उसने उन परिस्थितियों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है जिनमें वह सिलचर में पाई गई थी ।

29. वह इस बात की एकमात्र साक्षी है कि वह किसी प्रकार अगरतला की बजाय सिलचर और फिर वापस अपने घर पहुंची । इस साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य पर विश्वास करने के लिए उसका साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का होना चाहिए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए घोर विलंब के आलोक में उसके अभिसाक्ष्य का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना होगा ।

30. यद्यपि पीड़ित लड़की के नातेदारों का इस संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है कि पीड़ित लड़की नौकरी हेतु आवेदन करने के लिए अभियुक्त के साथ अपने ग्राम से अगरतला गई थी और इस तथ्य के प्रति कोई विवाद नहीं है कि उसके पश्चात् वह अपने ग्राम वापस नहीं आई, फिर भी पीड़ित लड़की एकमात्र ऐसी साक्षी है जो यह बता सकती है कि वह किन परिस्थितियों के अधीन गुम हुई थी । किंतु इस संबंध में उसका साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

31. वर्तमान मामले में एक उचित तथा बेहतर अन्वेषण अधिक उपयोगी सिद्ध होता । यदि उस समय जब पीड़ित लड़की को जब सिलचर से छुड़ाया गया था, समुचित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई होती और अन्वेषण किया गया होता तो उसके छुड़ाए जाने की घटना सम्यक् रूप से लेखबद्ध की गई होती तथा उसे स्वतंत्र पंच साक्षियों का समर्थन भी प्राप्त होता । सिलचर में उसे किस स्थान पर पाया गया था और उसे किन व्यक्तियों की अभिरक्षा में रखा गया था तथा वे किस प्रकार की परिस्थितियां थीं जिनके अधीन उसे बंदी बनाकर रखा गया था, ये सभी कारक अन्वेषण का भाग होने चाहिए थे । न तो पुलिस ने ही और न ही शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष को सुदृढ़ किया है क्योंकि पुलिस ने लड़की को छुड़ाए जाने के तुरंत पश्चात् अन्वेषण आरंभ नहीं किया और लड़की के गुम हो जाने के लगभग 5 (पांच) माह पश्चात् तथा उसे ढूंढ़ लिए जाने के लगभग साढ़े चार माह पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जैसा कि स्वयं पीड़ित लड़की और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा कथन किया गया है इस प्रकार उसकी व्यथा के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो सके थे । अभियोजन पक्ष ने पीड़ित लड़की को अभियुक्त द्वारा देह व्यापार में जबरदस्ती धकेले जाने संबंधी भूमिका को विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं किया है । इस प्रकार उन अपराधों के लिए, जिनके संबंध में वह विचारण न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया था, उसकी दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

32. आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है । यदि उसकी किसी अन्य दांडिक मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत निर्मुक्त किया जाए ।

33. इस प्रकार अपील का निपटारा किया जाता है । लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

भूदेब उचई और अन्य

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 34)

तारीख 27 मई, 2020

न्यायमूर्ति एस. तालापात्रा और न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(1) और धारा 109 – बलात्संग – अभियुक्त पर पीड़ित का अपहरण करने और उसके साथ बलात्संग करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्त और पीड़ित का एकदूसरे से परिचित होना – मामले में दो घटनाओं का सम्मिलित होना – प्रथम घटना के समय स्वयं पीड़ित के कथनानुसार उसके माता-पिता उसे अभियुक्त के घर छोड़ गए थे जहां अभियुक्त ने उसके साथ कुछ दिनों तक बलात्संग किया – उसके पश्चात् पीड़ित द्वारा अपने पति के घर वापस आ जाना किंतु उक्त घटना के संबंध में कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज न किया जाना – अभियुक्त की अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के बाद भी पीड़ित द्वारा 10 दिन तक कोई शिकायत अथवा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज न किया जाना – अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जो यह साबित कर सके कि अभियुक्त ने पीड़ित को उसकी सहमति के बिना मृत्यु या शारीरिक उपहति का भय दिखाकर निरुद्ध रखा था और इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि पीड़ित ने अभियुक्त द्वारा किए जाने वाले बलात्संग का विरोध किया था जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त कार्य में पीड़ित की सहमति विद्यमान थी, अत: इन परिस्थितियों में अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा जाना सर्वथा अनुचित है ।

अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं, पीड़ित (जिसका नाम गुप्त रखा गया है) ने तारीख 26 सितंबर,

2014 को विद्वान् उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंचनपुर के न्यायालय में एक लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ उसने यह अभिकथन किया कि वह अपने पति उदय राम रियांग के साथ कंचनपुर के लोहाराम पारा में स्थित उसके घर में अपने विवाह के पश्चात् तारीख 5 मई, 2010 से निवास कर रही थी । तारीख 13 मार्च, 2013 को जब वह अपने पिता के घर में थी उस समय प्रथम अपीलार्थी अपने साथियों के साथ वहां आया और वह बलपूर्वक उसे घर से उठाकर ले गया और उसके पश्चात् उसने उसे दो दिन तक एक जंगल के भीतर बनी झोंपड़ी में निरुद्ध रखा जिसके दौरान उसके साथ बार-बार बलात्संग किया गया । उस झोंपड़ी से प्रथम अपीलार्थी उसे अपने घर ले गया जहां उसने अनेक बार उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया । उसके कुछ दिनों के पश्चात् वहां से भाग कर वह अपने पति के घर आ गई । इस घटना के एक वर्ष पश्चात् तारीख 14 मार्च, 2014 को प्रथम अपीलार्थी पुन: अपने साथियों के साथ उसके पति के घर आया, उन्होंने उस पर हमला किया तथा उसके पति की अनुपस्थिति में उसके घर से उसका अपहरण किया । उसका पिता, अर्थात् दूसरा अपीलार्थी उस समय प्रथम अपीलार्थी के साथ था तथा वह उसे अपराध कारित करने के लिए प्रेरित कर रहा था और साथ ही सहयोग भी प्रदान कर रहा था । उसके पश्चात् प्रथम अपीलार्थी ने पीड़ित को लगभग छह माह तक अपने घर में अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया और तब एक दिन जब प्रथम अपीलार्थी अपने घर पर उपस्थित नहीं था उस समय पीड़ित अपने साथ अपनी दो वर्ष की पुत्री को लेकर उसके घर से भाग गई और वह अपने पति उदय राम रियांग के घर वापस आ गई । प्रथम अपीलार्थी के साथ अपने निवास के दौरान प्रथम अपीलार्थी ने पीड़ित को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था और वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु क्या थी । विद्वान् उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत को कंचनपुर पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष को अग्रेषित किया और साथ ही यह निदेश दिया कि वह उसकी शिकायत के आधार पर एक मामला रजिस्टर करे तथा दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 156(3) के निबंधनानुसार अन्वेषण करने के पश्चात् मामले के संबंध में उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करे । उक्त शिकायत के प्राप्त होने के पश्चात् तारीख 24 अक्तूबर, 2014 को पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 366, 346, 376 और धारा 34 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन 2014 का कंचनपुर पुलिस थाना मामला संख्या 93 रजिस्टर किया गया और उसके संबंध में अन्वेषण आरंभ किया गया । इस मामले का संपूर्ण अन्वेषण श्री शक्ति साधन जमातिया (अभि. सा. 9) जो कंचनपुर पुलिस थाने में पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था, द्वारा पूरा किया गया । अपने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों की परीक्षा करने तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उनके बयानों को लेखबद्ध करने के अलावा कंचनपुर उप मंडलीय अस्पताल में तारीख 5 नवंबर, 2014 को पीड़ित की चिकित्सा परीक्षा भी करवाई । डाक्टर को पीड़ित के शरीर पर क्षति का कोई ऐसा चिह्न या यौन हमले का कोई अन्य दृश्य लक्षण दिखाई नहीं दिया जिससे यह दर्शित हो सके कि पीड़ित, जो एक विवाहित महिला है, के साथ बलात्संग किया गया है । विद्वान् उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंचनपुर ने भी तारीख 6 नवंबर, 2014 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5) के अधीन पीड़ित के कथन को लेखबद्ध किया था । संपूर्ण अन्वेषण के पूरा हो जाने के पश्चात् प्रथम अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 366, 346, 376 और धारा 34 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र तैयार किया गया तथा दूसरे अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र तैयार किया गया । विचारण के पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में स्वीकार्य रूप से पीड़ित महिला एक वयस्क और विवाहित महिला है जिसके बालक भी हैं । इसके अतिरिक्त,

स्पष्ट रूप से प्रथम अपीलार्थी उससे अपरिचित नहीं है और द्वितीय अपीलार्थी तो स्वयं उसका पिता है । अविवादित रूप से वह उस समय अपने माता-पिता के घर लौट आई थी जब उसके पति (अभि. सा. 8) के साथ उसके वैवाहिक संबंधों में कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे और उस समय के दौरान उसके माता-पिता उसे प्रथम अपीलार्थी के घर ले गए थे जहां अभिकथित रूप से प्रथम अपीलार्थी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया था । किंतु जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है उसने यह मामला पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया और उसने केवल उस समय जब अभिकथित रूप से दूसरी घटना घटित हुई तो उसने यह मामला पुलिस को रिपोर्ट किया और वह भी अपने पति के पास वापस आने के 10 दिन पश्चात् और शिकायत दर्ज करने में विलंब के संबंध में कोई सुसंगत स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है । इसके अतिरिक्त, उसके पति ने भी, उसे इस तथ्य की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद कि उसकी पत्नी और पुत्री एक वर्ष से अधिक समय से प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा में थी, इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को नहीं की । इस संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि पीड़ित महिला को किसी भी समय प्रथम अपीलार्थी के घर में मृत्यु या शारीरिक उपहति या अन्यथा का भय दिखाकर बंदी बनाकर रखा गया था । यहां तक कि इस संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उसने प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा से स्वयं को निर्मुक्त करने के लिए किसी पड़ोसी व्यक्ति से कोई सहायता मांगी हो । कैनी राजन वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अधिकथित अनुपात को लागू करते हुए सुगमता से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि पीड़ित महिला वर्तमान मामले की परिस्थितियों में सुगमता से विरोध और सहमति के बीच अपने चुनाव का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकती थी किंतु पीड़ित महिला की ओर से विरोध किए जाने का कोई भी संकेत प्राप्त नहीं होता है । विशिष्ट रूप से उस समय जब इस बात को स्वीकार किया गया है कि वह अपनी अप्राप्तव्य पुत्री के साथ एक वर्ष से अधिक समय तक प्रथम अपीलार्थी के घर में रही थी और उसके स्वयं की ओर से या उसके पति (अभि. सा. 8) की ओर से उसे छुड़ाने के लिए कोई भी पहल नहीं की गई ।

अत: यदि इस बात पर विश्वास भी कर लिया जाए कि पीड़ित महिला इस अवधि के दौरान प्रथम अपीलार्थी के साथ थी तो सुगमता से यह बात अभिनिर्धारित की जा सकती है कि यह उसकी ओर से किया गया स्वैच्छिक और सहमतिपूर्ण कार्य था । इस तथ्य के बावजूद कि यह मामला महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है, अपीलार्थियों को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के उचित मूल्यांकन के पश्चात् उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतया साबित न हो जाएं । इस प्रकार इन परिस्थितियों में हम विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करने में असमर्थ हैं । इसके परिणामस्वरूप विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश तथा दंडादेश को अपास्त किया जाता है और अपील मंजूर की जाती है । इसके परिणामस्वरूप दोनों अपीलार्थियों अर्थात् भूदेब उचई और तरसाराम रियांग को निर्मुक्त किया जाता है । (पैरा 26 और 27)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5455 सी. डब्ल्यू. 5455 : **कैनी राजन** बनाम **केरल राज्य** ;	25,26
[2003]	मनु एस. सी./0162/2003 = (2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 1539 (एस. सी.) = 2003 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1035 : **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य** ।	21

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 34.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उत्तरी त्रिपुरा न्यायिक जिला द्वारा 2015 के सेशन विचारण मामला सं. टी-1/13 में तारीख 11 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री डी. देबबर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एस. घोष

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. जी. चट्टोपाध्याय ने दिया ।

न्या. चट्टोपाध्याय – वर्तमान मामले में दो अपीलार्थी हैं, जिनमें से सिद्धदोष अपीलार्थी भूदेब उचई (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम अपीलार्थी' कहा गया है), को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था तथा उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को भोगने तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया था जिसमें व्यतिक्रम करने पर उसे छह मास के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और तरसाराम रियांग दूसरा सिद्धदोष अपीलार्थी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दूसरा अपीलार्थी' कहा गया है) जो पीड़ित व्यक्ति का पिता है तथा उसे दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित धारा 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया तथा 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । उक्त दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उत्तरी त्रिपुरा न्यायिक जिला द्वारा 2015 के सेशन विचारण मामला सं. टी-1/13 में तारीख 11 जुलाई, 2018 को पारित किया गया है ।

उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर ऊपर कथित दोनों सिद्धदोष अपीलार्थियों ने इस न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की है । इस अपील से संबंधित तथ्यों को संक्षिप्त रूप में नीचे कथित किया गया है –

2. पीड़ित (जिसका नाम गुप्त रखा गया है) ने तारीख 26 सितंबर, 2014 को विद्वान् उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंचनपुर के न्यायालय में एक लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसमें अन्य बातों के

साथ उसने यह अभिकथन किया कि वह अपने पति उदय राम रियांग के साथ कंचनपुर के लोहाराम पारा में स्थित उसके घर में अपने विवाह के पश्चात् तारीख 5 मई, 2010 से निवास कर रही थी । तारीख 13 मार्च, 2013 को जब वह अपने पिता के घर में थी उस समय प्रथम अपीलार्थी अपने साथियों के साथ वहां आया और वह बल पूर्वक उसे घर से उठाकर ले गया और उसके पश्चात् उसने उसे दो दिन तक एक जंगल के भीतर बनी झोंपड़ी में निरुद्ध रखा जिसके दौरान उसके साथ बार-बार बलात्संग किया गया । उस झोंपड़ी से प्रथम अपीलार्थी उसे अपने घर ले गया जहां उसने अनेक बार उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया । उसके कुछ दिनों के पश्चात् वहां से भाग कर वह अपने पति के घर आ गई । इस घटना के एक वर्ष पश्चात् तारीख 14 मार्च, 2014 को प्रथम अपीलार्थी पुन: अपने साथियों के साथ उसके पति के घर आया, उन्होंने उस पर हमला किया तथा उसके पति की अनुपस्थिति में उसके घर से उसका अपहरण किया । उसका पिता, अर्थात् दूसरा अपीलार्थी उस समय प्रथम अपीलार्थी के साथ था तथा वह उसे अपराध कारित करने के लिए प्रेरित कर रहा था और साथ ही सहयोग भी प्रदान कर रहा था । उसके प्रश्चात् प्रथम अपीलार्थी ने पीड़ित को लगभग छह माह तक अपने घर में अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया और तब एक दिन जब प्रथम अपीलार्थी अपने घर पर उपस्थित नहीं था उस समय पीड़ित अपने साथ अपनी दो वर्ष की पुत्री को लेकर उसके घर से भाग गई और वह अपने पति उदय राम रियांग के घर वापस आ गई । प्रथम अपीलार्थी के साथ अपने निवास के दौरान प्रथम अपीलार्थी ने पीड़ित को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था और वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु क्या थी ।

3. विद्वान् उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत को कंचनपुर पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष को अग्रेषित किया और साथ ही यह निदेश दिया कि वह उसकी शिकायत के आधार पर एक मामला रजिस्टर करे तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के निबंधनानुसार अन्वेषण करने के पश्चात् मामले के संबंध में उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

उक्त शिकायत के प्राप्त होने के पश्चात् तारीख 24 अक्तूबर, 2014 को पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 366, 346, 376 और धारा 34 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन 2014 का कंचनपुर पुलिस थाना मामला संख्या 93 रजिस्टर किया गया और उसके संबंध में अन्वेषण आरंभ किया गया ।

4. इस मामले का संपूर्ण अन्वेषण श्री शक्ति साधन जमातिया (अभि. सा. 9) जो कंचनपुर पुलिस थाने में पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था, द्वारा पूरा किया गया । अपने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों की परीक्षा करने तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उनके बयानों को लेखबद्ध करने के अतिरिक्त कंचनपुर उपमंडलीय अस्पताल में तारीख 5 नवंबर, 2014 को पीड़ित की चिकित्सा परीक्षा भी करवाई । डाक्टर को पीड़ित के शरीर पर क्षति का कोई ऐसा चिह्न या लैंगिक हमले का कोई अन्य दृश्य लक्षण दिखाई नहीं दिया जिससे यह दर्शित हो सके कि पीड़ित, जो एक विवाहित महिला है, के साथ बलात्संग किया गया है । विद्वान् उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंचनपुर ने भी तारीख 6 नवंबर, 2014 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5) के अधीन पीड़ित के कथन को लेखबद्ध किया था ।

5. संपूर्ण अन्वेषण के पूरा हो जाने के पश्चात् प्रथम अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 366, 346, 376 और धारा 34 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र तैयार किया गया तथा दूसरे अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 120ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र तैयार किया गया ।

6. विद्वान् उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् यह मामला सेशन न्यायालय को सौंप दिया जहां इस मामले को वर्ष 2015 के एस.टी/टी-1/13 के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने प्रथम अपीलार्थी, अर्थात् भूदेब उचई के विरुद्ध दंड संहिता

की धारा 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तथा दूसरे अपीलार्थी, अर्थात् तरसाराम रियांग, पीड़ित के पिता के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित धारा 366 और 376(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए । दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण का दावा किया और इसलिए यह मामला पूर्वोक्त अपराधों के लिए विचारण हेतु विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

7. विचारण के दौरान अभियोजन ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 9 साक्षियों, जिसमें पीड़ित भी सम्मिलित थी, की परीक्षा की, जो निम्नानुसार हैं :-

1 रिशमबती रियांग	अभि. सा. 1
2 संतजॉय रियांग	अभि. सा. 2
3 रिपन नाथ	अभि. सा. 3
4 सुनाजॉय रियांग	अभि. सा. 4
5 धनियाराम रियांग	अभि. सा. 5
6 भाबातोष तालुकदार	अभि. सा. 6
7 पीड़ित	अभि. सा. 7
8 उदय राम रियांग	अभि. सा. 8
9 शक्ति साधन जमातिया	अभि. सा. 9

8. अभियोजन के साक्ष्य के समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त अपीलार्थियों की ओर से दो साक्षियों की परीक्षा की गई थी । इन दो साक्षियों की प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई जिनके नाम क्रमश: सिंदराय रियांग और श्री पूर्णजय रियांग हैं । उसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त अपीलार्थियों के कथन को लेखबद्ध किया जिसमें उन दोनों ने उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों और परिस्थितियों से इनकार किया

तथा अपने निर्दोष होने तथा मिथ्या रूप से फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।

9. साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि प्रथम अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्संग का आरोप सिद्ध होता है और दूसरे अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्संग कारित करने हेतु दुष्प्रेरित करने का अपराध सभी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होता है और इसके परिणामस्वरूप विद्वान् विचारण न्यायालय ने उपरोक्तानुसार दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया तथा उनके विरुद्ध दंडादेश का निर्णय पारित किया ।

10. इस अपील की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि अभिलेख पर उपलब्ध विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने सही तौर पर अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया है तथा पीड़ित के साक्ष्य के आधार पर, जिसे अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि प्राप्त हुई है, अपीलार्थियों के विरुद्ध दंडादेश पारित किया है । अत: विद्वान् लोक अभियोजक ने इस न्यायालय से यह अनुरोध किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को कायम रखा जाए तथा वर्तमान अपील को खारिज किया जाए ।

11. दूसरी ओर अपीलार्थियों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन का यह पक्षकथन कि प्रथम अपीलार्थी ने पीड़िता को दिन दहाड़े उसकी दो वर्ष की पुत्री के साथ उसके पति के घर से अपहृत किया था और उसके साथ बलात्संग किया और वह भी पीड़िता के पिता की सहायता और उनकी दुष्प्रेरणा से तथा पीड़िता के पति ने अपनी पत्नी और पुत्री को छुड़ाने तथा वापस लाने के लिए इस पूरी लंबी अवधि के दौरान पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जिसके दौरान उसकी पत्नी और पुत्री प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा में रही थी जबकि उसे इस बारे में पूर्ण जानकारी थी कि प्रथम अपीलार्थी ने उसकी पत्नी और पुत्री को कहां छिपा कर रखा था, इन

तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि इस घटना की संभाव्यता काफी कम है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने पीड़िता की शिकायत (प्रदर्श-1) में और मामले के विचारण के दौरान न्यायालय में लेखबद्ध किए गए उसके कथन में विद्यमान अनेक विरोधाभासों को इंगित किया है और यह दलील दी है कि अभियोजन पक्षकथन स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय है । अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि शिकायत (प्रदर्श-1) के अनुसार प्रथम अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से पीड़िता का अपहरण तारीख 13 मार्च, 2013 को किया था और उसके पश्चात् वह उसे जंगल के भीतर एक सुनसान झोंपड़ी में ले गया था जहां उसने उसे निरुद्ध रखा और बार-बार उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् वह उसे उस झोंपड़ी से अपने घर ले गया जहां उसने पुन: उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए और स्वीकार्य रूप से पीड़िता ने इस घटना के पश्चात् प्रथम अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं की जो स्वयं में हैरान कर देने वाली बात है और पीड़िता द्वारा घटना के तुरंत पश्चात् शिकायत दर्ज न करना अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन को संदेहास्पद बनाता है ।

अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन का यह पक्षकथन कि पीड़िता को पुन: तारीख 14 मार्च, 2014 को उसके पति के घर से, पीड़िता के पिता, जो वर्तमान मामले में द्वितीय अपीलार्थी है, की सहायता से अपहृत किया गया और उसे पुन: उसकी अप्राप्तव्य पुत्री के साथ तारीख 16 सितंबर, 2014 तक लगभग 6 माह के लिए निरुद्ध रखा गया और इस अवधि के दौरान भी प्रथम अपीलार्थी ने उसके साथ बार-बार बलात्संग किया और उसके पश्चात् वह तारीख 16 सितंबर, 2014 को प्रथम अपीलार्थी की अनुपस्थिति में वहां से भाग कर अपने पति के घर आ गई, समुचित साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है । अंत में अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा से बच निकलने से 10 दिनों के पश्चात् न्यायालय में अपनी शिकायत (प्रदर्श-1) दर्ज की

और इस संबंध में कोई स्वीकार किए जाने योग्य स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने में इस प्रकार विलंब क्यों हुआ ।

पूर्वोक्त तर्कों के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश पारित करके त्रुटि की है और इस प्रकार अपील मंजूर करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाना चाहिए ।

12. अत: वर्तमान अपील में इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित करके और उन्हें अभिकथित अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराकर तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित करके कोई त्रुटि की है ।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से जिन साक्षियों की परीक्षा की गई है उनमें रिशमबाती रियांग (अभि. सा. 1) पीड़िता को जानने वाली महिला है जो मामले से पूर्णतया अनभिज्ञ है । उसने साधारण रूप से, विचारण के दौरान लेखबद्ध किए गए अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि पीड़िता एक विवाहित महिला है जिसके दो बालक हैं । संतजॉय रियांग (अभि. सा. 2) पीड़िता का पड़ोसी है और उसके पास घटना की कोई प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानकारी नहीं है । इस अभियोजन साक्षी ने केवल इस बात को सुना था कि द्वितीय अपीलार्थी ने अपनी पीड़ित पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रथम अपीलार्थी के साथ कर दिया था और प्रथम अपीलार्थी के साथ अपने विवाह के कुछ दिनों पश्चात् पीड़ित महिला ने प्रथम अपीलार्थी को छोड़ दिया और वह वापस अपने पूर्व पति उदयराम रियांग, जो अभि. सा. 8 है, के पास आ गई और उसके पश्चात् प्रथम अपीलार्थी ने उसका अपहरण किया किंतु पीड़ित महिला पुन: अपने पूर्व पति उदयराम रियांग के पास लौट आई और

उसके पश्चात् उसने शिकायत (प्रदर्श-1) दर्ज की । रिपन नाथ (अभि. सा. 3) ने उस शिकायत को लिखा था जिसे तारीख 26 सितंबर, 2014 को पीड़िता द्वारा न्यायालय में दर्ज किया गया था । उसके द्वारा शनाख्त किए जाने तक शिकायत को साक्ष्य रूप में स्वीकार किया गया और मामले के विचारण के दौरान उसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया । संतजॉय रियांग (अभि. सा. 4) के अनुसार पीड़िता ने उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) से विवाह किया था जिसे उसके पिता, जो वर्तमान मामले में द्वितीय अपीलार्थी है, ने स्वीकार नहीं किया और जिसके परिणामस्वरूप उसने प्रथम अपीलार्थी की पीड़िता को उसके पति के घर से अपहृत करने और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में सहायता की और साथ ही उसे ऐसा करने के लिए उकसाया भी । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उदयराम रियांग, पीड़िता का पति, उसका नातेदार है । तथापि, उसने विचारण के दौरान विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल के इस सुझाव से इनकार किया कि उदयराम रियांग के साथ अपनी नातेदारी के कारण तथा प्रथम अपीलार्थी से दुश्मनी होने के कारण उसने प्रथम अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दिया है । धन्यराम रियांग (अभि. सा. 5) जो पीड़िता का एक पड़ोसी है, ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान विचारण न्यायालय को यह बताया था कि उदयराम रियांग के साथ अपने विवाह के पश्चात् पीड़िता अपने माता-पिता के घर आई थी और वहां लगभग दो सप्ताह तक रही थी । उस समय द्वितीय अपीलार्थी, पीड़िता के पिता ने उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रथम अपीलार्थी के साथ कर दिया किंतु उसके कुछ दिन पश्चात् वह प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा से भाग गई और अपने पति (अभि. सा. 8) के पास वापस चली गई, जहां से प्रथम अपीलार्थी ने उसका पुन: अपहरण किया था । भाबातोष तालुकदार (अभि. सा. 6) जो एक पुलिस अधिकारी है, ने तारीख 24 अक्तूबर, 2014 को पुलिस थाने में पीड़िता की शिकायत को प्राप्त किया था जिसे न्यायालय द्वारा अग्रेषित किया गया था । साक्षी ने शिकायत पर उसके द्वारा किए गए पृष्ठांकन की शनाख्त की जिसे विचारण के दौरान प्रदर्श 1/3 के रूप में चिह्नित किया गया । अभि. सा. 7 स्वयं पीड़ित महिला है । उसने

अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वर्ष 2013 में किसी एक दिन पूर्वाह्न लगभग 9.00/10.00 बजे जब वह लोहाराम पाड़ा, कंचनपुर स्थित अपने वैवाहिक घर में निवास कर रही थी तो उस समय प्रथम अपीलार्थी 4-5 व्यक्तियों के साथ उसके घर आया और उसे बलपूर्वक उठाकर अमरपुर स्थित जतनबारी नामक स्थान पर ले गया और उसने उसे वहां एक झोंपड़ी में 2/3 दिन निरुद्ध रखा और उसके साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् उसने मौका पाकर प्रथम अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उसके सेलफोन से अपने पति उदयराम रियांग से संपर्क किया और उसके पश्चात् मौका मिलने पर वह प्रथम अपीलार्थी के घर से भाग कर अपने पति के घर आ गई । अपनी मुख्य परीक्षा में उसने इस बात को भी स्पष्ट किया कि चूंकि प्रथम अपीलार्थी रिश्ते में उसका मामा है इसलिए वह उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करने से हिचकिचा रही थी और वह चाहती थी कि इस मामले का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए । अभि. सा. 8 का नाम उदयराम रियांग है जो पीड़िता का पति है । विचारण के दौरान उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़ित महिला के साथ उसके विवाह के दो वर्ष के उपरांत उनके बीच कुछ वैवाहिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे जिसके कारण उसकी पत्नी उससे रुष्ट होकर अपने पिता के घर चली गई थी और उसके तीन माह पश्चात् वह उसके घर वापस आई थी । तारीख 5 मार्च, 2013 को जब वह अपने घर पर मौजूद नहीं था, उस समय द्वितीय अपीलार्थी, अर्थात् पीड़िता का पिता उसकी माता और प्रथम अपीलार्थी और साथ ही अन्य 10 व्यक्तियों के साथ उसके घर पहुंचा और वे बलपूर्वक उसे उसके बालक के साथ उठाकर प्रथम अपीलार्थी के घर ले गए । उसके पश्चात् प्रथम अपीलार्थी ने उसे लगभग एक वर्ष तक अपने पास निरुद्ध रखा जिसके पश्चात् पीड़िता इस साक्षी के पास लौट आई और उसने यह शिकायत की कि प्रथम अपीलार्थी ने इस अवधि के दौरान उसके साथ अनेक बार बलात्संग किया था । उसके पश्चात् वर्तमान मामला दर्ज किया गया । उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस बात को स्वीकार किया कि उसने कभी भी अपनी पत्नी के अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा किए गए अभिकथित अपहरण के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की ।

प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा शपथ पर किया गया कथन निम्नानुसार है :-

> "मेरी पत्नी के अपहरण के पश्चात् मैंने एक वर्ष के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया । इसकी बजाय मैंने अपने समुदाय में इसकी सूचना दी थी । यद्यपि हमारे समुदाय ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियों को बुलाया था किंतु मेरे ससुर और सास ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था । इसी अवधि के दौरान मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि मेरी पत्नी भूदेब उचई के घर निवास कर रही है ।"

शक्तिसाधन जमातिया (अभि. सा. 9) ने इस मामले का अन्वेषण किया और उसके अनुसार दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो रहा था और इसलिए उसने दोनों व्यक्तियों पर विचारण चलाए जाने के लिए उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

14. स्वीकार्य रूप से वर्तमान मामले में द्वितीय अपीलार्थी पीड़ित महिला का पिता है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) के साथ अपनी पुत्री के विवाह को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि अपीलार्थी ईसाई धर्म से संबंध रखता था और इस प्रकार वह यह वांछा रखता था कि उसकी पुत्री का विवाह भी किसी ईसाई व्यक्ति से हो । अपनी प्रतिपरीक्षा में पीड़ित महिला (अभि. सा. 7) ने निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया है :-

> "यह सत्य है कि मेरे पिता एक ईसाई हैं और मैं अपने बाल्यकाल से ही एक ईसाई परिवार से संबंध रखती हूं । यह भी सत्य है कि मेरा वर्तमान पति ईसाई नहीं है ।"

इसी प्रकार पीड़ित महिला के पति उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) ने विचारण के दौरान निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया है :-

> "मैंने पीड़ित महिला से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था । विवाह कराने वाला पंडित भी एक हिंदू था ।"

15. हमारे समक्ष यह बात आई है कि पीड़ित महिला (अभि. सा. 7) ने इस बात से इनकार किया है कि उसका प्रथम अपीलार्थी के साथ कोई

वैवाहिक संबंध है । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसने एक बार प्रथम अपीलार्थी के साथ उसके घर में निवास किया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नानुसार कथन किया है :-

> "यह सत्य है कि वर्ष 2013 में मेरे माता-पिता मुझे भूदेब उचई के घर ले गए थे । उस समय भूदेब उचई भी हमारे साथ गया था और उसके पश्चात् मेरे पिता मुझे भूदेब उचई के घर छोड़कर वापस अपने घर चले गए थे ।"

16. पीड़ित महिला द्वारा की गई शिकायत (प्रदर्श-1) का परिशीलन करने से हमें एक भिन्न कहानी प्राप्त होती है । जैसा कि पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत (प्रदर्श-1) में कथन किया है, पहली घटना तारीख 13 मार्च, 2013 को घटित हुई थी जब प्रथम अपीलार्थी उसे उसके माता-पिता के घर से बलपूर्वक उठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया और उसे एक जंगल के भीतर बनी झोंपड़ी में निरुद्ध रखा और उसके साथ बलात्संग भी किया और उसके पश्चात् वह उसे अपने घर ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए । वहां से भागकर पीड़ित महिला अपने पति के घर चली गई थी । पुन: तारीख 14 मार्च, 2014, अर्थात् प्रथम घटना के एक वर्ष पश्चात् प्रथम अपीलार्थी ने द्वितीय अपीलार्थी और अपने अन्य सहयोगियों की सहायता से पीड़ित महिला का उसके पति के घर से अपहरण किया और उसे अपने घर पर निरुद्ध रखा । इस बार पीड़ित महिला लगभग छह माह तक प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा में रही और उसके पश्चात् वह तारीख 16 सितंबर, 2014 को अपनी अप्राप्तव्य पुत्री के साथ भाग कर अपने पति (अभि. सा. 8) के घर लौट आई ।

17. स्वीकार्य रूप से मार्च, 2013 में हुई प्रथम घटना के पश्चात् पीड़ित महिला ने कोई शिकायत नहीं की और न ही इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को की । उसने इस घटना का उल्लेख पहली बार उस समय किया जब उसके एक वर्ष पश्चात् दूसरी घटना घटित हुई जब उसे अभिकथित रूप से प्रथम अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपीलार्थी की सहायता से तारीख 14 मार्च, 2014 को उसके पति के घर से अपहृत किया गया

था और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) ने अभिकथित रूप से अपने घर से अपनी पत्नी और अप्राप्तव्य पुत्री का अपहरण हो जाने के पश्चात् पीड़ित महिला का पति होने के नाते न तो पुलिस को ही इस मामले की रिपोर्ट की और न ही उसने अपनी पत्नी और पुत्री को प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा से मुक्त कराने के लिए कोई अन्य प्रयास किया । इस मामले के तथ्यों के समुचित मूल्यांकन के लिए उसकी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से निम्नलिखित उद्धरण उपयोगी सिद्ध होते हैं :-

> "मेरी अनुपस्थिति में तरसाराम रियांग अपनी पत्नी, अर्थात् मेरी सास और भूदेब उचई और अन्य 10-12 व्यक्तियों के साथ तीन यानों में बैठकर मेरे घर आया और उसने बलपूर्वक मेरी पत्नी का अपहरण किया और वे उसे भूदेब उचई के घर ले गए और उस समय मेरी पत्नी का एक बालक पैदा हो चुका था । उसके पश्चात् मैं जब घर लौटा तो मुझे इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई । उसके पश्चात् उन लोगों ने मेरी पत्नी को लगभग एक वर्ष तक अपने पास निरुद्ध रखा तथा भूदेब उचई ने यह कहते हुए मेरी पत्नी को अपने पास निरुद्ध रखा कि वह मेरी पत्नी से विवाह करेगा। इस घटना के एक वर्ष पश्चात् 2014 के अक्तूबर माह में मेरी पत्नी मेरे घर लौट आई । उसने मुझे यह बताया कि उसे इस प्रकार निरुद्ध रखे जाने के दौरान भूदेब उचई ने अनेक बार उसके साथ बलात्संग किया था । उसके पश्चात् एक न्यायालय परिवाद के रूप में उसके द्वारा वर्तमान मामला दर्ज किया गया । मेरी पत्नी ने भूदेब उचई और अपने माता-पिता के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है ।"

18. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्वितीय अपीलार्थी, अर्थात् पीड़ित महिला का पिता अपनी पुत्री का विवाह उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) के साथ नहीं करना चाहता था । जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है वह अपनी पुत्री का विवाह प्रथम अपीलार्थी भूदेब उचई, जो ईसाई धर्म से संबंध रखता है, के साथ करने की वांछा रखता था । किंतु पीड़ित महिला ने उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) के साथ विवाह किया, जो स्वीकार्य रूप से हिंदू धर्म से संबंध रखता है और इसलिए उसने उदयराम रियांग

के साथ अपनी पुत्री के विवाह को स्वीकार नहीं किया था । अभिलेख पर विद्यमान उदयराम रियांग (अभि. सा. 8), जो पीड़ित महिला का पति है, के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके विवाह के पश्चात् उनके बीच कुछ वैवाहिक मतभेद उत्पन्न हुए थे । इस संबंध में उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार अभिसाक्ष्य दिया है :–

> "विवाह के दो वर्ष पश्चात् हम दोनों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था । उसके पश्चात् मेरी पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी । उसके तीन माह पश्चात् मेरी पत्नी स्वैच्छिक रूप से वापस मेरे घर आ गई थी ।"

19. यद्यपि अपने अभिसाक्ष्य में पीड़ित महिला के पति उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) ने पहली घटना का उल्लेख नहीं किया है जो अभिकथित रूप से तारीख 13 मार्च, 2013 को उसकी पत्नी के साथ घटित हुई थी किंतु पीड़ित महिला (अभि. सा. 7) ने अपनी शिकायत (प्रदर्श-1) में यह कथन किया है कि तारीख 13 मार्च, 2013 को जब वह अपने पिता के घर पर थी तो उस समय प्रथम अपीलार्थी उसे वहां से उठाकर ले गया था और उसने उसे अपने पास निरुद्ध रखा तथा उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् वह अपने पति के घर लौट गई जिसके पश्चात् पुन: एक वर्ष के पश्चात् तारीख 14 मार्च, 2014 को प्रथम अपीलार्थी ने उसके पिता, द्वितीय अपीलार्थी की सहायता से उसके पति के घर से उसका अपहरण किया और उसे अपने घर में निरुद्ध रखा तथा उसके साथ बलात्संग किया और उसके बाद लगभग 6 माह पश्चात् वह अपने पति के घर वापस आ गई जबकि उसके पति उदयराम रियांग ने केवल एक ही घटना का उल्लेख किया है जो उसके अनुसार 5 मार्च, 2013 को घटित हुई थी ।

20. अभियोजन पक्षकथन के संबंध में सुदृढ़ रूप से संदेह उत्पन्न करने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू ये हैं कि प्रथम घटना, जो अभिकथित रूप से 13 मार्च, 2013 को घटित हुई थी, के पश्चात् पीड़ित महिला ने न तो पुलिस और न कहीं अन्यत्र कोई शिकायत दर्ज की थी । यहां तक कि उसका पति उदयराम रियांग (अभि. सा. 8) भी उस घटना

से अनभिज्ञ था । जैसा कि उसके पति (अभि. सा. 8) के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि उसे इस प्रथम घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, जो अभिकथित रूप से उसकी पत्नी के साथ घटित हुई थी और उस समय उनके विवाह, जो वर्ष 2010 में संपन्न हुआ था, को लगभग 3 वर्ष हो चुके थे और उस प्रथम घटना के दौरान वे वैवाहिक बंधन में बंधे थे । द्वितीय घटना अभिकथित रूप से 14 मार्च, 2014 को घटित हुई जब पीड़ित महिला का अभिकथित रूप से उसके पति के घर से प्रथम अपीलार्थी द्वारा अपहरण किया गया और स्वयं पीड़ित महिला के कथनानुसार उसे प्रथम अपीलार्थी द्वारा छह माह तक निरुद्ध रखा गया और उसके पति (अभि. सा. 8) के कथनानुसार यह अवधि एक वर्ष की थी और इस अवधि के दौरान प्रथम अपीलार्थी ने पीड़ित महिला के साथ बलात्संग किया किंतु उसके पति ने अपनी पत्नी के प्रथम अपीलार्थी द्वारा किए गए इस प्रकार अपहरण और उसे अपनी अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की और उसने अपनी पत्नी के घर वापस आ जाने के पश्चात् भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । यह स्पष्ट है कि जब प्रथम अपीलार्थी ने उसके घर से अभिकथित रूप से उसकी पत्नी का अपहरण किया था तो वह उसकी अप्राप्तव्य पुत्री को भी अपने साथ ले गया था । इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि उसने अपनी पत्नी और बालिका को प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा से छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और उक्त बात यह संदेह उत्पन्न करती है कि क्या वास्तव में प्रथम अपीलार्थी ने उनका अपहरण किया था । इसके अतिरिक्त, अभिलेख के परिशीलन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पीड़ित महिला ने प्रथम अपीलार्थी के घर काफी लंबा समय व्यतीत किया था और इसलिए इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि अभियुक्त-अपीलार्थी इतने लंबे समय तक उसे अपने घर पर निरुद्ध करके उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा । विशेष रूप से तब जब इस बात की ओर संकेत करने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे जान से मारने या उसे शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी दी थी या उसने उसकी आजादी को उससे छीना था या उसने अन्यथा रूप से उसे अपने घर में आतंकित किया था ।

21. बलात्संग के मामलों में सहमति से संबंधित सुस्थापित सिद्धांत यह है कि क्या अभियोजिका शारीरिक संबंधों के लिए सहमत होने वाली पक्षकार थी, और इस बात का अभिनिश्चय केवल मामले की सभी सुसंगत परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही किया जा सकता है । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में एक अनुपात अधिकथित किया था जिसका अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने से पूर्व परिशीलन करना अपेक्षित है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "21..... हम इस मत से सहमत हैं किंतु हम इस मत में इस बात को जोड़ना आवश्यक समझते हैं कि यह अवधारित करने के लिए कि क्या अभियोजिका द्वारा संभोग के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक है या उसे किसी तथ्य के मिथ्या अवधारण के अधीन दिया गया है, कोई एक सामान्य सूत्र विद्यमान नहीं है । अंततोगत्वा विश्लेषण में न्यायालयों द्वारा अधिकथित परीक्षण सर्वोत्तम रूप से न्यायाधीशों के लिए, सहमति के प्रश्न पर विचार करते समय दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हैं किंतु प्रत्येक न्यायालय को प्रत्येक मामले में उसके समक्ष विद्यमान साक्ष्य पर तथा उससे जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए और उसके पश्चात् ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं, जो इस प्रश्न को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या दी गई सहमति स्वैच्छिक थी या उसे तथ्यों की किसी मिथ्या अवधारणा के अधीन दिया गया था । प्रत्येक न्यायालय को इस तथ्य को विचार में रखते हुए साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि अपराध का प्रत्येक घटक साबित होता है और सहमति न होना इन घटकों में से एक है ।"

22. इस मामले में हमें ऐसी परिस्थिति पर विचार करना है जहां

---

[1] मनु एस. सी./0162/2003 = (2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 1539 (एस. सी.) = 2003 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1035.

पीड़ित महिला और अपीलार्थी एक-दूसरे से सुपरिचित हैं । प्रथम अपीलार्थी, जिसने अभिकथित रूप से बलात्संग किया है, यह दावा करता है कि पीड़ित महिला उसकी पत्नी है और दूसरा अपीलार्थी पीड़ित महिला का पति है जो अपनी पुत्री का विवाह प्रथम अपीलार्थी से करना चाहता है और इस संबंध में प्रथम अपीलार्थी और पीड़ित महिला की एक-दूसरे तक सुगम पहुंच है । स्वीकार्य रूप से पीड़ित महिला ने उस समय कोई आक्षेप नहीं किया था जब द्वितीय अपीलार्थी, जो उसका पिता है, ने उसकी माता के साथ मिलकर उसे मार्च, 2013 में प्रथम अपीलार्थी के घर पहुंचाया था, जब अभिकथित रूप से पहली घटना घटित हुई थी । जैसा कि पीड़ित महिला द्वारा कथन किया गया है प्रथम अपीलार्थी ने अपने घर में निवास किए जाने के समय उसके साथ बलात्संग किया था । किंतु स्पष्टतया उसने अभिकथित घटना के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की । इसके अतिरिक्त, उसका पति (अभि. सा. 8) भी उस घटना से अवगत नहीं है यद्यपि उसने पीड़ित महिला से उस घटना से पूर्व विवाह किया था । अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि उस समय पीड़ित महिला को प्रथम अपीलार्थी के घर ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया गया था । इसकी बजाय पीड़ित महिला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164(5) के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वह अपने पिता और माता के साथ प्रथम अपीलार्थी के घर गई थी और वहां प्रथम अपीलार्थी उसे एक उद्यान में घुमाने ले गया था जहां उसने बांस की बनी एक झोंपड़ी में उसके साथ बलात्संग किया था किंतु उसने न तो इस मामले के संबंध में पुलिस के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही उसने घटना के तुरंत पश्चात् अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई आरोप लगाया । उसने इस घटना का उल्लेख केवल अपनी शिकायत (प्रदर्श-1) में किया है, जिसे इस घटना के लगभग एक वर्ष पश्चात् 26 सितंबर, 2014 को उस समय न्यायालय में फाइल किया गया था जब अभिकथित रूप से अपीलार्थियों द्वारा उसका अपहरण उसके पति के घर से किया गया था ।

23. किसी महिला के साथ किया गया संभोग उस समय बलात्संग माना जाता है जब वह दंड संहिता की धारा 375 के अधीन उपबंधित

वर्णनों में से किसी के अंतर्गत आती है । धारा 375 को सुगम संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है :-

"375. बलात्संग - यदि कोई पुरुष, -

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है -

पहला - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा - उस स्त्री की सम्मति के बिना ।

तीसरा - उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ।

चौथा - उस स्त्री की सम्मति से, जब कि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने

सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि ऐसा अन्य पुरुष जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

पांचवां – उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है ।

छठवां – उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है ।

सातवां – जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है ।

स्पष्टीकरण – 1 .....

स्पष्टीकरण – 2 .....

अपवाद – 1.....

अपवाद – 2 ....."

24. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 375 के अधीन उल्लिखित चौथे, पांचवें, छठे या सातवें विवरण में से किसी के भी अंतर्गत नहीं आता है । अभिकथित रूप से पीड़ित महिला के साथ प्रथम अपीलार्थी द्वारा उसकी सहमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग किया गया जिसे द्वितीय अपीलार्थी, अर्थात् पीड़ित महिला के पिता द्वारा दुष्प्रेरित किया गया । अत: इस प्रश्न पर ऊपर की गई साक्ष्य संबंधी चर्चा के आलोक में और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि क्या यह मामला दंड संहिता की धारा 375 के अधीन उपबंधित पहले, दूसरे या तीसरे विवरण के अंतर्गत आता है ।

25. उच्चतम न्यायालय ने **कैनी राजन** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में इस संबंध में विस्तारपूर्वक विचार किया था कि ऐसे मामलों में सहमति के घटक क्या हैं और दंड संहिता की धारा 375 के निबंधनानुसार "उसकी इच्छा के विरुद्ध" पद से क्या अभिप्रेत है । इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "12. दंड संहिता की धारा 375 "बलात्संग" पद को परिभाषित करती है, जो यह इंगित करती है कि पहला खंड उस समय लागू होता है जब महिला अपने होशो-हवास में हो और इस प्रकार वह सहमति देने में समर्थ हो किंतु यह दुष्कृत्य उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है और दूसरा जब यह कृत्य उसकी सहमति के बिना किया जाता है और तीसरे चौथे और पांचवें खंड उस समय लागू होते हैं जब सहमति दी गई हो किंतु वह सहमति ऐसी नहीं है जो अपराधी को दोषमुक्त करती हो क्योंकि उस सहमति को उस महिला या किसी ऐसे व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त किया गया है । "उसकी इच्छा के विरुद्ध" पद से यह अभिप्रेत है कि यह दुष्कृत्य महिला द्वारा विरोध करने के बावजूद किया गया । सहमति के संबंध में कोई निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है यदि वह केवल साक्ष्य या मामले की संभावनाओं पर आधारित हो । "सहमति" को एक तर्क की कारणा के रूप में भी कथित किया गया है जिसके साथ विचार-विमर्श जुड़ा हो । यह किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की सक्रिय इच्छा को इंगित करता है जो किसी व्यक्ति को वह कृत्य करने की अनुमति प्रदान करता हो जिसके संबंध में शिकायत की गई है । दंड संहिता की धारा 90 "सहमति" पद को निर्दिष्ट करती है किंतु यह धारा यह वर्णन नहीं करती कि सहमति के अंतर्गत क्या नहीं है । धारा 375 के प्रयोजन के लिए "सहमति" कृत्य के महत्व और नैतिक गुणवत्ता के ज्ञान पर आधारित विवेक का प्रयोग करने के पश्चात् न केवल कृत्य में स्वैच्छिक रूप से भागीदारी की अपेक्षा

---

[1] 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5455.

करती है अपितु वह कृत्य का विरोध और उसके प्रति स्वीकारोक्ति के बीच चुनाव का पूर्णतया उपयोग करने के पश्चात् उसमें भागीदारी को भी इंगित करती है । क्या इस दुष्कृत्य में सहमति सम्मिलित थी अथवा नहीं, इस बात का अभिनिश्चय मामले की सभी सुसंगत परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही किया जा सकता है ।

26. वर्तमान मामले में स्वीकार्य रूप से पीड़ित महिला एक वयस्क और विवाहित महिला है जिसके बालक भी हैं । इसके अतिरिक्त, स्पष्ट रूप से प्रथम अपीलार्थी उससे अपरिचित नहीं है और द्वितीय अपीलार्थी तो स्वयं उसका पिता है । अविवादित रूप से वह उस समय अपने माता-पिता के घर लौट आई थी जब उसके पति (अभि. सा. 8) के साथ उसके वैवाहिक संबंधों में कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे और उस समय के दौरान उसके माता-पिता उसे प्रथम अपीलार्थी के घर ले गए थे जहां अभिकथित रूप से प्रथम अपीलार्थी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग किया था । किंतु जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है उसने यह मामला पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया और उसने केवल उस समय जब अभिकथित रूप से दूसरी घटना घटित हुई तो उसने यह मामला पुलिस को रिपोर्ट किया और वह भी अपने पति के पास वापस आने के 10 दिन पश्चात् और शिकायत दर्ज करने में विलंब के संबंध में कोई सुसंगत स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है । इसके अतिरिक्त, उसके पति ने भी, उसे इस तथ्य की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद कि उसकी पत्नी और पुत्री एक वर्ष से अधिक समय से प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा में थी, इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को नहीं की । इस संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि पीड़ित महिला को किसी भी समय प्रथम अपीलार्थी के घर में मृत्यु या शारीरिक उपहति या अन्यथा का भय दिखाकर बंदी बनाकर रखा गया था । यहां तक कि इस संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उसने प्रथम अपीलार्थी की अभिरक्षा से स्वयं को निर्मुक्त करने के लिए किसी पड़ोसी व्यक्ति से कोई सहायता मांगी हो । **कैनी राजन** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अधिकथित अनुपात को लागू करते हुए सुगमता से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि पीड़ित महिला वर्तमान

मामले की परिस्थितियों में सुगमता से विरोध और सहमति के बीच अपने चुनाव का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकती थी किंतु पीड़ित महिला की ओर से विरोध किए जाने का कोई भी संकेत प्राप्त नहीं होता है । विशिष्ट रूप से उस समय जब इस बात को स्वीकार किया गया है कि वह अपनी अप्राप्तव्य पुत्री के साथ एक वर्ष से अधिक समय तक प्रथम अपीलार्थी के घर में रही थी और उसके स्वयं की ओर से या उसके पति (अभि. सा. 8) की ओर से उसे छुड़ाने के लिए कोई भी पहल नहीं की गई । अत: यदि इस बात पर विश्वास भी कर लिया जाए कि पीड़ित महिला इस अवधि के दौरान प्रथम अपीलार्थी के साथ थी तो सुगमता से यह बात अभिनिर्धारित की जा सकती है कि यह उसकी ओर से किया गया स्वैच्छिक और सहमतिपूर्ण कार्य था ।

27. इस तथ्य के बावजूद कि यह मामला महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है, अपीलार्थियों को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के उचित मूल्यांकन के पश्चात् उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतया साबित न हो जाएं ।

इस प्रकार इन परिस्थितियों में हम विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करने में असमर्थ हैं । इसके परिणामस्वरूप विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश तथा दंडादेश को अपास्त किया जाता है और अपील को मंजूर किया जाता है ।

इसके परिणामस्वरूप दोनों अपीलार्थियों अर्थात् भूदेब उचई और तरसाराम रियांग को निर्मुक्त किया जाता है ।

मामले के अभिलेख को वापस विचारण न्यायालय भेज दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

कैलाश कृष्ण चंद्र केवट

बनाम

बिहार राज्य

(2014 की दांडिक अपील सं. 215)

तारीख 28 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति अंजनी कुमारी शरण

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए अभियुक्त का मिथ्या फंसाया जाना – अन्वेषण में अनेक कमियां होना – इत्तिलाकर्ता द्वारा यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने अपने पिता द्वारा उसकी पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से तंग आकर मृतक के चेहरे पर पत्थर से वार किया जाना – क्षति के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु – अन्वेषण अधिकारी द्वारा पत्थर का अभिग्रहण किया जाना किंतु उस पर लगे रक्त की न्यायालयिक जांच न कराया जाना और न ही उक्त पत्थर को न्यायालय में प्रस्तुत करना – इसके अतिरिक्त चारपाई के नीचे या आस-पास रक्त पाए जाने का कोई उल्लेख न होना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा पत्थर पर लगे रक्त की जांच नहीं कराई गई है और न ही घटनास्थल पर रक्त पाए जाने का कोई उल्लेख है और साथ ही इत्तिलाकर्ता का कथन विरोधाभासी है और घटना के पश्चात् अभियुक्त का आचरण संदिग्ध नहीं है, अत: इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है, इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि, यह मामला एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरंभ किया गया जिसे औपचारिक रूप से विचारण के दौरान साबित नहीं किया गया और जो थानाध्यक्ष, दंडखोड़ा पुलिस थाने को संबोधित की गई थी । इस लिखित रिपोर्ट पर सूचना देने वाले व्यक्ति महेंद्र केवट (अभि. सा. 7) के हस्ताक्षर हैं । लिखित रिपोर्ट में इस तथ्य को प्रकट किया गया है कि

सूचना देने वाला व्यक्ति महेंद्र केवट, पुत्र स्वर्गीय श्री लीला केवट, स्थायी निवासी ग्राम छोटकी रत्नाई, पुलिस थाना दंडखोड़ा, जिला कटिहार है । सूचना देने वाले व्यक्ति के दो भाई हैं, अर्थात् बासुदेव केवट (अभि. सा. 2) और कृष्ण चंद्र केवट (मृतक) । लिखित सूचना में यह उपदर्शित किया गया है कि कृष्ण चंद्र केवट (मृतक) का केवल एक पुत्र है, अर्थात् कैलाश केवट (अपीलार्थी) । तारीख 16 मई, 2012 सायंकाल लगभग 6.00 बजे कृष्ण चंद्र केवट और कैलाश चंद्र के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और उसी दिन कैलाश केवट ने यह कहा था कि उसके पिता को उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करने की आदत थी । तारीख 17 मई, 2012 को प्रात: लगभग 5.00 बजे उसे कुछ हल्ला सुनाई दिया और उसे यह पता चला कि कैलाश केवट और उसके पिता के बीच झगड़ा हो रहा था । उसी दौरान किसी व्यक्ति ने उसे यह सूचित किया कि कैलाश केवट (अपीलार्थी) ने एक पत्थर से अपने पिता का मुंह तोड़ दिया है । हल्ला सुनकर सूचना देने वाला व्यक्ति अपने भाई के घर की ओर भागा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके भाई का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था । हल्ला सुनकर अन्य सह-ग्रामीण भी वहां पहुंच गए और यह कथन किया गया है कि वे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए जिसके उपरांत सूचना देने वाला व्यक्ति एक दुपहिया साइकिल के माध्यम से सरैया पहुंचा और वहां उसने डाक्टर रंजीत (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है), चौकीदार और दफादार को इस घटना की सूचना दी कि उसके भाई को गंभीर क्षति पहुंची है । डाक्टर रंजीत ने उसे घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल ले जाने के लिए कहा । लिखित रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि जब वह टैम्पो लेकर वापस आया तब तक उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी । लिखित सूचना में इस बात को पुन: दोहराया गया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के भतीजे ने एक पत्थर से उसके भाई को जान से मार दिया है और उसके भाई का मृत शरीर घटनास्थल पर पड़ा है । उसने यह लिखित सूचना पुलिस थाने पहुंच कर प्रस्तुत की थी । लिखित सूचना पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर विद्यमान हैं । उक्त लिखित सूचना के आधार पर उसी दिन, अर्थात् तारीख 17 मई, 2012 को पूर्वाह्न 11.30 बजे पुलिस थाना दंडखोड़ा में एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके द्वारा दंड संहिता की धारा

302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध 2012 का दंडखोड़ा पुलिस थाने का मामला सं. 63 आरंभ किया गया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी को घटना की तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अभिलेख यह दर्शित करता है कि उसे तारीख 18 मई, 2012 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के पश्चात् पुलिस ने पत्थर के अभिग्रहण से संबंधित अभिग्रहण सूची तैयार की, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की गई और मृतक के शव को शव-परीक्षा हेतु भेजा गया । अन्वेषण के दौरान पुलिस को अभियुक्त के विरुद्ध यह मामला सत्य प्रतीत हुआ और उसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 31 मई, 2012 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटिहार ने तारीख 27 जून, 2012 को अपराध का संज्ञान लिया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन उपबंध का अनुपालन करने के पश्चात् यह मामला तारीख 4 अगस्त, 2012 को सेशन न्यायालय को सौंप दिया गया और उसके पश्चात् उसे वर्ष 2012 के सेशन विचारण सं. 488 के रूप में संख्यांकित किया गया । उसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध 1 नवंबर, 2012 को दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिनके संबंध में अपीलार्थी ने इनकार किया और विचारण का दावा किया । यद्यपि अभिलेख पर रखा गया साक्ष्य दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, यह स्पष्ट है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने त्रुटिपूर्वक और यांत्रिक रूप से दोषसिद्धि और दंडादेश पारित किया है जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में घटनास्थल का वर्णन किया है जो मृतक का एक कच्चा मकान था और जिसके बरामदे में एक चौकी पर कृष्ण चंद्र केवट का शव पड़ा हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि घटनास्थल पर उस चौकी के नीचे मसाले कूटने वाला एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसे उसने अभिगृहीत किया था । उसने अभिग्रहण सूची की शनाख्त की है और उसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है । अपने साक्ष्य में उसने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि क्या घटनास्थल अर्थात् उस चौकी, जिस पर मृतक का शव पड़ा हुआ

था, के आस-पास रक्त के निशान थे अथवा नहीं । और न ही उसने इस संबंध में कोई कथन किया कि चौकी के नीचे रक्त विद्यमान था अथवा नहीं । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि घटना, जो अभिकथित रूप से तारीख 17 मई, 2012 को प्रात: लगभग 5.00 बजे हुई थी, के पश्चात् पुलिस थाना दंडखोड़ा के थाना अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक लिखित सूचना उसी दिन प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर उसी दिन पूर्वाह्न 11.30 बजे एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । इन घटनाओं के बीच कोई लंबा अंतराल नहीं था और इस बात की अत्यधिक संभावना है कि घटनास्थल पर या उस चौकी पर, जिस पर मृतक के चेहरे को एक मसाला कूटने वाले पत्थर से नष्ट करके उसकी हत्या की गई थी, बड़ी मात्रा में रक्त पाया जाना चाहिए । यद्यपि अभिग्रहण सूची को प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है फिर भी सारवान् प्रदर्श, अर्थात् पत्थर को विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त अभिगृहीत पत्थर के संबंध में किसी रसायन विशेषज्ञ से कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई । उस चौकी, जिस पर शव पाया गया था, के आस-पास या उसके नीचे रक्त का न पाया जाना इस बात के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है कि क्या मृतक की हत्या उस रीति में की गई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभिकथित किया गया है । लिखित रिपोर्ट और साक्षियों की परीक्षा का परिशीलन करने के पश्चात् और सूचना देने वाले व्यक्ति के प्रारंभिक कथन के अनुसार कि उसे घटना के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी जिसे उसने तत्पश्चात् अपना पुत्र बताया और उसके पुत्र अर्थात् शंभु केवट (अभि. सा. 6) ने पूरे मामले को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो उसने स्वयं पूरी घटना को देखा था और उसके पश्चात् उसने सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके संबंध में सूचित किया था और उसके पश्चात् साक्ष्य के दौरान इस प्रकार का साक्ष्य सामने आया मानो उसे वस्तुत: अभि. सा. 6 द्वारा सूचित किया गया था । वर्तमान मामले में एक प्रतिरक्षा साक्षी की भी परीक्षा की गई थी जो अपीलार्थी की पत्नी है । संपूर्ण साक्ष्य की परीक्षा किए जाने पर यह प्रतीत होता है कि घटना की तारीख को अपीलार्थी और मृतक के साथ यह साक्षी भी घटनास्थल पर उपस्थित थी । यह भी स्पष्ट है कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने

तक अपीलार्थी भी घटनास्थल पर उपस्थित रहा था । नि:संदेह रूप से किसी दांडिक विचारण के दौरान प्रतिरक्षा साक्षी के साक्ष्य को अधिक विश्वसनीय माना जाना अपेक्षित नहीं होता किंतु विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिरक्षा के साक्ष्य की साधारण रूप से अनदेखी नहीं की जा सकती । यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें प्रति. सा. 1 के साक्ष्य को विचार में लिया जाना अपेक्षित है । प्रति. सा. 1 के रूप में अपने साक्ष्य में श्रीमती कुंती देवी ने शंभु केवट (अभि. सा. 6) (जो अभि. सा. 7/सूचना देने वाले व्यक्ति का पुत्र है) के संबंध में इस प्रकार कथन किया है कि जैसे वह इस साक्षी के पति के पिता की हत्या करने के पश्चात् घटनास्थल से फरार होते हुए देखा गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने उसके और साथ ही उसके पति के कथनों को लेखबद्ध किया था किंतु उसके पश्चात् उसके पति को वर्तमान मामले में अभियुक्त बना दिया गया । चकित कर देने वाली बात यह है कि अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य की परीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने प्रति. सा. 1 के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया । सामान्य अनुक्रम में उसके पति के पिता की मृत्यु के पश्चात् पुलिस जब उसके घर आई थी तो प्रथमत: अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह मृतक के पुत्र और साथ ही मृतक की पुत्रवधू से घटना के संबंध में पूछताछ करता किंतु वर्तमान मामले में मृतक के पुत्र, जो वर्तमान मामले में अपीलार्थी है, को ही अभियुक्त बना दिया गया । साक्ष्य यह भी उपदर्शित करता है कि अभियोजन पक्ष की नजर मृतक की पैतृक संपत्ति पर थी जिसका एक बड़ा हिस्सा मृतक के कब्जे में था । स्वयं अभियोजन पक्ष का साक्ष्य यह दर्शित करता है कि मृतक अकेला ही निवास कर रहा था और अपीलार्थी अपनी पत्नी और बालकों के साथ अपने नाना के घर में जो एक भिन्न ग्राम में स्थित है, निवास कर रहा था । प्रति. सा. 1 के साक्ष्य से यह संकेत प्राप्त होता है कि मृतक ने घटना से कुछ समय पूर्व अपीलार्थी और उसकी पत्नी को अपने साथ निवास करने हेतु बुलाया था । उसे यह आशंका थी कि उसका भाई, जो वर्तमान मामले में सूचना देने वाला व्यक्ति है, और उसके कुटुंब के सदस्यों की बुरी नजर मृतक के कब्जे वाली भूमि पर थी । संपूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु युक्तियुक्त कारण

प्रतीत होते हैं कि परिस्थितियां अपीलार्थी की ओर आरोप की उंगली उठाने की बजाय अभियोजन के विरुद्ध उंगली उठाती हैं । पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन प्रति. सा. 1 के बयान को लेखबद्ध न किया जाना और साथ ही पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभियुक्त का उसकी स्वयं की प्रतिरक्षा में बयान को लेखबद्ध न किया जाना यह इंगित करता है कि अन्वेषण अधिकारी ने इस प्रकार की कार्यवाही किन्हीं बाह्य प्रतिफल के लालच में की है । किसी भी दशा में हम तब तक इस प्रकार के विनिर्दिष्ट निष्कर्षों को लेखबद्ध नहीं कर सकते जब तक कि गहन अन्वेषण पूरा न कर लिया गया हो किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में घटना को घटे लगभग 7 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इसलिए नए सिरे से अन्वेषण के लिए निदेश दिया जाना साध्य प्रतीत नहीं होता है । किंतु किसी भी दशा में अन्वेषण अधिकारी का आचार संदेह से परे प्रतीत नहीं होता जिसके संबंध में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा परीक्षा किया जाना अपेक्षित है । संपूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है हमारी यह राय है कि यह एक मिथ्या रूप से फंसाए जाने का मामला है और इस प्रकार दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को कायम रखे जाने के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । संपूर्ण साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी को एक स्पष्ट दोषमुक्ति का निर्णय दिया जाना न्यायोचित है । तद्नुसार क्रमश: तारीख 3 फरवरी, 2014 और तारीख 11 फरवरी, 2014 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को, जिन्हें श्री विद्याधर प्रसाद पांडे, विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-1, कटिहार द्वारा 2012 के सेशन विचारण सं. 488 (जो दंडखोड़ा पुलिस थाने के वर्ष 2012 के मामला सं. 63 से उद्भूत हुआ था) में पारित किया गया था, अपास्त किया जाता है और अपील को मंजूर किया जाता है । अपीलार्थी अभिरक्षा में है और चूंकि दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है इसीलिए उसे, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो तुरंत निर्मुक्त करने का निदेश दिया जाता है । निर्णय को समाप्त करने से पूर्व यह वांछनीय है कि संबद्ध पुलिस अधीक्षक/गृह सचिव (बिहार सरकार) को यह निदेश दिया जाए कि वे

अन्वेषण अधिकारी की विश्वसनीयता के संबंध में जांच करें और उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें । साथ ही यह भी वांछनीय है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह निदेश दिया जाए कि वह पीड़ित को पर्याप्त रकम का संदाय करे । बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस संबंध में परीक्षा करे कि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में संदाय की जाने वाली रकम कितनी होनी चाहिए जिसका संदाय उसे बिना किसी अनावश्यक विलंब के किया जाना अपेक्षित है । (पैरा 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19)

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 215.

श्री विद्याधर प्रसाद पांडे, विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-1, कटिहार द्वारा 2012 के सेशन विचारण सं. 488 में तारीख 11 फरवरी, 2014 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री अंशुमन जयपुरियार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री अजय मिश्रा विद्वान् अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – अपीलार्थी पर उसके पिता की हत्या करने का आरोप लगाया गया है और उसे विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा सिद्धदोष ठहराकर दंडादिष्ट किया गया है । दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय मात्र छह पृष्ठ का है । दोषसिद्धि और दंडादेश के पश्चात् अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन वर्तमान अपील फाइल की है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए तारीख 3 फरवरी, 2014 के निर्णय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया था और तारीख 11 फरवरी, 2014 के निर्णय द्वारा उसे आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय श्री विद्याधर प्रसाद पांडे, विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-1, कटिहार (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'विचारण

न्यायाधीश' कहा गया है) द्वारा 2012 के सेशन विचारण सं. 488 (जो दंडखोड़ा पुलिस थाने के वर्ष 2012 के मामला सं. 63 से उद्भूत हुआ था) में तारीख 11 फरवरी, 2014 को पारित किया गया । वर्तमान मामले में चकित कर देने वाली बात यह है कि सूचना देने वाला व्यक्ति मृतक का भाई और अपीलार्थी का चाचा है ।

2. यह मामला एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरंभ किया गया जिसे औपचारिक रूप से विचारण के दौरान साबित नहीं किया गया और जो थानाध्यक्ष, दंडखोड़ा पुलिस थाने को संबोधित की गई थी । इस लिखित रिपोर्ट पर सूचना देने वाले व्यक्ति महेंद्र केवट (अभि. सा. 7) के हस्ताक्षर हैं । लिखित रिपोर्ट में इस तथ्य को प्रकट किया गया है कि सूचना देने वाला व्यक्ति महेंद्र केवट, पुत्र स्वर्गीय श्री लीला केवट, स्थायी निवासी ग्राम छोटकी रत्नाई, पुलिस थाना दंडखोड़ा, जिला कटिहार है । सूचना देने वाले व्यक्ति के दो भाई हैं, अर्थात् बासुदेव केवट (अभि. सा. 2) और कृष्ण चंद्र केवट (मृतक) । लिखित सूचना में यह उपदर्शित किया गया है कि कृष्ण चंद्र केवट (मृतक) का केवल एक पुत्र है, अर्थात् कैलाश केवट (अपीलार्थी) । तारीख 16 मई, 2012 सायंकाल लगभग 6.00 बजे कृष्ण चंद्र केवट और कैलाश चंद्र के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और उसी दिन कैलाश केवट ने यह कहा था कि उसके पिता को उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करने की आदत थी । तारीख 17 मई, 2012 को प्रातः लगभग 5.00 बजे उसे कुछ हल्ला सुनाई दिया और उसे यह पता चला कि कैलाश केवट और उसके पिता के बीच झगड़ा हो रहा था । उसी दौरान किसी व्यक्ति ने उसे यह सूचित किया कि कैलाश केवट (अपीलार्थी) ने एक पत्थर से अपने पिता का मुंह तोड़ दिया है । हल्ला सुनकर सूचना देने वाला व्यक्ति अपने भाई के घर की ओर भागा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके भाई का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था । हल्ला सुनकर अन्य सह-ग्रामीण भी वहां पहुंच गए और यह कथन किया गया है कि वे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए जिसके उपरांत सूचना देने वाला व्यक्ति एक दुपहिया साइकिल के माध्यम से सरैया पहुंचा और वहां उसने डाक्टर रंजीत (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है), चौकीदार और दफादार को इस घटना की सूचना दी कि उसके भाई को गंभीर क्षति पहुंची है । डाक्टर रंजीत ने उसे घायल व्यक्ति को सदर

अस्पताल ले जाने के लिए कहा । लिखित रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि जब वह टैम्पो लेकर वापस आया तब तक उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी । लिखित सूचना में इस बात को पुन: दोहराया गया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के भतीजे ने एक पत्थर से उसके भाई को जान से मार दिया है और उसके भाई का मृत शरीर घटनास्थल पर पड़ा है । उसने यह लिखित सूचना पुलिस थाने पहुंच कर प्रस्तुत की थी । लिखित सूचना पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर विद्यमान हैं । उक्त लिखित सूचना के आधार पर उसी दिन, अर्थात् तारीख 17 मई, 2012 को पूर्वाह्न 11.30 बजे पुलिस थाना दंडखोड़ा में एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध 2012 का दंडखोड़ा पुलिस थाने का मामला सं. 63 आरंभ किया गया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी को घटना की तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अभिलेख यह दर्शित करता है कि उसे तारीख 18 मई, 2012 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करने के पश्चात् पुलिस ने पत्थर के अभिग्रहण से संबंधित अभिग्रहण सूची तैयार की, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की गई और मृतक के शव को शव-परीक्षा हेतु भेजा गया । अन्वेषण के दौरान पुलिस को अभियुक्त के विरुद्ध यह मामला सत्य प्रतीत हुआ और उसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 31 मई, 2012 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटिहार ने तारीख 27 जून, 2012 को अपराध का संज्ञान लिया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अधीन उपबंध का अनुपालन करने के पश्चात् यह मामला तारीख 4 अगस्त, 2012 को सेशन न्यायालय को सौंप दिया गया और उसके पश्चात् उसे वर्ष 2012 के सेशन विचारण सं. 488 के रूप में संख्यांकित किया गया । उसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध 1 नवंबर, 2012 को दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिनके संबंध में अपीलार्थी ने इनकार किया और विचारण का दावा किया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए

विचारण के दौरान 9 साक्षियों की परीक्षा की । इन 9 साक्षियों में से बासुदेव केवट (अभि. सा. 2) मृतक का भाई है, तीतरी देवी (अभि. सा. 3) सूचना देने वाले व्यक्ति की पत्नी और मृतक की भाभी है, दुर्गा देवी (अभि. सा. 4) अभि. सा. 2 की पत्नी और मृतक की भाभी है, शंभु केवट (अभि. सा. 6) सूचना देने वाले व्यक्ति का पुत्र और मृतक का भतीजा है तथा महेंद्र केवट (अभि. सा. 7) मृतक का बड़ा भाई है और उनकी साक्षियों के रूप में इस प्रकार परीक्षा की गई कि वे घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था और उन्होंने यह देखा था कि अपीलार्थी घटनास्थल पर उपस्थित है । उनमें से शंभू केवट (अभि. सा. 6) ने स्वयं सामने से आकर यह दावा किया है कि वह हल्ला सुनकर घटना के समय घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने इस घटना को देखा था । सीताराम यादव (अभि. सा. 5) एक सह-ग्रामीण है जिसने यह कथन किया है कि उसे घटना के संबंध में और अपीलार्थी के घटना में संलिप्त होने के संबंध में अभि. सा. 3 द्वारा सूचना दी गई थी । डाक्टर तनवीर हैदर (अभि. सा. 8) ने शव-परीक्षा की थी जबकि दयाकांत पासवान (अभि. सा. 9) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है, तथापि, अशोक यादव (अभि. सा. 1) जो एक सह-ग्रामीण और एक स्वतंत्र साक्षी है, ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और इसलिए उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया ।

4. अभियोजन साक्ष्य के पूरा हो जाने के पश्चात् तारीख 7 अगस्त, 2013 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन लेखबद्ध किया गया । परीक्षा किए जाने पर यह प्रतीत होता है कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के कानूनी उपबंधों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए लेखबद्ध किया गया है क्योंकि उसे किन्हीं भी परिस्थितियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से एक प्रतिरक्षा साक्षी, अर्थात् कुंती देवी (प्रति. सा. 1) की परीक्षा की गई जो अपीलार्थी की पत्नी और मृतक की पुत्रवधू है । अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि पुलिस ने उसके और साथ ही उसके पति के कथन को लेखबद्ध किया था, तथापि, साक्ष्य के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि

प्रति. सा. 1 का कोई कथन लेखबद्ध नहीं किया गया था और न ही पुलिस ने अपीलार्थी की प्रतिरक्षा में उसके किसी कथन को लेखबद्ध किया था । इस तथ्य के बावजूद कि अभिलेख पर रखा गया साक्ष्य दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, यह स्पष्ट है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने त्रुटिपूर्वक और यांत्रिक रूप से दोषसिद्धि और दंडादेश पारित किया है जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है ।

6. श्री अंशुमन जयपुरियार, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने संपूर्ण साक्ष्य को अभिलेख पर रखने के पश्चात् यह तर्क दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की ओर से यह केवल मिथ्या फंसाए जाने का मामला है ताकि वह अपीलार्थी की पैतृक संपत्ति को हड़प सके । उन्होंने यह दलील दी है कि परिस्थितियां यह सुझाव देती हैं कि सूचना देने वाले व्यक्ति के पक्ष में मृतक को रास्ते से हटाने में अहम भूमिका अदा की है और मृतक चूंकि अपीलार्थी का पिता है और इसलिए अपीलार्थी को बलि का बकरा बनाया गया और यह दर्शित किया गया कि अपीलार्थी ने स्वयं ही अपने पिता की हत्या की है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने विभिन्न साक्ष्यों, विशिष्ट रूप से सूचना देने वाले व्यक्ति (अभि. सा. 7) के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने साक्ष्य में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यद्यपि उनकी पैतृक संपत्ति के संबंध में परस्पर बंटवारा काफी समय पूर्व हो गया था जिसके द्वारा 19 डेसिमल भूमि मृतक के कब्जे में थी जो सूचना देने वाले व्यक्ति (अभि. सा. 7) का सगा भाई था और उसने आगे यह भी कथन किया है कि उक्त 19 डेसिमल भूमि में से 6 डेसिमल भूमि सूचना देने वाले व्यक्ति के पास थी । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 7 के साक्ष्य से सुराग लेते हुए यह तर्क दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंटवारे के दौरान कोई लिखित दस्तावेजी बंटवारा नहीं हुआ था और अपीलार्थी को पैतृक संपत्ति से किसी अंश का दावा करने से निवारित करने हेतु सूचना देने वाले व्यक्ति ने एक सुयोजनाबद्ध रीति में अपीलार्थी के पिता को रास्ते से हटा दिया और उसके पुत्र अर्थात् अपीलार्थी को वर्तमान मामले में दोषी बना दिया । यह भी तर्क दिया गया है कि अन्वेषण अधिकारी का व्यवहार यह दर्शित

करता है कि किन्हीं त्रुटिपूर्ण बिंदुओं को विचार में लिए जाने के कारण उसने सूचना देने वाले व्यक्ति का पक्ष लिया है और एक मिथ्या रूप से फंसाए जाने वाले मामले में उसने अपीलार्थी को एक अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि अन्वेषण अधिकारी का व्यवहार संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह प्रति. सा. 1 के ससुर की हत्या, जिस मामले में उसके पति को अभियुक्त बनाया गया था, के पश्चात् उसका अर्थात् अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी के बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध करता । अपीलार्थी की पत्नी ने, जिसकी प्रति. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पुलिस ने उसके तथा साथ ही उसके पति के बयान को भी लेखबद्ध किया था किंतु अन्वेषण अधिकारी ने इस प्रकार लेखबद्ध किए गए बयानों को अभिलेख पर नहीं रखा था और इसी कारणवश अपीलार्थी की पत्नी की प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में परीक्षा की गई । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अंशुमल जयपुरियार ने यह भी दलील दी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के पिता की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई थी और उसकी हत्या करने के पश्चात् उसके शव को बरामदे में रखी चारपाई पर रख दिया गया था । अपनी दलील को साबित करने के लिए उन्होंने यह तर्क दिया है कि अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण करते समय न तो उस बिस्तर पर, जिस पर शव पड़ा हुआ था और न ही आस-पास की भूमि पर रक्त के कोई निशान पाए थे । नि:संदेह रूप से मसालों को कूटने वाले एक पत्थर के अभिग्रहण को दर्शित किया गया है किंतु यह बात दर्शित नहीं की गई है कि उस पत्थर पर रक्त का कोई निशान था । यह एक साबित पक्षकथन है कि उक्त अभिगृहीत पत्थर को परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अनुसार अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य घटनास्थल को सिद्ध नहीं करता है और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके स्वयं के चाचा, अर्थात् महेंद्र केवट (अभि. सा. 7) द्वारा इस मामले में पैतृक संपत्तियों/भूमि को हड़पने के विचार से मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अभिलेख पर हत्या के पीछे

किसी भी सारवान् हेतु को दर्शित नहीं किया गया है और न ही अपीलार्थी द्वारा उसके पिता की हत्या किए जाने से संबंधित किसी हेतु की संभावना को दर्शित किया गया है । नि:संदेह रूप से लिखित सूचना में घटना के लिए यह कारण स्पष्ट किया गया है कि मृतक (अपीलार्थी का पिता) अपनी पुत्रवधू, अर्थात् अपीलार्थी की पत्नी के साथ गाली-गलौज करता था किंतु सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया यह कारण संभव प्रतीत नहीं होता है । पूर्वोक्त आधारों पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाने के लिए दायी है ।

7. यद्यपि विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री अजय मिश्रा ने अपील का विरोध किया है किंतु वे अभियोजन पक्षकथन की प्रतिरक्षा करने की स्थिति में नहीं थे ।

8. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के अलावा हमने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की गहराई से परीक्षा की है और उसका परिशीलन करने के पश्चात् प्रथमदृश्ट्या रूप से हमारी राय यह है कि यह पूर्णतया मिथ्या रूप से फंसाए जाने का मामला है । अभिलेख पर लाई गई परिस्थितियां अपीलार्थी के इस मामले में संलिप्त होने की बजाय यह दर्शित करती हैं कि अभियोजन पक्ष इस मामले में गलत है और उसकी ओर उंगली उठती है, तथापि, अपील की सुनवाई करते समय इस न्यायालय के लिए ऐसे किसी विनिर्दिष्ट निष्कर्ष को लेखबद्ध करना उपयुक्त नहीं होगा जिसके संबंध में मामले की नए सिरे से अन्वेषण करने का निदेश देने की नौबत आए ।

9. आगे कार्यवाही करने से पूर्व अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य को निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा । लिखित रिपोर्ट, जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए आधार स्वरूप है, के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति (अभि. सा. 7) को "किसी अन्य व्यक्ति" से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त घटना घटित हुई है और उसमें अपीलार्थी संलिप्त है । तथापि, साक्ष्य के समय वह एक विनिर्दिष्ट पक्षकथन के साथ सामने आता है कि प्रात: जब वह अपने घर में था तो उसका पुत्र (अभि. सा. 6) घर आया और उसे यह सूचना दी कि अपीलार्थी अपने स्वयं के पिता (अर्थात् मृतक) पर हमला कर रहा था जिसके पश्चात् सूचना देने वाला

व्यक्ति अभि. सा. 6 के साथ वहां गया और वहां उसने यह देखा कि अपीलार्थी का पिता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में बरामदे में गिरा हुआ था और उस समय उसकी श्वास धीमे-धीमे चल रही थी । लिखित रिपोर्ट में उसने इस बिंदु के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया था कि उसके पश्चात् वह एक दुपहिया साइकिल से डाक्टर के पास गया था और उसने चौकीदार तथा दफादार को इस घटना की सूचना दी थी । इसके पश्चात् वह घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए एक टैम्पो लेकर आया था किंतु उस समय तक घायल व्यक्ति की, उसे हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो चुकी थी किंतु साक्ष्य के दौरान उसने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को वह प्रात: 4.30 बजे अपने घर मौजूद था । वह अपने बिस्तर पर था और उठने ही वाला था जब उसके पुत्र शंभु केवट (अभि. सा. 6) ने हल्ला मचाया और उसके पश्चात् यह साक्षी अपने भाई कृष्ण चंद्र केवट (मृतक) के घर की ओर भागा और वहां उसने यह देखा कि कृष्ण चंद्र केवट का पुत्र अर्थात् कैलाश केवट (अपीलार्थी) अपने पिता की हत्या करने के पश्चात् वहां खड़ा है और साथ ही उसने यह भी देखा कि घटना में प्रयुक्त पत्थर वहां पड़ा हुआ है । उस समय तक मृतक का श्वास धीमे-धीमे चला रहा था । उसका चेहरा पूरी तरह नष्ट हो गया था और उसके कुछ दांत भी वहीं नीचे गिरे हुए थे । अपने साक्ष्य के पैरा 2 में उसने यह भी कथन किया कि जब उसने कैलाश केवट (अपीलार्थी) से यह पूछा कि उसने अपने पिता की हत्या क्यों की है तो अपीलार्थी ने यह उत्तर दिया कि उसका पिता उसकी पत्नी के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था और इस कारण से उसने अपने पिता को जान से मार दिया था । इस साक्षी के अनुसार अपीलार्थी ने उसे यह कहा कि शव की अंतिम क्रिया के लिए कार्यवाही की जाए । चूंकि उस समय तक घायल का श्वास चल रहा था इसलिए वह उसके उपचार के प्रयोजन के लिए टैम्पो लाने हेतु चला गया और जब वह वापस आया तो उसने देखा कि घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जबकि लिखित रिपोर्ट में इस साक्षी ने यह कथन किया था कि घटना के पश्चात् वह डाक्टर रंजीत के पास गया था साथ ही उसने इस घटना की जानकारी दफादार और चौकीदार को भी दी थी, तथापि, बिना किसी स्पष्टीकरण या कारण के न तो उक्त डाक्टर, न ही चौकीदार और न ही दफादार की अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई ।

इस साक्षी ने लिखित रिपोर्ट पर किए गए अपने हस्ताक्षर की शनाख्त की जो प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित है । अपने साक्ष्य के पैरा 3 में उसने यह कथन किया कि उसके पश्चात् वह पुलिस थाने गया और उसने पुलिस को घटना के संबंध में तमाम जानकारी दी और छोटा बाबू (सहायक उप-निरीक्षक) ने रिपोर्ट लिखी तथा रिपोर्ट लिखने के पश्चात् उक्त लिखित रिपोर्ट की अंतर्वस्तु उसे समझाई गई तथा उसे सही पाए जाने पर उसने उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए थे जिन्हें प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में उसने यह कथन किया है कि वे तीन भाई थे, अर्थात् बासुदेव केवट (अभि. सा. 2), मृतक कृष्ण चंद्र केवट और तीसरा वह स्वयं । उनके पिता की मृत्यु लगभग 35 वर्ष पूर्व हो गई थी । उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके बीच संपत्ति का बंटवारा हो गया था । उसके पिता के पास 8 बीघा जमीन थी जिसका बंटवारा लगभग 25-30 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके पश्चात् सभी तीन भाइयों को उनका हिस्सा सौंप दिया गया था । उक्त भूमि में से लगभग 19 डेसिमल माप वाली भूमि उसके भाई (मृतक) के हिस्से में आई थी । उसने यह भी कथन किया कि उक्त 19 डेसिमल माप वाली भूमि में से 6 डेसिमल भूमि उसके पास थी । चूंकि बंटवारे के पश्चात् 19 डेसिमल भूमि पहले ही मृतक के हिस्से में आ गई थी और इस साक्षी द्वारा 6 डेसिमल भूमि होने का दावा स्वयं ही यह निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त है कि यह साक्षी उक्त भूमि, अर्थात् अपने मृतक भाई की भूमि में से और अधिक भूमि के हिस्से का दावा कर रहा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में उसने यह भी कथन किया कि मृतक कृष्ण चंद्र केवट का केवल एक ही पुत्र है, जो वर्तमान मामले में अपीलार्थी है । कृष्ण चंद्र केवट (मृतक) की पत्नी ने लगभग 25 वर्ष पूर्व उसे छोड़ दिया था । कृष्ण चंद्र केवट के ससुराल के ग्राम का नाम तेसानिया ग्राम है । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में उसने यह भी कथन किया है कि कैलाश केवट (अपीलार्थी) अपने नाना के साथ रह रहा था । अपनी प्रतिपरीक्षा- पैरा 5 में उसने यह भी कथन किया है कि इस साक्षी अर्थात् महेंद्र केवट (अभि. सा. 7) के घर और मृतक कृष्ण चंद्र केवट के घर के बीच फूस का टाटी का विभाजन था, तथापि, उनके बीच कोई अधिक मेल-मिलाप नहीं था । उसने यह भी कथन किया कि मृतक कृष्ण चंद्र केवट की केवल एक संतान है जो एक पुत्र था और उसकी

पत्नी ने लगभग 25 वर्ष पूर्व उसे छोड़ दिया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह भी कथन किया है कि कैलाश केवट (अपीलार्थी) प्रारंभ में अपने नाना के घर में निवास कर रहा था जो ग्राम तेसानिया में स्थित है और उसका भाई कृष्ण चंद्र केवट अपने घर में अकेला रह रहा था । लगभग 6 माह पूर्व कैलाश केवट ने अपने पिता और उसके भाई के साथ रहना आरंभ कर दिया और साथ ही उसने कृषि संबंधी कार्य की देखभाल भी आरंभ कर दी । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में उसने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी कैलाश केवट की केवल तीन पुत्रियां हैं जो अपने नाना के साथ निवास कर रही थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 के प्रारंभ में उसने यह कथन किया कि उसने कैलाश (अपीलार्थी) को अपने पिता की हत्या करते हुए देखा था तथापि, उसने अपने कथन को दुरुस्त किया कि अपने पिता की हत्या करने के पश्चात् जब कैलाश ने पत्थर को भूमि पर रखा था उस समय यह साक्षी घटनास्थल पर पहुंचा था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में इसने यह स्पष्टीकरण दिया है कि पुलिस के पहुंचने तक कैलाश केवट घटनास्थल पर मौजूद था और पुलिस द्वारा बुलाए जाने के पश्चात् वह पुलिस के पास गया था । इस साक्षी के साक्ष्य की समीक्षा करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि उसने लिखित सूचना में प्रकट किए गए तथ्यों से अनेक तथ्य तैयार करने की चेष्टा की है । यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने पिता की हत्या करने के पश्चात् भी पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक वहां उपस्थित था और उसने पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर स्वयं को उसके समक्ष प्रस्तुत किया था । सामान्य अनुक्रम में यदि यह ऐसा मामला होता जिसमें अपीलार्थी ने अपने पिता की हत्या की होती तो निश्चित रूप से वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं होता और न ही वह पुलिस के समक्ष स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत करता ।

10. शंभु केवट (अभि. सा. 6) ने अपने साक्ष्य में इस मामले के तथ्यों को इस प्रकार बताया है जिसमें प्रथमत: उसने पूर्ण घटना को देखा जिसमें अपीलार्थी ने अपने पिता की हत्या की । उसके पश्चात् उसने इस संबंध में अपने पिता अभि. सा. 7 और अन्य व्यक्तियों को सूचित किया । तद्नुसार इस साक्षी के साक्ष्य पर समुचित रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है । अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि यह

घटना तारीख 17 मई, 2012 को प्रात: लगभग 4.00 बजे घटित हुई थी । उस समय वह अपने बिस्तर पर था । उसी समय उसने यह देखा कि कैलाश केवट (अपीलार्थी) मसाले कूटने वाले पत्थर के द्वारा कृष्ण चंद्र केवट पर हमला कर रहा था । उसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि कुछ शोर सुनाई देने पर, जो कृष्ण चंद्र केवट के घर से आ रहा था वह अपने घर से निकलकर उसके घर गया और फूस की टाटी के विभाजन में विद्यमान एक छेद में से यह देखा कि कैलाश केवट (अपीलार्थी) मसाले कूटने वाले पत्थर के द्वारा कृष्ण चंद्र केवट पर हमला कर रहा था । उसने यह भी कथन किया कि उसने उस समय कैलाश केवट से यह पूछा था कि उसने यह क्या कर दिया, जिस पर कैलाश केवट ने यह उत्तर दिया कि घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसने उस पत्थर को भूमि पर रखा दिया । अपने साक्ष्य के पैरा 2 में उसने यह भी कथन किया कि उसके पश्चात् वह अपने घर गया और वहां उसने हल्ला किया जिसके उपरांत उसके पिता महेंद्र केवट (अभि. सा. 7) और उसके कुटुंब के अन्य सदस्य और साथ ही कुछ अन्य ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने यह देखा कि कृष्ण चंद्र केवट भूमि पर गिरा हुआ था और उसके आस-पास अत्यधिक मात्रा में रक्त गिरा हुआ था । उसका पूरा चेहरा नष्ट हो गया था किंतु उस समय उसका श्वास चल रहा था । वहां उपस्थित व्यक्तियों के कहने पर उसके पिता घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने के लिए टैम्पो लाने चले गए, तथापि, जब उसके पिता टैम्पो के साथ लौटे तब तक कृष्ण चंद्र केवट की मृत्यु हो गई थी । अपने साक्ष्य के पैरा 3 में उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने मसाले कूटने वाले उस पत्थर का अभिग्रहण किया और उसने अभिग्रहण सूची पर अपने हस्ताक्षर भी किए, तथापि, उसके हस्ताक्षर को प्रदर्श के रूप में चिह्नित नहीं किया गया । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि सूचना देने वाला व्यक्ति उसका पिता है और मृतक उसके पिता का सगा भाई है । उसके पिता कुल तीन भाई थे । उसके दादा के पास कुछ भूमि थी । उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि वह यह कथन करने की स्थिति में नहीं था कि क्या तीन भाइयों के बीच बंटवारा किसी करार के माध्यम से हुआ था ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में यह भी कथन किया कि अपीलार्थी अपने पिता का इकलौता पुत्र था । पूर्व में कृष्ण चंद्र केवट अपीलार्थी के साथ निवास नहीं कर रहा था, तथापि, पिछले छह माह से उन्होंने एक साथ रहना आरंभ कर दिया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में उसे यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि उसके पिता वर्तमान मामले में सूचना देने वाले व्यक्ति हैं इसलिए उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है और उसने अपने पिता के साथ मिलकर पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक झूठा मामला तैयार किया और वे अपीलार्थी की पत्नी को अपीलार्थी के घर में निवास करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तथापि, उसने इस सुझाव से इनकार किया था ।

11. लगभग इसी रीति में तीतरी देवी (अभि. सा. 3), सूचना देने वाले व्यक्ति अभि. सा. 7 की पत्नी और मृतक की भाभी और दुर्गावती देवी (अभि. सा. 4), अभि. सा. 2 की पत्नी ने भी अपना-अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है जबकि अशोक यादव (अभि. सा. 1) और सीता राम यादव (अभि. सा. 5) सह-ग्रामीण हैं और वे अनुश्रुत साक्षी हैं । अभि. सा. 5 ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के संबंध में उसे तीतरी देवी (अभि. सा. 3) से सूचना प्राप्त हुई थी ।

12. डाक्टर तनवीर हैदर (अभि. सा. 8) तारीख 17 मई, 2012 को सदर अस्पताल, कटिहार में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात था और उसने उसी दिन मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी और उसने उसके शव पर परीक्षा पूर्व क्षतियां पाईं और उसने निम्नलिखित तथ्यों को सूचना में लिया :-

> "(i) सभी चारों अंगों/अवयवों में शव-काठिन्य की मौजूदगी, औसत कद-काठी, काला रंग, आंखें बंद, मुंह बंद । आगे के सभी दांतों में अस्थि भंग । छाती पर विदीर्ण घाव, दोनों कानों से रक्तस्राव, चेहरे की अस्थियों का बहु अस्थिभंग, माथे की अस्थि का अस्थि भंग और विदीर्ण घाव, गले के हिस्से में खरोंचों के निशान, नाक की अस्थि का अस्थि भंग और रक्त के निशान ।

आंतरिक

(i) खोपड़ी के विच्छेदन पर – मस्तिष्क की कोटरिका में रक्त का भरा होना, मस्तिष्क में अंत:क्षति का मौजूद होना, ललाट की अस्थि का अस्थिभंग, मस्तिष्क का द्रव्य संकुलित है ।

वक्ष के विच्छेदन पर – फेफड़े संकुलित, हृदय रिक्त । उदर के विच्छेदन पर – यकृत, तिल्ली, गुरदे का संकुलन, आमाशय में अर्द्ध-ठोस पची हुई खाद्य सामग्री, जिसमें कोई विनिर्दिष्ट गंध नहीं है ।

मृत्यु का कारण – मृत्यु का कारण किसी भारी और ठोस वस्तु द्वारा खोपड़ी पर क्षति के कारण तंत्रिका संबंधी आघात ।

मृत्यु हुए लगभग 24 घंटे व्यतीत हो चुके हैं ।"

इस साक्षी ने भी यह कथन किया कि शव-परीक्षा रिपोर्ट उसके द्वारा लिखी गई है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं जो प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित हैं ।

13. दयाकांत पासवान (अभि. सा. 9) तारीख 17 मई, 2012 को दंडखोड़ा पुलिस थाने में उप पुलिस निरीक्षक के रूप में तैनात था और थाना अध्यक्ष के निदेशानुसार उसने उसी दिन, अर्थात् 17 मई, 2012 को वर्तमान मामले का अन्वेषण अपने हाथ में लिया था । उसने लिखित रिपोर्ट पर किए गए पृष्ठांकन की शनाख्त की है जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की भी शनाख्त की है, जिसे प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया है । अपने साक्ष्य के पैरा 2 में उसने घटनास्थल का वर्णन किया है जो मृतक का एक कच्चा मकान था और जिसके बरामदे में एक चौकी पर कृष्ण चंद्र केवट का शव पड़ा हुआ था । उसने यह भी कथन किया कि घटनास्थल पर उस चौकी के नीचे मसाले कूटने वाला एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसे उसने अभिगृहीत किया था । उसने अभिग्रहण सूची की शनाख्त की है और उसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है । अपने साक्ष्य में उसने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि क्या घटनास्थल अर्थात् उस

चौकी, जिस पर मृतक का शव पड़ा हुआ था, के आस-पास रक्त के निशान थे अथवा नहीं और न ही उसने इस संबंध में कोई कथन किया कि चौकी के नीचे रक्त विद्यमान था अथवा नहीं । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि घटना, जो अभिकथित रूप से तारीख 17 मई, 2012 को प्रात: लगभग 5.00 बजे हुई थी, के पश्चात् पुलिस थाना दंडखोड़ा के थाना अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक लिखित सूचना उसी दिन प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर उसी दिन पूर्वाह्न 11.30 बजे एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । इन घटनाओं के बीच कोई लंबा अंतराल नहीं था और इस बात की अत्यधिक संभावना है कि घटनास्थल पर या उस चौकी पर, जिस पर मृतक के चेहरे को एक मसाला कूटने वाले पत्थर से नष्ट करके उसकी हत्या की गई थी, बड़ी मात्रा में रक्त पाया जाना चाहिए । यद्यपि अभिग्रहण सूची को प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है फिर भी सारवान् प्रदर्श, अर्थात् पत्थर को विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त अभिगृहीत पत्थर के संबंध में किसी रसायन विशेषज्ञ से कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई । उस चौकी, जिस पर शव पाया गया था, के आस-पास या उसके नीचे रक्त का न पाया जाना इस बात के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है कि क्या मृतक की हत्या उस रीति में की गई थी जैसा कि अभियोजनपक्ष के द्वारा अभिकथित किया गया है । लिखित रिपोर्ट और साक्षियों की परीक्षा का परिशीलन करने के पश्चात् और सूचना देने वाले व्यक्ति के प्रारंभिक कथन के अनुसार कि उसे घटना के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी जिसे उसने तत्पश्चात् अपना पुत्र बताया और उसके पुत्र अर्थात् शंभु केवट (अभि. सा. 6) ने पूरे मामले को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो उसने स्वयं पूरी घटना को देखा था और उसके पश्चात् उसने सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके संबंध में सूचित किया था और उसके पश्चात् साक्ष्य के दौरान इस प्रकार का साक्ष्य सामने आया मानो उसे वस्तुत: अभि. सा. 6 द्वारा सूचित किया गया था ।

14. वर्तमान मामले में एक प्रतिरक्षा साक्षी की भी परीक्षा की गई

थी जो अपीलार्थी की पत्नी है । संपूर्ण साक्ष्य की परीक्षा किए जाने पर यह प्रतीत होता है कि घटना की तारीख को अपीलार्थी और मृतक के साथ यह साक्षी भी घटनास्थल पर उपस्थित थी । यह भी स्पष्ट है कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक अपीलार्थी भी घटनास्थल पर उपस्थित रहा था ।

15. नि:संदेह रूप से किसी दांडिक विचारण के दौरान प्रतिरक्षा साक्षी के साक्ष्य को अधिक विश्वसनीय माना जाना अपेक्षित नहीं होता किंतु विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिरक्षा के साक्ष्य की साधारण रूप से अनदेखी नहीं की जा सकती । यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें प्रति. सा. 1 के साक्ष्य को विचार में लिया जाना अपेक्षित है । प्रति. सा. 1 के रूप में अपने साक्ष्य में श्रीमती कुंती देवी ने शंभु केवट (अभि. सा. 6) (अभि. सा. 7/सूचना देने वाले व्यक्ति का पुत्र) के संबंध में इस प्रकार कथन किया है कि जैसे वह इस साक्षी के पति के पिता की हत्या करने के पश्चात् घटनास्थल से फरार होते हुए देखा गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने उसके और साथ ही उसके पति के कथनों को लेखबद्ध किया था किंतु उसके पश्चात् उसके पति को वर्तमान मामले में अभियुक्त बना दिया गया । चकित कर देने वाली बात यह है कि अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य की परीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने प्रति. सा. 1 के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया । सामान्य अनुक्रम में उसके पति के पिता की मृत्यु के पश्चात् पुलिस जब उसके घर आई थी तो प्रथमत: अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह मृतक के पुत्र और साथ ही मृतक की पुत्रवधु से घटना के संबंध में पूछताछ करता किंतु वर्तमान मामले में मृतक के पुत्र, जो वर्तमान मामले में अपीलार्थी है, को ही अभियुक्त बना दिया गया । साक्ष्य यह भी उपदर्शित करता है कि अभियोजन पक्ष की नजर मृतक की पैतृक संपत्ति पर थी जिसका एक बड़ा हिस्सा मृतक के कब्जे में था । स्वयं अभियोजन पक्ष का साक्ष्य यह दर्शित करता है कि मृतक अकेला ही निवास कर रहा था और अपीलार्थी

अपनी पत्नी और बालकों के साथ अपने नाना के घर में जो एक भिन्न ग्राम में स्थित है, निवास कर रहा था । प्रति. सा. 1 के साक्ष्य से यह संकेत प्राप्त होता है कि मृतक ने घटना से कुछ समय पूर्व अपीलार्थी और उसकी पत्नी को अपने साथ निवास करने हेतु बुलाया था । उसे यह आशंका थी कि उसका भाई, जो वर्तमान मामले में सूचना देने वाला व्यक्ति है, और उसके कुटुंब के सदस्यों की बुरी नजर मृतक के कब्जे वाली भूमि पर थी ।

16. संपूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु युक्तियुक्त कारण प्रतीत होते हैं कि परिस्थितियां अपीलार्थी की ओर आरोप की उंगली उठाने की बजाय अभियोजन के विरुद्ध उंगली उठाती हैं । पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन प्रति. सा. 1 के बयान को लेखबद्ध न किया जाना और साथ ही पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभियुक्त का उसकी स्वयं की प्रतिरक्षा में बयान को लेखबद्ध न किया जाना यह इंगित करता है कि अन्वेषण अधिकारी ने इस प्रकार की कार्यवाही किन्हीं बाह्य प्रतिफल के लालच में की है । किसी भी दशा में हम तब तक इस प्रकार के विनिर्दिष्ट निष्कर्षों को लेखबद्ध नहीं कर सकते जब तक कि गहन अन्वेषण पूरा न कर लिया गया हो किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में घटना को घटे लगभग 7 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इसलिए नए सिरे से अन्वेषण के लिए निदेश दिया जाना साध्य प्रतीत नहीं होता है । किंतु किसी भी दशा में अन्वेषण अधिकारी का आचार संदेह से परे प्रतीत नहीं होता जिसके संबंध में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा परीक्षा किया जाना अपेक्षित है ।

17. संपूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है हमारी यह राय है कि यह एक मिथ्या रूप से फंसाए जाने का मामला है और इस प्रकार दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को कायम रखे जाने के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । संपूर्ण साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है हमारी

यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी को एक स्पष्ट दोषमुक्ति का निर्णय दिया जाना न्यायोचित है ।

तद्नुसार क्रमश: तारीख 3 फरवरी, 2014 और तारीख 11 फरवरी, 2014 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को, जिन्हें श्री विद्याधर प्रसाद पांडे, विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-1, कटिहार द्वारा 2012 के सेशन विचारण सं. 488 (जो दंडखोड़ा पुलिस थाने के वर्ष 2012 के मामला सं. 63 से उद्भूत हुआ था) में पारित किया गया था, अपास्त किया जाता है और अपील को मंजूर किया जाता है । अपीलार्थी अभिरक्षा में है और चूंकि दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है इसीलिए उसे, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो तुरंत निर्मुक्त करने का निदेश दिया जाता है ।

18. निर्णय को समाप्त करने से पूर्व यह वांछनीय है कि संबद्ध पुलिस अधीक्षक/गृह सचिव (बिहार सरकार) को यह निदेश दिया जाए कि वे अन्वेषण अधिकारी की विश्वसनीयता के संबंध में जांच करें और उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें ।

19. साथ ही यह भी वांछनीय है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह निदेश दिया जाए कि वह पीड़ित को पर्याप्त रकम का संदाय करे । बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस संबंध में परीक्षा करें कि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में संदाय की जाने वाली रकम कितनी होनी चाहिए जिसका संदाय उसे बिना किसी अनावश्यक विलंब के किया जाना अपेक्षित है ।

20. अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

सक्तिवल

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(2014 की दांडिक अपील सं. 449)

तारीख 4 जून, 2020

न्यायमूर्ति टी. रवीन्द्रन

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अपहरण – आहत का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – अभियुक्त द्वारा माता-पिता की अभिरक्षा से आहत कन्या का अभिकथित रूप से अपहरण किया जाना – कन्या ने अन्वेषण अधिकारी को यह बयान दिया था कि अभियुक्त और उसके बीच जान-पहचान बढ़ गई थी जो धीरे-धीरे प्रेम में परिवर्तित हो गई और यह कि उसके माता-पिता उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से करने की तैयारी में लगे हुए थे और साथ ही कन्या ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसका अपहरण किया था या अभियुक्त के माता-पिता ने अपहरण करने की कोई धमकी दी थी, अत: इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्ति का हकदार है ।

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार आहत कन्या 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसका भाई मोहन और अभियुक्त आपस में मित्र हैं और अभियुक्त अपने मित्र मोहन से मिलने के लिए आहत कन्या के घर आया करता था जिसके परिणामस्वरूप आहत कन्या के साथ उसके मैत्री संबंध विकसित हो गए और वह आहत कन्या से प्रेम करने लगा और इस बात को सुनकर अभियुक्त के माता-पिता ने आहत कन्या के माता-पिता से संपर्क किया और निवेदन किया कि वे अपनी इस पुत्री का विवाह अभियुक्त के साथ कर दें । तथापि, आहत कन्या के माता-पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप तारीख 21

फरवरी, 2011 को पूर्वाहन लगभग 8.00 बजे जब आहत कन्या साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी तब अभियुक्त ने उसे विवाह करने का लालच देकर उसका अपहरण कर लिया और उसे वेलूदैयनपट्टी मंदिर में ले गया और उसे रस्सी से बांध दिया और उसके साथ संभोग भी किया और इस प्रकार अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 366 और धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया । अभियोजन पक्ष के समर्थन में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 9 तक कुल मिलाकर नौ साक्षियों की परीक्षा कराई गई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-9 तक 9 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए । किसी भी तात्विक वस्तु को चिह्नांकित नहीं किया गया है । अभियोजन साक्षियों की परीक्षा पूरी होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराई गई और अभियोजन साक्षियों के कथनों में आया अपराधजन्य साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियुक्त ने सभी बातों से इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि वह और आहत कन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और आहत कन्या के माता-पिता उसका विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं और जब आहत कन्या ने अभियुक्त-अपीलार्थी से यह कहा कि यदि उसके माता-पिता ने ऐसा किया तो वह आत्महत्या कर लेगी, इस आधार पर अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई कि आहत कन्या ने स्वयं अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया और अभियुक्त-अपीलार्थी के पास आई और इस प्रकार उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है । अभियुक्त की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । कोई तात्विक वस्तु भी चिह्नांकित नहीं की गई है । जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 366 और धारा 376 के अधीन आरोपित किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा उसे केवल दंड संहिता की धारा 366 के अधीन ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त के अनुसार, उसे आहत कन्या से प्रेम था

और वह भी उससे प्रेम करती थी और जब आहत कन्या के माता-पिता ने अपनी पुत्री का विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने की योजना बनाई, तब आहत कन्या ने अभियुक्त से संपर्क किया और उसे बताया कि यदि ऐसा हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी और तद्नुसार वह अभियुक्त के साथ चली गई, अत: अभियुक्त ने अभिकथित अपराध कारित नहीं किया है । यद्यपि आहत कन्या ने अपने साक्ष्य में इस बात से इनकार किया है कि उसे अभियुक्त से प्रेम था और उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि वह अभियुक्त से प्रेम नहीं करती है, इस संबंध में अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि आहत कन्या ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन पुलिस को दिए गए अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त और उसके बीच जान-पहचान बढ़ गई थी और धीरे-धीरे प्रेम में परिवर्तित हो गई और आहत कन्या ने यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्त को यह बताया था कि उसके माता-पिता उसका विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके पश्चात् वह नागकन्यामण मंदिर में अभियुक्त से मिली और अभियुक्त के साथ साइकिल से वेलूदैयनपट्टी मंदिर गई और आहत कन्या ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसका अपहरण किया था और अन्वेषण अधिकारी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त के माता-पिता ने यह धमकी दी थी कि यदि आहत कन्या का विवाह अभियुक्त के साथ नहीं किया जाता है तो वे आहत कन्या का अपहरण कर लेंगे और आहत कन्या ने यह बयान नहीं दिया है कि अभियुक्त उसे कार में इस बहाने से बिठाकर ले गया था कि आहत कन्या के भाई ने उसे बुलाया है और अभियुक्त के भाई गोपाल और सेलवम कार में बैठे हुए थे और उन्होंने उसे अभियुक्त से विवाह करने की धमकी दी थी और यह कि आहत कन्या कार में बेहोश हो गई थी और होश आने के पश्चात् उसने यह देखा कि वह साड़ी पहने हुए है और उसके गले में थली बंधी हुई थी और अन्वेषण अधिकारी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 3 ने उसके समक्ष यह बयान नहीं

दिया था कि अभियुक्त के माता-पिता ने यह धमकी दी है कि यदि आहत कन्या ने अभियुक्त से विवाह नहीं किया तो वे उसका अपहरण कर लेंगे और आहत कन्या ने ऐसा कथन नहीं किया है कि अभियुक्त के भाई गोपाल और सेलवम ने उसका अपहरण किया था । अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को आहत कन्या (अभि. सा. 2) और उसके माता-पिता (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3) द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों पर संचयी रूप से विचार किया गया है जिससे पता चलता है कि आहत कन्या ने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसे अभियुक्त से प्रेम था और यह कि उसने अभियुक्त से यह शिकायत की थी कि उसके माता-पिता उसका विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने की योजना बना रहे हैं और वह स्वयं अपनी इच्छा से अभियुक्त के साथ मंदिर गई और अभियुक्त ने आहत कन्या के साथ उस समय कोई बहाना नहीं बनाया जब वह उसे कार में ले जा रहा था और अभियुक्त के भाइयों ने आहत को ऐसी कोई धमकी नहीं दी है कि वह अभियुक्त से विवाह करे और यह कि आहत कन्या कार में बेहोश हो गई थी और होश आने पर उसने यह देखा कि वह साड़ी पहने हुए है और उसके गले में थली बंधी हुई है जैसी इन सभी बातों से यह दर्शित होता है कि आहत कन्या ने सत्य तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, यह भी सिद्ध किया गया है कि आहत कन्या अभियुक्त से प्रेम करती थी और किसी न किसी कारण आहत कन्या के माता-पिता द्वारा अभियुक्त के साथ विवाह करने से इनकार किया गया और जब उन्होंने आहत कन्या का विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने का प्रयास किया तब आहत कन्या ने इस स्थिति से निपटने के लिए अभियुक्त से संपर्क किया और तद्नुसार यह पाया गया कि आहत कन्या अपनी इच्छा से अपने माता-पिता को छोड़कर अभियुक्त के साथ चली गई । ऊपर उल्लिखित तथ्यों से, विशेषकर आहत कन्या द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दिए गए बयानों से जो निष्कर्ष निकलता है उसके संबंध में अभियुक्त के काउंसेल द्वारा भी ठीक ही दलील दी गई है कि आहत कन्या के साक्ष्य का अवलंब पूर्ण रूप से नहीं लिया जा सकता और उसका साक्ष्य ऐसी कोटि में आता है जो न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते

हुए कि आहत कन्या के साक्ष्य की संपुष्टि किसी भी साक्षी के साक्ष्य से नहीं होती है और न ही किसी भी स्वीकृत दस्तावेज से, यह निष्कर्ष निकलता है कि आहत कन्या के साक्ष्य का अवलंब लेना उचित नहीं है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उसके इस परिसाक्ष्य की संपुष्टि के लिए कोई भी सामग्री न हो कि अभियुक्त ने उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवंचनापूर्वक या अपने आशय को पूरा करने के लिए उस पर बल का प्रयोग करके उसका अपहरण किया है और यह भी दिखाई पड़ता है कि आहत कन्या के माता-पिता द्वारा शिकायत घटना के तत्काल पश्चात् नहीं अपितु घटना के दो दिन बाद दर्ज कराई गई है और आहत कन्या की माता (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायत इसलिए तत्काल दर्ज नहीं कराई गई थी कि उन्हें अभियुक्त की माता ने यह आश्वासन दिया था कि आहत कन्या को उन्हें तुरंत सौंप दिया जाएगा और तद्नुसार आहत कन्या को तत्काल ही सौंप दिया गया और इसके अतिरिक्त जब यह पाया गया कि आहत कन्या का विवाह अभियुक्त के साथ होना तय नहीं किया गया और आहत कन्या का यह साक्ष्य कि वह साड़ी पहने हुए थी और उसके गले में थली बंधी हुई थी और जब यह पाया गया कि अभियुक्त और आहत कन्या अपनी इच्छा से पुलिस थाने आए थे और जब अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का प्रयास नहीं किया है कि अभियुक्त ने आहत कन्या के साथ मंदिर में मंदिर के पुजारी या मंदिर से संबंधित अन्य किसी व्यक्ति की मौजूदगी में विवाह करने का करार किया था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा आहत कन्या पर बल का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही उसके साथ अभियुक्त द्वारा मैथुन किया गया है और आहत कन्या के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में आहत कन्या द्वारा किया गया यह दावा स्वीकार्य नहीं है कि वह कार में यात्रा के दौरान बेहोश हो गई थी, अत: उसका कथन मिथ्या पाया जाता है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि आहत कन्या घटना के समय अप्राप्तवय थी, इन सभी बातों पर संचयी रूप से विचार करने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्त पर लगाया गया अपहरण/व्यपहरण का आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है । उपरोक्त चर्चा को

दृष्टिगत करते हुए, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का दोष साबित करने में असफल रहा है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आहत कन्या का साक्ष्य पूर्णतया अविश्वसनीय पाया गया है और उसकी संपुष्टि भी विश्वसनीय सामग्री से नहीं होती है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन गंभीर संदेह, अनुमान और अटकलों से आच्छादित है जिससे निपटने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोई भी तर्कसम्मत स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए । (पैरा 10 और 12)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2003] (2003) 2 एस. सी. सी. 401 :
लल्लू मांझी और एक अन्य बनाम **झारखंड राज्य** ; 11

[1965] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 942 :
एस. वराडराजन बनाम **मद्रास राज्य** । 11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 449.

2011 के सेशन विचारण मामला सं. 224 में विद्वान् जिला मगलिर न्यायालय, कुड्डलोर द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2013 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री वी. कृष्णामूर्ति और पी. परमशिव दास

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. रविचन्द्रन (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायमूर्ति टी. रवीन्द्रन – यह अपील 2011 के सेशन विचारण मामला सं. 224 में विद्वान् जिला मगलिर न्यायालय, कुड्डलोर द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2013 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 366 के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त

कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और धारा 376 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया है । अभियुक्त-अपीलार्थी ने आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर यह दांडिक अपील फाइल की है ।

2. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार आहत कन्या 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसका भाई मोहन और अभियुक्त आपस में मित्र हैं और अभियुक्त अपने मित्र मोहन से मिलने के लिए आहत कन्या के घर आया करता था जिसके परिणामस्वरूप आहत कन्या के साथ उसके मैत्री संबंध विकसित हो गए और वह आहत कन्या से प्रेम करने लगा और इस बात को सुनकर अभियुक्त के माता-पिता ने आहत कन्या के माता-पिता से संपर्क किया और निवेदन किया कि वे अपनी इस पुत्री का विवाह अभियुक्त के साथ कर दें । तथापि, आहत कन्या के माता-पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप तारीख 21 फरवरी, 2011 को पूर्वाह्न लगभग 8.00 बजे जब आहत कन्या साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी तब अभियुक्त ने उसे विवाह करने का लालच देकर उसका अपहरण कर लिया और उसे वेलूदैयनपट्टी मंदिर में ले गया और उसे रस्सी से बांध दिया और उसके साथ संभोग भी किया और इस प्रकार अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 366 और धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया ।

3. अभियोजन पक्ष के समर्थन में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 9 तक कुल मिलाकर नौ साक्षियों की परीक्षा कराई गई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-9 तक 9 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए । किसी भी तात्विक वस्तु को चिह्नांकित नहीं किया गया है । अभियोजन साक्षियों की परीक्षा पूरी होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराई गई और अभियोजन साक्षियों के कथनों में आया अपराधजन्य साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियुक्त ने सभी बातों से इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि वह और आहत कन्या एक-दूसरे से प्यार करते हैं और आहत कन्या के माता-पिता उसका विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं और जब आहत कन्या ने अभियुक्त-अपीलार्थी से यह कहा कि यदि उसके माता-पिता ने ऐसा किया तो वह आत्महत्या कर लेगी, इस आधार पर अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई कि आहत कन्या ने स्वयं

अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया और अभियुक्त-अपीलार्थी के पास आई और इस प्रकार उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है । अभियुक्त की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । कोई तात्विक वस्तु भी चिह्नांकित नहीं की गई है ।

4. जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 366 और धारा 376 के अधीन आरोपित किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा उसे केवल दंड संहिता की धारा 366 के अधीन ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । आहत कन्या की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है । अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह दावा किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ संभोग किया है । इसके अतिरिक्त, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि वह अभियुक्त से प्रेम नहीं करती है और तत्पश्चात् प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ संभोग नहीं किया था और यह भी स्वीकार किया है कि उसने अन्वेषण के दौरान पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ संभोग नहीं किया है और साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि वह और अभियुक्त साथ-साथ अपनी इच्छा से पुलिस थाने पहुंचे थे और यह कहना सही है कि विवाह तो नहीं हुआ था किंतु आहत को थली पहनाई गई थी । आहत कन्या के उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी अर्थात् लवण्य (अभि. सा. 8) ने, जिसने आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा की है, यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने तारीख 24 फरवरी, 2011 को आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा की थी और उसने उसके शरीर पर कोई भी बाह्य क्षति नहीं पाई और उसकी योनिच्छद भी अक्षत पाई गई और रसायनिक परीक्षण के पश्चात् आहत कन्या के शरीर में कोई भी शुक्राणु नहीं पाया गया और इसके अतिरिक्त चिकित्सक ने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि आहत कन्या संभोग के लिए सक्षम थी फिर भी संभवत: उसने संभोग नहीं किया था और इसके अतिरिक्त चिकित्सक ने यह भी जांच की है कि आहत कन्या विकिरण परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है किंतु

वह 20 वर्ष से कम है और इस चिकित्सक द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-8 के रूप में चिह्नांकित किया गया है और चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-6 है ।

5. उपरोक्त कारकों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा बलात्संग का अपराध कारित नहीं किया गया है और तद्नुसार उसे उपरोक्त अपराध से दोषमुक्त किया गया है । तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को यह अभिनिर्धारित करते हुए दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है कि अभियुक्त ने अपना उद्देश्य पूरा करने के आशय से आहत कन्या पर बल का प्रयोग करते हुए प्रवंचनापूर्ण उपाय के साथ विधिविरुद्ध रूप से माता-पिता की अभिरक्षा से उसका अपहरण किया है ।

6. अभियोजन पक्ष ने यह इंगित करने का प्रयास किया है कि आहत कन्या का जन्म 3 जून, 1995 को हुआ था और उसके स्कूल प्रमाणपत्र से यही दर्शित होता है जिसे मनमोझी (अभि. सा. 5) के साक्ष्य में प्रदर्श पी-3 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । मनमोझी उस स्कूल की प्राध्यापिका है जहां आहत कन्या पढ़ती थी । इस साक्षी के अनुसार जब आहत कन्या ने उसके स्कूल में दाखिला लिया था, तब उसकी जन्मतिथि 3 जून, 1995 लिखाई गई थी, तथापि, इस जन्मतिथि को अभियुक्त द्वारा चुनौती दी गई है । अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि स्कूल में दाखिला लेने के समय स्कूल प्रशासन वही जन्मतिथि लिखता है जो माता-पिता द्वारा बताई जाती है और इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया है कि आहत कन्या को किसी स्कूल में दाखिला दिए जाने के पूर्व, माता-पिता द्वारा बताई गई जन्मतिथि को ही दाखिले के लिए स्कूल द्वारा स्वीकार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि आहत कन्या के माता-पिता ने उसकी आयु सही नहीं लिखाई है और यह कि उन्होंने वास्तविक आयु से कम आयु लिखवाई है और अन्वेषण अधिकारी को यह भी

सुझाव दिया गया है कि यदि वह प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए जो आहत कन्या को उस समय जारी किया गया था जब उसने स्कूल में दाखिला लिया था, तब उसकी सही आयु सुनिश्चित की जा सकती है और तद्नुसार अन्वेषण अधिकारी को यह सुझाव भी दिया गया कि आहत कन्या अप्राप्तवय नहीं है और घटना के समय वह वयस्क थी और इसके अतिरिक्त अन्वेषण अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान आहत कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम सुनिश्चित की गई है ।

7. आहत कन्या का पिता अभि. सा. 1 है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसका विवाह 30-35 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके दो बच्चे हैं जिनमें एक पुत्र (मोहन) और एक पुत्री अर्थात् आहत कन्या है और उसके पुत्र का जन्म विवाह के 5 वर्ष पश्चात् हुआ था और उसके जन्म के 2 वर्ष पश्चात् उसकी पुत्री ने जन्म लिया था और इस साक्षी ने तारीख 26 दिसंबर, 2012 को न्यायालय में साक्ष्य दिया था । उपरोक्त कारकों पर संचयी रूप से चर्चा करने के पश्चात् जब यह पाया जाता है कि अभि. सा. 1 का विवाह न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के 35 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके विवाह के 5 वर्ष पश्चात् उसके पुत्र का जन्म हुआ था और उसके पुत्र के जन्म के 2 वर्ष पश्चात् उसकी पुत्री ने जन्म लिया था, इन सभी बातों पर संचयी रूप से विचार करने और चिकित्सक द्वारा दिए गए इस साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् कि आहत कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम है और अभियोजन पक्ष ने आहत कन्या के उस स्कूल प्रमाणपत्र को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है जो प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेने के समय तैयार किया गया था जैसी सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रदर्श पी-3 का अवलंब यह अभिनिर्धारित करने के लिए उचित रूप से नहीं लिया जा सकता कि आहत कन्या का जन्म 3 जून, 1995 को हुआ था और प्रदर्श पी-3 के परिशीलन से यह पता चलता है कि वर्ष 1995 को लिखने में छेड़छाड़ की गई है । स्थिति कुछ भी हो, उपरोक्त बातों पर विचार करने पर यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि आहत कन्या घटना के समय अप्राप्तवय थी ।

8. आरोप के अनुसार, अभियुक्त के माता-पिता ने आहत कन्या के माता-पिता से इस संबंध में संपर्क किया था कि वे आहत कन्या का विवाह अभियुक्त के साथ कर दें, तथापि, आहत कन्या के माता-पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । इसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त ने तारीख 21 फरवरी, 2011 को आहत कन्या का अपहरण कर लिया । इस संबंध में आहत कन्या के पिता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य के अनुसार उसने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । प्रदर्श पी-1 पर जो तारीख लिखी गई है वह 23 फरवरी, 2011 है । इस प्रकार यह पाया गया है कि घटना के 2 दिन बाद ही शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज करा दी गई थी । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसे प्रदर्श पी-1 की अंतर्वस्तु की जानकारी नहीं है और उसने इस दस्तावेज पर केवल अपने हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि उसे पढ़ना-लिखना नहीं आता है । स्थिति कुछ भी हो प्रदर्श पी-1 अर्थात् शिकायत इस प्रकार दर्ज कराई गई है जैसे कि केवल अभियुक्त ने ही आहत कन्या का अपहरण किया हो । आहत कन्या की माता शेनबगावल्ली (अभि. सा. 3) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के दिन ही आहत कन्या का अपहरण होने की जानकारी मिल गई थी और जब इस साक्षी से यह मालूम किया गया कि उसने इस संबंध में तत्काल शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई, जिस पर उसने यह उत्तर दिया कि अभियुक्त की माता ने उन्हें यह वचन दिया था कि कन्या वापस कर दी जाएगी और इसीलिए आहत कन्या के माता-पिता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, उन्होंने बुधवार को आहत कन्या को उनकी अभिरक्षा में सौंप दिया और यह भी साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त के परिजनों ने आहत कन्या के माता-पिता को यह धमकी दी कि यदि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त के साथ नहीं किया तो वे उसका अपहरण कर लेंगे और यही साक्ष्य आहत कन्या अर्थात् अभि. सा. 2 द्वारा दिया गया है ।

9. विरचित आरोप के अनुसार आहत कन्या का अपहरण उस समय किया गया जब वह साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी और उसे मंदिर ले जाया गया । आहत कन्या ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह

अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह स्कूल जा रही थी तब अभियुक्त उसके निकट आया और उसे यह सूचना दी कि उसके (आहत कन्या) भाई ने उसे (आहत कन्या) बुलाया है और वह अभियुक्त के साथ कार में बैठकर चली गई और अभियुक्त के भाई गोपाल और सेलवम कार में बैठे हुए थे जिन्होंने आहत कन्या को अभियुक्त के साथ विवाह करने के लिए धमकी देते हुए कहा और इसके पश्चात् वह कार में ही बेहोश हो गई और होश आने पर उसने देखा कि वह साड़ी पहने हुए है और उसके गले में थली बंधी हुई है । इसके पश्चात्, आहत कन्या के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई और कन्या ने पुलिस को यह बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ संभोग किया है । आहत कन्या ने इस घटना के बारे में यही बताया है । अतः, अभियुक्त के काउंसेल द्वारा आहत कन्या के उपरोक्त साक्ष्य के संबंध में यह प्रतिवाद किया गया है कि आहत कन्या को कार में बिठाकर ले जाने के लिए अभियुक्त द्वारा किसी भी बल का प्रयोग नहीं किया गया है और दूसरी ओर यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आहत कन्या अभियुक्त के साथ उसकी कार में बैठकर इसलिए चली गई थी कि अभियुक्त ने उससे यह कहा था कि उसके (आहत कन्या) भाई ने उसे बुलाया है । उपरोक्त घटना के संबंध में हमारे पास केवल आहत कन्या का ही साक्ष्य है । इस प्रकार, जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 अर्थात् आहत कन्या के माता-पिता तथा अन्य साक्षियों ने घटना के बारे में नहीं बताया है ।

10. अभियुक्त के अनुसार, उसे आहत कन्या से प्रेम था और वह भी उससे प्रेम करती थी और जब आहत कन्या के माता-पिता ने अपनी पुत्री का विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने की योजना बनाई, तब आहत कन्या ने अभियुक्त से संपर्क किया और उसे बताया कि यदि ऐसा हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी और तद्नुसार वह अभियुक्त के साथ चली गई, अतः अभियुक्त ने अभिकथित अपराध कारित नहीं किया है । यद्यपि आहत कन्या ने अपने साक्ष्य में इस बात से इनकार किया है कि उसे अभियुक्त से प्रेम था और उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि वह अभियुक्त से प्रेम नहीं करती है,

इस संबंध में अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि आहत कन्या ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन पुलिस को दिए गए अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त और उसके बीच जान-पहचान बढ़ गई थी और धीरे-धीरे प्रेम में परिवर्तित हो गई और आहत कन्या ने यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्त को यह बताया था कि उसके माता-पिता उसका विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके पश्चात् वह नागकन्यामण मंदिर में अभियुक्त से मिली और अभियुक्त के साथ साइकिल से वेलूदैयनपट्टी मंदिर गई और आहत कन्या ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसका अपहरण किया था और अन्वेषण अधिकारी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त के माता-पिता ने यह धमकी दी थी कि यदि आहत कन्या का विवाह अभियुक्त के साथ नहीं किया जाता है तो वे आहत कन्या का अपहरण कर लेंगे और आहत कन्या ने यह बयान नहीं दिया है कि अभियुक्त उसे कार में इस बहाने से बिठाकर ले गया था कि आहत कन्या के भाई ने उसे बुलाया है और अभियुक्त के भाई गोपाल और सेलवम कार में बैठे हुए थे और उन्होंने उसे अभियुक्त से विवाह करने की धमकी दी थी और यह कि आहत कन्या कार में बेहोश हो गई थी और होश आने के पश्चात् उसने यह देखा कि वह साड़ी पहने हुए है और उसके गले में थली बंधी हुई थी और अन्वेषण अधिकारी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 3 ने उसके समक्ष यह बयान नहीं दिया था कि अभियुक्त के माता-पिता ने यह धमकी दी है कि यदि आहत कन्या ने अभियुक्त से विवाह नहीं किया तो वे उसका अपहरण कर लेंगे और आहत कन्या ने ऐसा कथन नहीं किया है कि अभियुक्त के भाई गोपाल और सेलवम ने उसका अपहरण किया था । अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को आहत कन्या (अभि. सा. 2) और उसके माता-पिता (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3) द्वारा दिए गए उपरोक्त बयानों पर संचयी रूप से विचार किया गया है जिससे पता चलता है कि आहत कन्या ने अन्वेषण अधिकारी के

समक्ष स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसे अभियुक्त से प्रेम था और यह कि उसने अभियुक्त से यह शिकायत की थी कि उसके माता-पिता उसका विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने की योजना बना रहे हैं और वह स्वयं अपनी इच्छा से अभियुक्त के साथ मंदिर गई और अभियुक्त ने आहत कन्या के साथ उस समय कोई बहाना नहीं बनाया जब वह उसे कार में ले जा रहा था और अभियुक्त के भाइयों ने आहत को ऐसी कोई धमकी नहीं दी है कि वह अभियुक्त से विवाह करे और यह कि आहत कन्या कार में बेहोश हो गई थी और होश आने पर उसने यह देखा कि वह साड़ी पहने हुए है और उसके गले में थली बंधी हुई है जैसी इन सभी बातों से यह दर्शित होता है कि आहत कन्या ने सत्य तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, यह भी सिद्ध किया गया है कि आहत कन्या अभियुक्त से प्रेम करती थी और किसी न किसी कारण आहत कन्या के माता-पिता द्वारा अभियुक्त के साथ विवाह करने से इनकार किया गया और जब उन्होंने आहत कन्या का विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ करने का प्रयास किया तब आहत कन्या ने इस स्थिति से निपटने के लिए अभियुक्त से संपर्क किया और तद्नुसार यह पाया गया कि आहत कन्या अपनी इच्छा से अपने माता-पिता को छोड़कर अभियुक्त के साथ चली गई । ऊपर उल्लिखित तथ्यों से, विशेषकर आहत कन्या द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दिए गए बयानों से जो निष्कर्ष निकलता है उसके संबंध में अभियुक्त के काउंसेल द्वारा भी ठीक ही दलील दी गई है कि आहत कन्या के साक्ष्य का अवलंब पूर्ण रूप से नहीं लिया जा सकता और उसका साक्ष्य ऐसी कोटि में आता है जो न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए कि आहत कन्या के साक्ष्य की संपुष्टि किसी भी साक्षी के साक्ष्य से नहीं होती है और न ही किसी भी स्वीकृत दस्तावेज से, यह निष्कर्ष निकलता है कि आहत कन्या के साक्ष्य का अवलंब लेना उचित नहीं है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उसके इस परिसाक्ष्य की संपुष्टि के लिए कोई भी सामग्री न हो कि अभियुक्त ने उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रवंचनापूर्वक या अपने आशय को पूरा करने के लिए उस पर बल का प्रयोग करके उसका अपहरण किया है

और यह भी दिखाई पड़ता है कि आहत कन्या के माता-पिता द्वारा शिकायत घटना के तत्काल पश्चात् नहीं अपितु घटना के दो दिन बाद दर्ज कराई गई है और आहत कन्या की माता (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायत इसलिए तत्काल दर्ज नहीं कराई गई थी कि उन्हें अभियुक्त की माता ने यह आश्वासन दिया था कि आहत कन्या को उन्हें तुरंत सौंप दिया जाएगा और तद्नुसार आहत कन्या को तत्काल ही सौंप दिया गया और इसके अतिरिक्त जब यह पाया गया कि आहत कन्या का विवाह अभियुक्त के साथ होना तय नहीं किया गया और आहत कन्या का यह साक्ष्य कि वह साड़ी पहने हुए थी और उसके गले में थली बंधी हुई थी और जब यह पाया गया कि अभियुक्त और आहत कन्या अपनी इच्छा से पुलिस थाने आए थे और जब अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का प्रयास नहीं किया है कि अभियुक्त ने आहत कन्या के साथ मंदिर में मंदिर के पुजारी या मंदिर से संबंधित अन्य किसी व्यक्ति की मौजूदगी में विवाह करने का करार किया था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा आहत कन्या पर बल का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही उसके साथ अभियुक्त द्वारा मैथुन किया गया है और आहत कन्या के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में आहत कन्या द्वारा किया गया यह दावा स्वीकार्य नहीं है कि वह कार में यात्रा के दौरान बेहोश हो गई थी, अत: उसका कथन मिथ्या पाया जाता है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि आहत कन्या घटना के समय अप्राप्तवय थी, इन सभी बातों पर संचयी रूप से विचार करने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्त पर लगाया गया अपहरण/व्यपहरण का आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है ।

11. इस संबंध में अभियुक्त के काउंसेल द्वारा **लल्लू मांझी और एक अन्य** बनाम **झारखंड राज्य**[1] और **एस. वराडराजन** बनाम **मद्रास राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चयों

---

[1] (2003) 2 एस. सी. सी. 401.

[2] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 942.

का अवलंब लिया गया है । उपरोक्त विनिश्चयों में अधिकथित सिद्धांतों पर विचार किया गया है जो वर्तमान मामले को लागू होते हैं ।

12. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का दोष साबित करने में असफल रहा है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आहत कन्या का साक्ष्य पूर्णतया अविश्वसनीय पाया गया है और उसकी संपुष्टि भी विश्वसनीय सामग्री से नहीं होती है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन गंभीर संदेह, अनुमान और अटकलों से आच्छादित है जिससे निपटने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोई भी तर्कसम्मत स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और तद्नुसार, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपहरण के आरोप को साबित करने में असफल रहा है ।

परिणामत: जिला मगलिर न्यायालय, कुड्डलोर द्वारा सेशन मामला सं. 224/2011 में तारीख 18 जनवरी, 2013 को पारित वह आक्षेपित निर्णय, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 366 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था, अपास्त किया जाता है और उसे दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । अंत में, दांडिक अपील मंजूर की जाती है । जमानत पत्र, यदि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा कोई निष्पादित किया गया है, रद्द किया जाता है और जुर्माने की रकम, यदि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा संदाय की गई है, उसे वापस की जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

रोहित

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2020 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 265)

तारीख 12 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 21 और धारा 29 – पुलिस दल द्वारा लगाई जांच चौकी द्वारा एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, को रोका जाना – मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा एक थैला पहाड़ी की ओर फेंका जाना – एन. डी. पी. एस. अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित सभी अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात् उक्त थैले से 20.02 ग्राम हेरोइन की बरामदगी – बरामद की गई हेरोइन की मात्रा का मध्यवर्ती मात्रा होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना – अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में नियमित जमानत हेतु दांडिक प्रकीर्ण याचिका फाइल किया जाना – नेपाली मूल का होने के कारण अभियुक्त के फरार हो जाने का अंदेशा – उच्च न्यायालय द्वारा प्रास्थिति रिपोर्ट मांगा जाना – प्रास्थिति रिपोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय का यह समाधान होना कि अभियुक्त पिछले 25 वर्ष से हिमाचल प्रदेश का सद्भावी नागरिक है और उसके फरार होने की संभावना नहीं है और अन्वेषण के लिए भी उसकी अब आवश्यकता नहीं है – अत: बरामद हेरोइन की मात्रा का मध्यवर्ती मात्रा होने, अभियुक्त के फरार होने की आशंका न होने और अन्वेषण के लिए उसकी आवश्यकता न होने के कारण कतिपय कड़ी शर्तों के अधीन रहते हुए अभियुक्त जमानत मंजूर किए जाने का हकदार है ।

प्रकीर्ण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 13 जुलाई, 2019 को एक पुलिस दल पुलिस थाना सदर सोलन की अधिकारिता के भीतर सोलन नगर में उपस्थित था । पुलिस दल एक प्राइवेट यान में घटनास्थल पर पहुंचा था और

उसने अपराध का पता लगाने हेतु तथा इस प्रयोजन के लिए दोहरी दीवार नामक स्थान पर पहुंचकर जांच चौकी स्थापित की थी । पूर्वाह्न लगभग 11.45 बजे जब पुलिस दल दोहरी दीवार में लगाई गई जांच चौकी में उपस्थित था उस समय बड़ोग की ओर से एक मोटरसाइकिल आई जिसका रजिस्ट्रेशन नं. एचपी 16-8160 था । उस मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार थे । पुलिस दल ने उन्हें रुकने का संकेत दिया और रुकने के पश्चात् मोटरसाइकिल के चालक के पीछे बैठे व्यक्ति ने एक छोटा थैला सड़क के समीप पहाड़ी की ओर फेंक दिया । पूछे जाने पर मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम अरुण शर्मा बताया । उसके पीछे बैठे व्यक्ति, जिसने थैला फेंका था, ने अपना नाम रोहित बताया और अपना निवास स्थान सोलन बताया और वह व्यक्ति नेपाली मूल का था और वर्तमान मामले में वह जमानत के लिए याची है । तदुपरांत पुलिस दल के पास प्रथमदृष्ट्या रूप से यह विश्वास करने के कारण थे कि चालक के पीछे बैठे मोटरसाइकिल सवार ने जो थैला पहाड़ी की तरफ फेंका था उसमें कोई मन:प्रभावी पदार्थ अंतर्विष्ट था । उसके पश्चात् पुलिस दल ने एक कार को रोका और कार पर सवार उसके अधिभोगियों को स्वतंत्र साक्षियों के रूप में इस मामले के साथ संबद्ध किया । उसके पश्चात् पुलिस ने मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति रोहित कुमार द्वारा फेंके गए उक्त थैले को उठाया और खोला । उक्त थैले में एक सिगरेट का पैकेट था और उसके भीतर एक छोटी सी पोलीथीन की थैली थी जिसमें एक पीले रंग का पदार्थ अंतर्विष्ट था । उस थैली में 9 इंसुलिन सीरिंज, एक स्टील का चम्मच तथा एक लाइटर भी था । पीले रंग के पदार्थ के भारोत्तोलन पर उसका वजन 20.02 ग्राम पाया गया और प्रथमदृष्ट्या रूप से यह प्रतीत हुआ कि वह पदार्थ हेरोइन था । उसके पश्चात् पुलिस दल ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया तथा याची को गिरफ्तार किया । नमूने को प्रयोगशाला भेजने पर प्रयोगशाला ने अपनी यह राय व्यक्त की है कि बरामद किया गया पदार्थ डाइएसएटाइलमोरफिन (हेरोइन) है । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में हुई अपनी गिरफ्तारी के संबंध में अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में नियमित जमानत हेतु दांडिक प्रकीर्ण याचिका फाइल किया है । इस न्यायालय ने उक्त दांडिक प्रकीर्ण याचिका को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मेरी सुविचारित राय में अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा को जारी रखने से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और मैं निम्नलिखित आधारों पर कड़ी शर्तों के अधीन रहते हुए याची को जमानत मंजूर करना चाहता हूं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में बरामद हुआ पदार्थ हेरोइन है जिसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2(viiक) और (xxiiiक) के अधीन जारी अधिसूचना के क्रम संख्यांक 56 पर उल्लिखित है जिसमें ओषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ की लघु और वाणिज्यिक मात्राओं को विनिर्दिष्ट किया गया है । इस मामले में अंतर्वलित ओषधि की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है किंतु वह मात्रा लघु मात्रा से अधिक है इस प्रकार वर्तमान मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 की उपरिका लागू नहीं होगी । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले को ऐसे किसी अन्य मामले के रूप में माना जाएगा जिसमें किसी दांडिक अपराध के लिए जमानत मंजूर की जाती है । याची तारीख 14 जुलाई, 2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है । इस मामले में अन्वेषण लगभग पूरा हो चुका है । याची पक्षकारों के ज्ञापन में उल्लिखित पते का स्थायी निवासी है और इसलिए उसकी उपस्थिति को सदैव सुनिश्चित किया जा सकता है । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान याचिका को मंजूर किया जाता है । याची को 10,000/- रुपए की राशि का वैयक्तिक बंधपत्र और समान रकम के दो प्रतिभू, विचारण न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, जो उस संबद्ध पुलिस थाने, जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई है, अधिकारिता रखता है, के समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत किए जाने पर ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संबंधित वर्तमान मामले में जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा । (पैरा 8 और 9)

मूल (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 265.

तारीख 14 जुलाई, 2019 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 148/2019 से संबंधित मामले में जमानत हेतु दांडिक प्रकीर्ण याचिका ।

याची की ओर से श्री अभिषेक कौशिक

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अश्वनि ए. शर्मा और नंदलाल ठाकुर विद्वान् अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा ने दिया ।

न्या. चिटकारा – याची ने, जो इस समय अभिरक्षाधीन है और जिसे 20.02 ग्राम हेरोइन को कब्जे में रखने के लिए पुलिस थाना, सदर सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' कहा गया है) की धारा 21, 29 और साथ ही मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 181 के अधीन फाइल की गई तारीख 14 जुलाई, 2019 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 148/2019 में अभियुक्त के रूप में दोषारोपित किया गया है, जो गैर-जमानतीय अपराधों को गठित करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 439 के अधीन नियमित जमानत का अनुरोध करते हुए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका फाइल की है ।

2. वर्ष 2020 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 165 में प्रास्थिति रिपोर्ट फाइल कर दी गई है । मैंने प्रास्थिति रिपोर्ट (रिपोर्टों) और साथ ही पुलिस फाइल को उस सीमा तक देखा है जहां तक वह वर्तमान याचिका का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक है और साथ ही मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को भी सुना है । मैंने याची के लिए उपस्थित विद्वान् काउंसेल और प्रत्यर्थी/राज्य के लिए उपस्थित विद्वान् अपर महाधिवक्ता की दलीलों को सुना है ।

तथ्य

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और उसके अनुसरण में किए गए अन्वेषण का सार यह है कि तारीख 13 जुलाई, 2019 को एक पुलिस दल पुलिस थाना सदर सोलन की अधिकारिता के भीतर सोलन नगर में उपस्थित था । पुलिस दल एक प्राइवेट यान में घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने अपराध का पता लगाने हेतु तथा इस प्रयोजन के लिए दोहरी दीवार नामक स्थान पर पहुंचकर जांच चौकी स्थापित की थी । पूर्वाह्न लगभग 11.45 बजे जब पुलिस दल दोहरी दीवार में लगाई गई जांच चौकी में उपस्थित था उस समय बड़ोग की ओर से एक मोटरसाइकिल आई जिसका रजिस्ट्रेशन नं. एचपी 16-8160 था । उस मोटरसाइकिल

पर दो व्यक्ति सवार थे । पुलिस दल ने उन्हें रुकने का संकेत दिया और रुकने के पश्चात् मोटरसाइकिल के चालक के पीछे बैठे व्यक्ति ने एक छोटा थैला सड़क के समीप पहाड़ी की ओर फेंक दिया । पूछे जाने पर मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम अरुण शर्मा बताया । उसके पीछे बैठे व्यक्ति, जिसने थैला फेंका था, ने अपना नाम रोहित बताया और अपना निवास स्थान सोलन बताया और वह व्यक्ति नेपाली मूल का था और वर्तमान मामले में वह जमानत के लिए याची है । तदुपरांत पुलिस दल के पास प्रथमदृष्ट्या रूप से यह विश्वास करने के कारण थे कि चालक के पीछे बैठे मोटरसाइकिल सवार ने जो थैला पहाड़ी की तरफ फेंका था उसमें कोई मन:प्रभावी पदार्थ अंतर्विष्ट था । उसके पश्चात् पुलिस दल ने एक कार को रोका और कार पर सवार उसके अधिभोगियों को स्वतंत्र साक्षियों के रूप में इस मामले के साथ संबद्ध किया । उसके पश्चात् पुलिस ने मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति रोहित कुमार द्वारा फेंके गए उक्त थैले को उठाया और खोला । उक्त थैले में एक सिगरेट का पैकेट था और उसके भीतर एक छोटी सी पोलीथीन की थैली थी जिसमें एक पीले रंग का पदार्थ अंतर्विष्ट था । उस थैली में 9 इंसुलिन सीरिंज, एक स्टील का चम्मच तथा एक लाइटर भी था ।

पीले रंग के पदार्थ के भारोत्तोलन पर उसका वजन 20.02 ग्राम पाया गया और प्रथमदृष्ट्या रूप से यह प्रतीत हुआ कि वह पदार्थ हेरोइन था । उसके पश्चात् पुलिस दल ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया तथा याची को गिरफ्तार किया । नमूने को प्रयोगशाला भेजने पर प्रयोगशाला ने अपनी यह राय व्यक्त की है कि बरामद किया गया पदार्थ डाइएसएटाइलमोरफिन (हेरोइन) है ।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रास्थिति रिपोर्ट में याची का उल्लेख नेपाली मूल के व्यक्ति के रूप में किया गया है, इस न्यायालय ने अपने तारीख 26 फरवरी, 2020 के आदेश द्वारा राज्य और याची को यह निदेश दिया कि याची की राष्ट्रिकता और नागरिकता के संबंध में विशिष्टियां उपलब्ध कराई जाएं । उस आदेश के परिणामस्वरूप याची ने अपने पिता के माध्यम से एक शपथ-पत्र फाइल किया है जिसके अनुसार याची का पिता एक सद्भावी हिमाचली नागरिक

है और वह 20 वर्ष से अधिक समय से हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहा है । उसके पास पैन कार्ड है और उन्होंने जमानत हेतु याचिका करने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड के ब्यौरे भी अभिलेख पर रखे हैं । इसके अतिरिक्त, याची के माध्यमिक स्तर की परीक्षा के प्रमाण-पत्र को भी अभिलेख पर रखा गया है जिसके अनुसार याची इस परीक्षा में शासकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोलन के माध्यम से बैठा था । इसके अतिरिक्त, शपथ-पत्र में यह भी कथन किया गया है कि वह वहां पिछले 25 वर्ष से निवास कर रहा है और वह एक सद्भावी हिमाचली नागरिक है ।

विश्लेषण और तर्कणा

5. जमानत देने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध की गंभीर प्रकृति, ऐसे अपराध के लिए कानून में विहित दंड की अवधि, अभियुक्त की न्याय से बचने हेतु फरार होने की संभावना, उसके द्वारा अन्वेषण को बाधित करने या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना पर निर्भर करते हुए विचारण-पूर्व कैद में रखे जाने की आवश्यकता को न्यायपूर्ण ठहराना आवश्यक है । न्यायालय इस सांविधानिक बाध्यता के अधीन है कि पीड़ित, अभियुक्त, समाज और राज्य के हितों को यथासंभव रूप से सुरक्षित किया जाए ।

6. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2(vii-क) मन:प्रभावी पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा को ऐसी मात्रा के रूप में परिभाषित करती है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक है तथा धारा 2(xxiii-क) मन:प्रभावी पदार्थों की लघु मात्रा को ऐसी मात्रा के रूप में परिभाषित करती है जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मात्रा से कम है । शेष मात्रा अपरिभाषित प्रवर्ग के अंतर्गत आती है जिसे अब साधारण रूप में मध्यवर्ती मात्रा कहा जाता है । एन. डी. पी. एस. अधिनियम की सभी धाराएं, जो किसी अपराध को विनिर्दिष्ट करती हैं, इस तथ्य को भी उल्लिखित करती हैं कि मन:प्रभावी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हुए न्यूनतम और अधिकतम दंडादेश क्या होगा । वाणिज्यिक मात्रा 10 वर्ष के न्यूनतम कारावास और 1,000/- रुपए के न्यूनतम जुर्माने को आज्ञापक बनाती है और ऐसे मामलों में जमानत एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में आज्ञापक उपरिका के अध्यधीन है ।

7. याची से बरामद किए गए पदार्थ की मात्रा 20.02 ग्राम है । याची की ओर से प्रस्तुत किए गए ऐसे दस्तावेजों, जिनके संबंध में अभियोजन पक्ष ने कोई विवाद नहीं उठाया है, को ध्यान में रखते हुए प्रथमदृष्ट्या रूप से इस बात की कोई संभावना नहीं है कि याची विचारण से बचने के लिए फरार हो जाएगा और इस प्रकार यह न्यायालय याची को एक अंतिम अवसर प्रदान करना चाहता है और वह इस बात को अत्यधिक स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस मामले में यदि याची अपराध की पुनरावृर्त्ति करता है तो उसे दी गई जमानत तुरंत रद्द किए जाने के लिए दायी होगी ।

8. ऊपर उल्लिखित तर्कणा देने के पश्चात् मेरी सुविचारित राय में अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा को जारी रखने से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और मैं निम्नलिखित आधारों पर याची को जमानत मंजूर करना चाहता हूं किंतु यह जमानत निम्नलिखित कड़ी शर्तों के अधीन होगी :-

(क) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में बरामद हुआ पदार्थ हेरोइन है जिसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2(viiक) और (xxiiiक) के अधीन जारी अधिसूचना के क्रम संख्यांक 56 पर उल्लिखित है जिसमें ओषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ की लघु और वाणिज्यिक मात्राओं को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) इस मामले में अंतर्वलित ओषधि की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है किंतु वह मात्रा लघु मात्रा से अधिक है इस प्रकार वर्तमान मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 की उपरिका लागू नहीं होगी । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले को ऐसे किसी अन्य मामले के रूप में माना जाएगा जिसमें किसी दांडिक अपराध के लिए जमानत मंजूर की जाती है ।

(ग) याची तारीख 14 जुलाई, 2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है ।

(घ) इस मामले में अन्वेषण लगभग पूरा हो चुका है ।

(ङ) याची पक्षकारों के ज्ञापन में उल्लिखित पते का स्थायी निवासी है और इसलिए उसकी उपस्थिति को सदैव सुनिश्चित किया जा सकता है ।

9. इसके परिणामस्वरूप वर्तमान याचिका को मंजूर किया जाता है । याची को 10,000/- रुपए की राशि का वैयक्तिक बंधपत्र और समान रकम के दो प्रतिभू, विचारण न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, जो उस संबद्ध पुलिस थाने, जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई है, अधिकारिता रखता है, के समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत किए जाने पर ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संबंधित वर्तमान मामले में जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा ।

10. वैयक्तिक बंधपत्र और प्रतिभूति बंधपत्रों का निष्पादन करने वाला न्यायालय जमानत का अनुरोध करने वाले याची, उसके कुटुंब सदस्यों और प्रतिभू की शनाख्त को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि के माध्यम से सुनिश्चित करेगा । याची बंधपत्रों के पृष्ठ के पिछले भाग पर अपने फोन नं. और अन्य ब्यौरे उल्लिखित करेगा ।

11. अभियुक्त के काउंसेल और अधिप्रमाणन करने वाला अधिकारी इस जमानत की सभी शर्तों को याची के समक्ष स्पष्ट करेगा ।

12. याची इस आदेश में दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन करने का वचनबंध करता है और उसके द्वारा जमानत बंधपत्रों को प्रस्तुत किए जाने का अर्थ यह होगा कि उसने ऐसी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जो निम्नानुसार हैं :-

(क) याची उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा जो समन या वारंट जारी करता है और वह उस न्यायालय के समाधानप्रद रूप में नए जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करेगा यदि न्यायालय उसे ऐसा करने का निदेश देता है ।

(ख) याची अन्वेषण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(ग) याची यह वचन बंध करता है कि वह शिकायतकर्ता और साक्षियों से संपर्क नहीं करेगा और न ही उन्हें धमकी देगा और न ही उन पर किसी किस्म का कोई दबाव डालेगा ।

(घ) याची यह वचन बंध करता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्वेषण अधिकारी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से अवगत है, को कोई प्रलोभन, धमकी या कोई ऐसा

वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हिचकिचाए या वह किसी साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा ।

(ङ) याची अन्वेषण अधिकारी को किसी भी रीति में प्रभावित नहीं करेगा और न ही उसे नियंत्रित करने का कोई प्रयास करेगा ।

(च) ऐसे मामले में, जहां याची को कोई ऐसा अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त के रूप में दोषारोपित किया जाता है, जिसमें कारावास की अवधि 7 वर्ष से अधिक है और ऐसी किसी दशा में जब जमानत का अनुरोध करने वाले याची को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी मामले में अभियुक्त के रूप में दोषारोपित किया जाता है तब वह पदार्थ की मात्रा पर ध्यान न देते हुए चाहे वह लघु मात्रा में ही क्यों न हो, ऐसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर याची वर्तमान पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और साथ ही नई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के सभी ब्यौरे उपलब्ध कराएगा । राज्य इस न्यायालय में या विचारण न्यायालय में, यदि ऐसा उपयुक्त और उचित समझा जाता है तो इस जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(छ) आज से 30 दिन के भीतर याची उसके पास मौजूद सभी आग्नेयायुधों का उनकी गोलियों सहित विक्रय करेगा या आयुध अनुज्ञप्तियों, यदि कोई हों, के साथ उन्हें उस प्राधिकारी के समक्ष समर्पित करेगा जिसने उसे ऐसी अनुमति प्रदान की थी ।

(ज) उपरोक्त के अलावा उस दशा में जब याची विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तब विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट जारी कर सकेगा और याची को ऐसी अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकेगा जिसके दौरान याची की न्यायालय में उपस्थिति अपेक्षित है । यदि याची इस जमानत आदेश में यथा अनुबंधित किसी शर्त (किन्हीं शर्तों) का उल्लंघन करता है तो विचारण न्यायालय लोक अभियोजक को यह निदेश दे सकेगा कि वह उसके समक्ष जमानत रद्द करने के संबंध

आवेदन फाइल करे और विचारण न्यायालय के लिए जमानत को रद्द करना विधिपूर्ण और अनुज्ञेय होगा ।

(झ) उस दशा में जहां याची इस अपराध की पुनरावृत्ति करता है या कोई अन्य ऐसा अपराध कारित करता है जहां कारावास की अवधि 7 वर्ष या अधिक है तब कोई न्यायालय उसे जमानत मंजूर करने से पूर्व इस तथ्य पर विचार करेगा कि उसे पूर्व में यह चेतावनी दी गई थी कि वह ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न करे और न ही कोई अन्य उक्त किस्म का अपराध कारित करे ।

13. यह जमानत आदेश किसी भी रीति में पुलिस या अन्वेषण अभिकरण की याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अन्वेषण करने के अधिकारों या कर्तव्यों को सीमित या निर्बंधित नहीं करता है ।

14. उस दशा में जहां याची को ऐसा प्रतीत होता है कि इस जमानत से संबंधित शर्तें उसके मूल या किसी अन्य अधिकार या किसी मानवाधिकार का उल्लंघन करती हैं या उसे किसी शर्त के कारण कोई अन्य कठिनाई आती है तो याची ऐसे निबंधनों के उपांतरण के लिए एक युक्तियुक्त आवेदन फाइल कर सकेगा ।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान जमानत आदेश केवल ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संबंधित है । इसे याची के विरुद्ध रजिस्टर सभी अन्य मामलों, यदि कोई हों के संबंध में साधारण जमानत आदेश नहीं समझा जाना चाहिए ।

16. यहां इस निर्णय में ऊपर किए गए किसी संप्रेक्षण को मामले के गुणागुण के संबंध में राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा और विचारण न्यायालय इस मामले का विनिश्चय करते समय ऊपर किए गए किसी भी संप्रेक्षण से प्रभावित नहीं होगा ।

पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार याचिका को मंजूर किया जाता है । प्रति दस्ती ।

याचिका मंजूर की गई ।

पु.

संसद् के अधिनियम

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961[1]

(1961 का अधिनियम संख्यांक 28)

[20 मई, 1961]

दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. "दहेज" की परिभाषा - इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व [3][या पश्चात् किसी समय] -

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

---

[1] 1968 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 और अनुसूची भाग 1 द्वारा पांडिचेरी पर विस्तारित ।

[2] 1 जुलाई, 1961 (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृष्ठ 1005 पर मुद्रित अधिसूचना सं. का. आ. 1410, तारीख 20-6-1961 देखिए) ।

[3] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 2 द्वारा (19-11-1986 से) "या पश्चात्" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में] या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है ।

[2]* * * *

स्पष्टीकरण 2 – "मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है ।

3. दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति – [3][(1)] यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा [4][तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [5][पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा,] दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, [6][पांच वर्ष] से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

[7][(2) उपधारा (1) की कोई बात, –

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 2 द्वारा (2-10-1985 से) कतिपय शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 2 द्वारा (2-10-1985 से) लोप किया गया ।

[3] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 3 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया ।

[4] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 3 द्वारा (19-11-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 3 द्वारा (19-11-1986 से) "छह मास" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) अंत:स्थापित ।

(क) ऐसी भेंटों को, जो वधू को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होंगी :

परन्तु यह तब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं ;

(ख) ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती हैं या उनके संबंध में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं :

परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती हैं वहां ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं ।]

[1][4. **दहेज मांगने के लिए शास्ति** – यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक, से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

[2][**4क. विज्ञापन पर पाबंदी** – यदि कोई व्यक्ति –

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 4 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 4 द्वारा (19-11-1986 से) अंत:स्थापित ।

(क) अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफलस्वरूप किसी समाचारपत्र, नियतकालिक पत्रिका, जरनल या किसी अन्य माध्यम से, अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

5. दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना – दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा ।

6. दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना – (1) जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति, उस दहेज को, –

(क) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् [1][तीन मास] के भीतर ; या

(ख) यह वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् [1][तीन मास] के भीतर ; या

(ग) यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् [1][तीन मास] के भीतर,

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

स्त्री को अन्तरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा ।

[1][(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का, उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर [2][या उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित] अन्तरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, [3][जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा] या दोनों से, दंडनीय होगा ।]

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे :

[4][परन्तु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है वहां ऐसी संपत्ति, –

(क) यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता-पिता को अंतरित की जाएगी, या

(ख) यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी ।]

[5][(3क) जहां उपधारा (1) [2][या उपधारा (3)] द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए, उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने, उस उपधारा के अधीन उसके सिद्धदोष ठहराए जाने के पूर्व, ऐसी संपत्ति का, उसके लिए हकदार स्त्री

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 5 द्वारा (2-10-1985 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा (19-11-1986 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा (19-11-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा (19-11-1986 से) अंत:स्थापित ।

[5] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 5 द्वारा (2-10-1985 से) अंत:स्थापित ।

को या, यथास्थिति, [1][उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को अंतरण नहीं किया है वहां न्यायालय, उस उपधारा के अधीन दण्ड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी संपत्ति का, यथास्थिति, ऐसी स्त्री या [2][उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करे और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका, यथास्थिति, उस स्त्री या [2][उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को संदाय किया जा सकेगा ।]

(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[3][**7. अपराधों का संज्ञान** – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ;

(ख) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, –

(i) अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर, या

(ii) अपराध से व्यथित या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा (19-11-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 6 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 6 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर,

ही करेगा, अन्यथा नहीं ;

(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करे ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी ।]

[1][(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा ।]

[2][**8. अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और अशमनीय होना** – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी मानो वे –

(क) ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए ; और

(ख) निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए –

(i) उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय ; और

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 6 द्वारा (19-11-1986 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 7 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध हों ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध [1][अजमानतीय] और अशमनीय होगा ।]

[2][**8क. कुछ मामलों में सबूत का भार** – जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है ।

8ख. दहेज प्रतिषेध अधिकारी – (1) राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और वे क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेंगे ।

(2) प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है ;

(ख) दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो ; और

(घ) ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 7 द्वारा (19-11-1986 से) "जमानतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 8 द्वारा (19-11-1986 से) अंत:स्थापित ।

विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए, एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी जिसमें उस क्षेत्र से, जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, पांच से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे (जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी) ।]

9. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकती है ।

[1][(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भेंटों की कोई सूची रखी जाएगी और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ; और

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय ।]

[2][(3)] इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 8 द्वारा (2-10-1985 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 8 द्वारा (2-10-1985 से) संख्यांकित ।

के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा [1][यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[2][**10. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8ख की उपधारा (2) के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य ;

(ख) वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8ख की उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे ।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

---

[1] 1983 के अधिनियम सं. 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 9 द्वारा (19-11-1986 से) धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

नियम

*दहेज प्रतिषेध (वर-वधू भेंट सूची) नियम, 1985

सा. का. नि. 664(अं) – केन्द्रीय सरकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध (वर-वधू भेंट सूची) नियम, 1985 है ।

(2) ये 2 अक्तूबर, 1985 को प्रवृत्त होंगे या दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 63) के प्रवृत्त होने के लिए नियत की गई तारीख है ।

2. नियम जिनके अनुसार भेंटों की सूचियां रखी जानी हैं – (1) विवाह के समय जो भेंटें वधू को दी जाती हैं उनकी एक सूची वधू रखेगी ।

(2) विवाह के समय जो भेंटें वर को दी जाती हैं उनकी एक सूची वर रखेगा ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट भेंटों की प्रत्येक सूची, –

(क) विवाह के समय या विवाह के पश्चात् यथासंभव शीघ्र तैयार की जाएगी ;

(ख) लिखित में होगी ;

(ग) उसमें होगा –

(i) प्रत्येक भेंट का संक्षिप्त विवरण ;

(ii) भेंट का अनुमानित मूल्य ;

(iii) उस व्यक्ति का नाम जिसने भेंट दी है ; और

(iv) यदि वह व्यक्ति जिसने भेंट दी है वधू या वर का नातेदार है तो ऐसी नातेदारी का विवरण ;

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3(त्) में सा. का. नि. 664(अं) तारीख 19 अगस्त, 1985 के अधीन प्रकाशित ।

(घ) वर और वधू दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

स्पष्टीकरण 1 – जहां वधू हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां वह उसे सूची पढ़कर सुनाई जाने के पश्चात् और उस व्यक्ति के, जिसने सूची में दी गई विशिष्टियों को इस प्रकार पढ़कर सुनाया है, उस सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर करने के बदले अपने अंगूठे का निशान लगा सकेगी ।

स्पष्टीकरण 2 – जहां वर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां वह उसे सूची पढ़कर सुनाई जाने के पश्चात् और उस व्यक्ति के, जिसने सूची में दी गई विशिष्टियों को इस प्रकार पढ़कर सुनाया है, उस सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर करने के बदले अपने अंगूठे का निशान लगा सकेगा ।

(4) वर या वधू, यदि ऐसा चाहे तो उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों में से किसी एक पर या दोनों पर अपने किसी नातेदार या किन्हीं नातेदारों या विवाह के समय उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकती है ।

उपाबंध

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) से उद्धरण

* * * *

अध्याय 20क

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

498क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने को या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।

* * * *

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * *

174. आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना – (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा

उस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीवजंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने में सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरन्त उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में, अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का, जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं ।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएंगी ।

(3) जब –

(i) मामला किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है ; या

(ii) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है, जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है ; या

(iii) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस

निमित्त निवेदन किया है ; या

(iv) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है ; या

(v) किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा ।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्युसमीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात् कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

* * * *

176. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच – (1) जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है या जब मामला धारा 174 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्युसमीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती ।

(2) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से, मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा ।

(3) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करा सकता है ।

(4) जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है वहां मजिस्ट्रेट, जहां कहीं साध्य है, मृतक के उन नातेदारों को, जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "नातेदार" पद से माता-पिता, संतान, भाई-बहिन और पति या पत्नी अभिप्रेत हैं ।

* * * *

198क. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों का अभियोजन – कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहिन या उसके पिता अथवा माता के भाई या बहिन द्वारा किए गए परिवाद पर या रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।

* * * *

पहली अनुसूची

* * * *

1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अध्याय 20क – पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में					
498क	किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय यदि अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध से व्यथित व्यक्ति	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

Cova iii

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

CoVa-iv

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in